भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (सीटू)

जनरल कौंसल बैठक

गाज़ियाबाद

28–30 मई, 1999

दस्तावेज़

* अध्यक्षीय भाषण
* महासचिव की रिपोर्ट
* शोक प्रस्ताव
* कामकाजी महिलाओं सम्बन्धी विचारार्थ दस्तावेज पर बहस
* लेखा रिपोर्ट

भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (सीटू)

जनरल कौंसल बैठक

गाज़ियाबाद

28-30 मई, 1999

कार्यसूची

1. चेन्नई में 22-25 अप्रैल 1998 को सम्पन्न पिछली बैठक की कार्यवाई की पुष्टि।
2. अध्यक्षीय भाषण
3. महासचिव की रिपोर्ट
4. वर्ष 1999 के लिये लेखा रिपोर्ट
5. कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की गतिविधियों के दो दशकों पर विशेष बहस
6. सम्बद्धता शुल्क
7. बी टी आर स्मारक कोष तथा बी टी आर भवन
8. प्रस्ताव
9. अध्यक्ष की अनुमति से कोई और विषय

एम के पंधे
महासचिव

कार्यक्रम

27-5-99	सुबह 11-00 बजे	कार्य समिति की बैठक
	सायं 4-00 बजे	जन सभा
28-30मई 1999	सुबह 9-30 बजे से दोपहर 1-00 बजे	जनरल कौंसल
	सायं 4-00 बजे से 7-30 बजे तक का सत्र	
		(इसका समापन 30-5-1999 को दोपहर 1-00 बजे होगा)
30-5-1999	सायं 5-00 बजे	सी आइ टी यू का स्थापना दिवस बी टी आर भवन नयी दिल्ली में सभा

अध्यक्षीय भाषण

सबसे पहले मैं नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कामरेड मनमोहन अधिकारी, जो काठमांडू में मृत्यु को प्राप्त हुए, के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

मैं सी आइ टी यू के भूतपूर्व उपाध्यक्ष व उ.प्र. राज्य समिति के अध्यक्ष कामरेड हरसहाय के निधन पर भी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं एटक के भूतपूर्व अध्यक्ष व उपसचिव के निधन पर भी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं इस दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए अन्य सभी कामरेडों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

कामरेड, हम पिछले 24 मार्च से संयुक्त राज्य अमरिका के नेतृत्व में नाटो सैनिक बलों द्वारा भुगोस्लाविया पर जारी विनाशकारी हवाई हमले के तुरन्त बाद मिल रहे हैं। हमें यू एस ए की इस क्रूर कार्यवाही की स्पष्टत रूप से निन्दा करनी चाहिये। अहमदाबाद कार्य समिति की बैठक के बाद यू एस ए द्वारा की गई क्रूरता की यह दूसरी घटना है। पहला अपराध इराक के खिलाफ था जो यू एस ए द्वारा संयुक्त राष्ट्र के बैनर के तले किया गया जो अभी भी खाकी है। लेकिन युगोस्लाविया के मामले में संयुक्त राष्ट्र को अलग-थलग कर दिया गया तथा यू एस ए के नेतृत्व में नाटो अपने आपको विश्व प्रहरी के रूप में दिखाने लगा। सोवियत संघ के पतन के बाद से यू एस ए सभी अन्तर्राष्ट्रीय नियमों, संयुक्त राष्ट्र व विश्व के मतों को धत्ता बताते हुए अपने नेतृत्व में नई विश्व व्यवस्था लाने की शुरूआत की।

युगोस्लाविया के विरुद्ध युद्ध, जो बाल्कन युद्ध की ओर जा सकती है तथा जो अभी भी बहुत गंभीर है, सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में एक स्पष्ट बदलाव को प्रदर्शित करना है। रूप ने पहले ही तृतीय विश्व युद्ध की चेतावनी दे दी है। यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि यू एस ए ने यूगास्लाविया के खिलाफ योजना बहुत पहले बना रखा था जिसका उद्देश्य इसका पूर्ण विभाजन व पूरे बाल्कन प्रदेश में अमरिकन साम्राज्यवाद को थोपना है। युगोस्लाविया के मामले में यू एस ए के पैशाचिक खेल को समझना बहुत आवश्यक है। मैं इस संबोधन में मुख्यत: इसी मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ।

युगोस्लाविया को संघीय गणराज्य कम्युनिस्ट के नेतृत्व में फासीवाद के विरूद्ध स्वतंत्रता संघर्ष से उभर कर आया है। टीटो के नेतृत्व में विभिन्न राष्ट्रों को संगठित किया गया। सोवियत यूनियन का पतन 1981 में युगोस्लाविया में उत्पन्न घटनाओं की भूमिका बनी। साम्राज्यवाद से सह पाकरर उग्र जातीय व धार्मिक राष्ट्रवाद ने युगोस्लाव संघ को समाप्त कर दिया। इस अवधि के दौरान यू एस ए व इसके साथी खासकर जर्मनी लगातार सर्वियन समुदाय द्वारा किये गये यातनाओं को प्रचारित करता रहा क्योंकि वे ही फासीवाद के विरूद्ध संघर्ष के अगुवा थे तथा कट्टर साम्राज्यवाद विरोधी थे जबकि क्रोशियन व मुस्लिम लड़ाकुओं द्वारा किये गये हिंसा को गौण रखा है यू एस ए ने संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना की भूमिका को नजर अन्दाज करते हुए बोस्निया के सर्व जनसमूह पर तेज बमबारी की। तथाकथित 'डेयतन समझौता' को थोंपकर अलग-अलग क्रोश-मुस्लिम तथा सर्व बोस्नियाई क्षेत्र को अस्तित्व में लाया गया तथा यू एस ए सैनिक बल के नेतृत्व में नाटो के 'शांति रक्षक सेना' को बोस्निया हर से गोविना क्षेत्र में प्रवेश मिला। अब युगोस्लाविया के संघीय गणराज्य में सर्विया तथा मोनटेनेग्रो हैं।

युगोस्लाविया पर सीधे बमबारी से अमेरिका की इसे पूर्णत: विभाजित करने की मंशा सामने आ गई है। बोस्निया को उपनिवेश बनाने के बाद अब सर्विया के कोशोबो प्रदेश को इससे अलग करना इसका उद्देश्य है जहाँ अल्बेनियाई बहुतायत में है। सर्व से उनके लम्बे संघर्ष का फायदा उठाकर 'कोशोवो लिवरेशन आर्मी के नाम से अलगाववादी ताकत को शह दिया गया। के एल ए को अमरिका व जर्मन शासक दल का सीधा संरक्षण प्राप्त है तथा अल्बानिया तुर्की व युरोपिय संघ के कहर दक्षिण पंथी ताकतों जो अरबों डालर के नशीली दवाओं के व्यापार से जुड़ा है से आर्थिक सहायता मिलनी है। नशीली दवाओं का पैसा अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था में लाया जाना है तथा यू एस ए व दूसरे नाटो सहयोगियों के संरक्षण में यूगोस्लाविया के विरूद्ध अलगाववादी आपरेशन को आगे बढ़ाने हेतू लगाया जाता है।

इराक की तरह ही युगोस्लाविया में बमबारी के पीछे यू एस ए का उद्देश्य स्लोवोदान मिलोशेविक को सत्ताच्युत करना है क्योंकि सद्दाम हुसैन की तरह ही इन्होंने अपने देश की संप्रभुता को अमेरिका के अधीन करना स्वीकार नहीं किया। यह याद रखने की बात है कि नाजी हिटलर भी सर्ब को अधीन नहीं कर पाया। अब क्लिंटन अपने सोशल डेमोक्रेट सहयोगियों टोनी ब्लेयर व शोरडेर के साथ, हिटलर के 46 चिन्हों पर चलकर बेलग्रेड शहर पर बमबारी करने के कारण इतिहास के गर्त में समा जायेगा।

फरवरी में अमरीकी आस्ट्रेलिया व रूस की अध्यक्षता में पेरिस के निकट रमबाऊलेट में युगोस्लाविया व के एल ए के बीच बातचीत हुई। इसके बाद 15 मार्च को पेरिस में हुई। जबकि राष्ट्रपति स्लोवोदन मिलीसेविक युगोस्लाविया के संघीय व्यवस्था के अन्तर्गत कोसोवो को स्वायत्तता देने को राजी हो गये साथ ही संयुक्त राष्ट्र की सेना की तैनाती के लिए भी, लेकिन अमरिका तथा के एस ए कोसोवो की स्वतंत्रता व नाटो सैनिकों की तैनाती चाहते थे। युगोस्लाविया ने कहा कि यह उसकी संप्रभुता की रक्षा व प्रादेशिक अखंडता का मसला है। लेकिन अमरिका ने अनुसार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में उल्लेखीत राज्यों की संप्रभुता का अब कोई महत्व नहीं रह गया है अत: सभी देशों को अमेरिका के नायकत्व की सपना को पूरा होने देने के लिए अपने राज्यों के विभिन्न प्रदेशों को प्रथक करने हेतु तैयार होना चाहिए। यह ध्यान रखने की बात है कि कोसोवो तेरहवीं शताब्दी से सर्वियन राज्य का हिस्सा रहा है। यह सर्वियन संस्कृति का स्थल है। सर्वियन आर्थोडेक्स चर्च का पीठ अभी भी कोसोवो के पेक में स्थित है। मुसोलिनी फासी ताकत के बल पर छोटी अवधि के लिए 1941-45 के बीच कोसोवो को ब्रहद-बोस्निया का हिस्सा बना दिया जिसके कारण यहाँ अल्बोनियन लोगों की बहुतायत हो गई। अत: सर्व अपने धरोहर को संघर्ष किये बिना नहीं छोड़ सकता चाहे परिणाम कुछ भी हो।

पोलैंड, हंगरी व चेक गणराज्य को अपने में मिलाने के बाद नाटो अब बाल्कन में यू एस के नेतृत्व में साम्राज्यवादी विस्तार के लिए हथियार बन गया है ताकि इस क्षेत्र को बाँटा जा सके। लेकिन स्लोबोडेन मिलोसेविक के नेतृत्व में सर्वियन गणराज्य इसमें बाधक बना हुआ है। अत: इसे ध्वस्त करना उसका उद्देश्य है। लेकिन दो महिने से आधुनिक विनाशकारी बमों द्वारा निर्दयी बमबारी के बावजूद अमरिका अपने उद्देश्य में असफल रहा है। स्लोवोदेन मिलोसेविक अपनी जनता के जबरदस्त समर्थन के कारण इराक के सद्दाम हुसैन के तरह ही अडिग है।

नाटो देशों में आपसी मतभेद उभरने शुरू हो गये हैं। इसका सबसे सच्चा सहयोगी ब्रिटेन को छोड़कर अन्य देशों ने नाटो सैनिक बल के लिए कम ही सहायता दिया है। वास्तव में लड़ाकू विमानों का 90 प्रतिशत; जो अब 1000 की संख्या में है, अमरीका का ही है। इसका ज्यादा वित्तीय भार भी अमरिका द्वारा ही उठाया जाता है। अमेरिका के नेतृत्व में की जा रही नाटो बमबारी को पहले अस्वीकृत करने के बाद अब अमरिका की प्रतिनिधि सभा ने युगोस्लाविया के विरूद्ध हवाई हमला के लिए 13 अरब डालर का पैकेज प्रदान किया है। लेकिन अमरिका अब इस उधेड़बुन में है कि स्थल सैनिक को लगाया जाय या नहीं। क्योंकि इसमें बहुत संख्या में अमरिकन सैनिकों की जानें जायेंगी। इसके अलावा सर्वियन पर्वत श्रृंखला गुरिल्ला युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र रहा है जो विदेशी सैनिकों की बजाय सर्वियन सैनिकों को ज्यादा लाभ पहुँचायेगी। वियतनाम युद्ध का भूत क्लिंटन को भयभीत क रहा है। एक तरफ जबकि दूसरे सहयोगी अपने आपको अमरिका से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं वहीं रूस का विरोध क्लिंटन के लिए गंभीर सोच का विषय बन गया है। जबकि आइ एम एफ के द्वारा रूस में बहुत बड़ी राशि लगाई गई है। महाभियोग कार्यवाही के असफल होने के बावजूद युद्ध के विरूद्ध बड़े संघर्ष के कारण येल्तसिन की स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि नाटो के विस्तार के बाद रूस समझता है कि उसके संप्रभुता के लिए सीधा खतरा उत्पन्न हो गया है। इस परिस्थिति में इसने सैनिक कार्यवाही की देखरेख के लिए जहाज को अन्टाकंटिक भेजा है तथा धमकी दी है कि अगर नाटो में युगोस्लाविया में स्थल सेना का प्रयोग किया तो रूस भी इसमें हस्तक्षेप करेगा। चीन के दूतावास पर जानबूझकर की गई बमबारी ने अमरिका के लिए मामले को और भी खराब कर दिया है। उतेजित विरोध ने चीन में जनसंघर्ष को बहुत बल दिया है जो विश्व के अन्य भागों में शुरू हो गई है। सम्पूर्ण यूरोप व अमरिका में भी बड़े प्रदर्शन हुए जिसका परिणाम हुआ कि नाटो देशों में मतभेद उभरे तथा अमरिका अपने सहयोगियों से अलग-थलग हो गया। इटली में रिफाउन्डेशन कम्युनिस्ट जिसका समर्थन वहाँ की सरकार के लिए जरूरी है ने धमकी दी है कि अगर सरकार युगोस्लाविया पर आक्रमण में अपनी भागीदारी जारी रखता है तो वह समर्थन वापस ले लेगा। इसी तरह फ्रांस में भी सरकार के एक साथी सोशलिस्ट पार्टी में मतभेद उभरे हैं। दूसरे सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी सरकार से अपना तीन मंत्री वापस लेने की धमकी दी है। जर्मनी में भी जहाँ विदेश मंत्री ग्रीन पार्टी से हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी एस डी पी के विरुद्ध पार्टी में चर्चाएँ होने लगी हैं। ग्रीस में सरकार ने आक्रमण के विरूद्ध खुलेआम अपना विरोध जाहिर कर दिया है। ब्रिटेन में भी जनप्रदर्शन यह दर्शाता है कि बहुतायत जनता इस युद्ध के विरुद्ध है। यू एस ए में भी

करीब आधे सिनेटर इस युद्ध के खिलाफ है। मीडिया के भ्रामक रिपोर्ट के विपरीत इस्लामिक ग्रुप के किसी देश ने अमरिका के आक्रमण का समर्थन नहीं किया है। इराक तथा ईरान ने इस बमबारी का खुलकर विरोध किया है। द. अफ्रीका का राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला ने नाटो आक्रमण की भर्त्सना की है। इसी तरह लैटिन अमरिका तथा मध्य एशिया के देशों के अनेक नेताओं ने इसकी निंदा की है। पोप ने भी बमबारी को बन्द करने के लिए भावुक अपील किया है। दलाई लामा भी इस घटना में आशा के विपरीत चीन का समर्थन किया है। बहुत से अल्बेनियाई भी नाटो आक्रमण के विरूद्ध हैं। अल्बानिया, ग्रीस, रूमानिया बुल्गारिया तथा युगोस्लाविया के आठ कम्युनिस्ट पार्टियों ने संयुक्त रूप से आक्रमण की निन्दा की है तथा बाल्कन के जनता से अपील की है कि वो आक्रमण के विरूद्ध संघर्ष को तेज करें।

लेकिन कामरेड, यह कहानी का अन्त नहीं है। हमें अमरिका के नेतृत्व में नाटो के नीतियों के राजनीतिक व वैचारिक पहलुओं के तह तक जाना होगा जिसका संबंध वैभवीकरण व उदारीकरण के वर्तमान नीतियों से है। युगोस्लाविया के विरूद्ध विनाशकारी आक्रमण के दौरान ही नाटो ने अपना पचासवीं वर्ष गाँठ मनाया जिसकी बैठक एक महिने के बमबारी के बाद 23 अप्रैल को वाशिंगटन में हुई। बैठक एक नई खतरनाक सिद्धान्त को प्रतिपादित किया है जो अब सार्वजनिक है लेकिन इराक तथा अन्य देशों के विरूद्ध आक्रमण के दौरान गुप्त था।

पहला इन्होंने सार्वजनिक तौर पर घोषित किया है कि नाटो सदस्यों के अधिकार क्षेत्र से बाहर भी सैनिक कार्यवाही की जा सकती है।

दूसरा, जैसा कि बिल क्लिंटन ने अपने भाषण में कहा कि ''हम लोगों ने नाटो सदस्यों के अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रीय व स्थानीय संघर्ष को संबोधित करने की अपनी इच्छा को पुख्ता किया है।''

ऐसी आधिकारिक नीति की घोषणा जी-7 आइ एम एफ विश्व बैंक व नाटो जैसे फोरम के द्वारा पूर्ण आर्थिक प्रभुत्व कायम करने के प्रयास का परिणाम है। अमरिकन साम्राज्यवाद का यह अधिकारिक घोषणा था कि विश्व में आर्थिक प्रभुत्व कायम करने के लिए वह विश्व में कहीं भी सैनिक हस्तक्षेप कर सकता है। यह विश्व में जारी आर्थिक संकट, जो अमरिका सहित अन्य पूँजीवादी देशों को भयभीत कर रहा है, पर पर्दा डालने के लिए किया जा रहा है। यही कारण है कि वे लोग अपनी युद्ध नीति को मजबूत करना चाहते हैं। यह सिर्फ विश्व शांति के लिए ही खतरा नहीं है बल्कि राष्ट्रों के संप्रभुता के लिए भी खतरा है। यह राष्ट्र-राज्य के पतन को स्पष्ट रूप से दिखाता है जो वैश्विकरण की प्रक्रिया का परिणाम है।

दूसरा बिन्दु जो कि क्लिंटन ने स्वयं ही कहा है, भूमंडलीकरण के विचारधारात्मक प्रचार को दर्शाता है, और कि यह वर्ग नहीं लेकिन ''पहचान भी राजनीति'' है जो कि वास्तविक और सम्बन्धित है समुदाय, रंग, धर्म, इत्यादि की पहचान। इसकी राजनैतिक गतिविधियां इसी विघटनकारी व विखण्डनकारी पहचान पर आधारित हैं। यही रुख हैं जातिद्व सम्प्रदाय व अन्य इसी तरह की तुक्ष विचारधारा है जोकि साम्राज्यवाद को लाभ देती है। यही राजनीतिक व विचारधारात्मक पृष्ठभूमि है जिसमें कि सन् 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद साम्राज्यवादी हमले शुरू होकर आज यूगोस्लाविया पर जारी है।

भारत में भी हम इसी तरह के रुख का अनुभव कर रहे हैं। वर्गीय विचारधारा व वर्ग संघर्ष को जाति और साम्प्रदायिक विचारधारा में बदले जा रहे हैं और इसके साथ-साथ क्षेत्रिय व विघटनकारी आन्दोलनों को भी बढ़ावा मिल रहा है। हिन्दू साम्प्रदायिकता हावी होती जा रही है।

ये हिन्दुत्ववादी शक्तियां सीधे तौर पर तथा खुलेआम अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवादी व साम्राज्यवादी हमलों की सहायता फासीवादी रिंग लीडर के रूप में स्वदेशी का नारा देकर कर रही हैं। लेकिन यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि केवल संगठित मजदूर वर्ग ही दक्षिण पंथी हमलों तथा प्रभुत्व के लिए जंग की साम्राज्यवादियों की मुहिम को रोक सकता है। हमें यह भी अपने दिमाग में रखना है कि क्योंकि राशि राष्ट्र राज्य के जरिये ही अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी अपनी नीतियों को लागू करती है अत: इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनका संगठित मजदूर वर्ग पर सीधा हमला रहता है जिसके द्वारा ये मजदूर वर्ग को वर्ग चेतना की विचारधारा से विमुख करते हैं तथा मजदूर वर्ग को बिरादरी रंग, जाति और क्षेत्रीय ''पहचान की राजनीति'' रूपी विचारधारा में बांटते हैं। लेकिन भूमंडलीयकरण की। विचारधारा और राजनीति के बारे में मजदूर वर्ग का अनुभव है कि साम्राज्यवादी हमला हतोत्साहित हुआ है। यह इस अनुभव के आधार पर है कि विकसित पूंजीवादी देशों में ट्रेड यूनियनों सदस्यता क्लोजर्स के कारण कम होने के बावजूद वहां मजदूर वर्ग के भारी संघर्ष हुए हैं और अन्य देशों

में पिछले कुछ वर्गों में भूमण्डलीयकरण के प्रभावों के विरूद्ध बड़े-बड़े संघर्ष हुए हैं। मुख्यत: संघर्षों का फोकस क्लोजर्स बेरोजगारी, आर्थिक लाभों में कटौती तथा मजदूर विरोधी कानूनों के विरोध में रहा है। इसके साथ-साथ भूमंडलीयकरण के साम्राज्यवादी-सिद्धांतों के विरोध में भी संघर्ष हुए हैं। भारत में भी सन् 1991 से उसी अनुभव के कारण देशव्यापी संघर्ष हुए हैं जिनका जनसंगठनों का राष्ट्रीय मंच एक उपज है।

फिर उसी अनुभव के कारण युगोस्लाविया पर नाटो द्वारा किये गये हमलों तथा उसकी राष्ट्रीय सम्प्रभुता, एकता एवं अखण्डता को समाप्त किये जाने के विरोध में विश्वव्यापी मजदूर संघर्ष हुए हैं। साथियों, यह जिंदगी या मौंत की लड़ाई है। हमें इनसे सबक सीखना चाहिए। वास्तविकता यह है कि कुछ राज्यों में हमारे कुछ संगठनों द्वारा छुट आन्दोलनों के अलावा युगोस्लाविया के साथ एकजुटता तथा साम्राज्यवाद के खिलाफ सीटू व राष्ट्रीय मंच कुछ कम कार्यक्रम ही कर पाये हैं। हमें इसे अब अवश्य करना चाहिए। हमें युगोस्लाविया पर किये जा रहे हमलों को तुरंत रोकने तथा नाटो को समाप्त करने की मांग अवश्य करनी चाहिए। युगोस्लाविया के रहते हुए उसी के अंदर कोसोवो को स्वायत्तता देकर तथा नाटो के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र सभा' की शांति फौज को लगाकर वहां एक राजनैतिक हल निकल सकता है। यह सारी वास्तविकताएं मजदूर वर्ग की जानकारी में लानी हैं ताकि साम्राज्यवादी हमलों के विरूद्ध ट्रेड यूनियनों के संघर्षों को आगे बढ़ाया जा सके।

साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि गम्भीर संकट के दौर से गुजर रही है, पर उदारवादी नीतियों के दुष्परिणामों के बारे में आप महासचिव की रिपोर्ट में देखेंगे। इस रिपोर्ठ में सार्वजनिक क्षेत्र व मजदूरवर्ग के खिलाफ किये जा रहे हमलों के बारे में विस्तार से लिखा है। विश्व की 75 प्रतिशत आजादी को बढ़ती बेरोजगारी के कारण गम्भीर संकट व अभावों में ढकेल दिया गया है, और यह भारत में बहुत ही खतरनाक बिन्दु तक पहुंच गया है। अत: मजदूर वर्ग का यह कर्त्तव्य है कि वह पूंजीवादी व्यवस्था की सीमाओं तथा उसके द्वारा देश के लोगों के लिए पैदा किये गये संकट के बारे में जनता को बताये तथा पूंजीवादी व्यवस्था की नीतियों को नंगा करें। अमेरिका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी देश तीसरी दुनिया के देशों का शोषण करने व उन्हें दबाने के लिए केवल आर्थिक तंत्र का ही प्रयोग नहीं कर रहे बल्कि वे नंगेपन के साथ फौजी कार्यवाही भी कर रहे हैं ताकि वे अपनी निदेशित नीतियां वहां लागू कर सकें। हमें यह महसूस करना चाहिए कि भूमंडलीकरण के कारण बदलती परिस्थितियों में साम्राज्यवाद के साथ सत्ताधारी वर्गों का सहयोग व विरोध करने के चरित्र में भी बदलाव आ रहा है। खासतौर से भा.ज.पा. के शासन काल में सत्ताधारी वर्ग साम्राज्यवादियों के साथ-साथ समझौता व सहयोग करने की ओर ज्यादा झुके हैं। दो सहयोगी प्रक्रियाएं साथ-साथ चल रही हैं एक तरफ सत्ताधारी वर्ग उदारवाद की नीतियां थोपता जा रहा है और दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हिन्दुत्व के दर्शन के तहत समाज पर साम्प्रदायिकता की प्रक्रिया हमलावर तरीके से लादी जा रही हैं। उपरोक्त दोनों प्रक्रियाओं के कारण देश साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए इसकी सार्वभौमिकता को समाप्त करने एकता अखण्डता तथा धर्मनिरपेक्ष आधारशिला को तोड़ने की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। हिन्दुत्व में उभार तथा उदारीकरण के बीच में जो सम्बन्ध है उसे ठीक प्रकार से समझना चाहिए। यह एक अच्छी बात है कि भाजपा सरकार गिर गई। लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है क्योंकि संघ परिवार की हिन्दुत्ववादी शक्तियाँ और भाजपा जो कि इनका राजनीतिक अंग है अभी भी क्रियाशील है। यह सत्ता में दुवारा आने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। मजदूर वर्ग आंदोलन को इसीलिए देश के धर्मनिर्पेक्ष आधार की रक्षा के लिए साम्प्रदायिक खतरे को समाप्त करने के लिए दांव पेच लगाते हुए उदारीकरण की प्रक्रिया को रोकने तथा देश की राष्ट्रीय सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए संघर्ष तेज करने होंगे। दो जुड़वां खतरों के खिलाफ लड़ने के लिए दो तरफा स्ट्रेटेजी बनानी होगी। अभी तत्काल तो ये जुड़वा खतरे भाजपा की ओर से आ रहे हैं। इसलिए हमें अभी निकट भविष्य में होने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा को पूरी तरह हराने के लिए कार्यशील होना है। यह हमारे लिए सबसे बड़ा तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य है।

धन्यवाद

महासचिव की रिपोर्ट

प्रिय साथियो,

अहमदाबाद में दिसम्बर 1998 में आयोजित कार्य समिति की पिछली बैठक के पश्चात् देश के राजनीतिक परिदृश्य में आमूल परिवर्तन हुआ है। उसका प्रभाव हमारे देश के श्रमिक आंदोलन तथा श्रमिक वर्ग पर भी पड़ा है।

1:2 सत्ताधारी गठबंधन में घोर अवसरवाद का बोलबाला होने के कारण केन्द्र में भाजपा सरकार का पतन हुआ। अन्ना द्रमुक पर भाजपा सरकार की पूर्ण निर्भरता की पोल खुल गई। संसद में बहुमत प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अनेक सांसदों की भारी रिश्वत देने के प्रयास किये गए किन्तु इसमें उसे आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली और अन्ततः सरकार को सदन में पराजय का मुंह देखना पड़ा।

1:3 देश भर में बने अनुकूल राजनीतिक वातावरण का उपयोग जनता के हित में तथा साम्प्रदायिकता के विरोध में नहीं किया जा सका क्योंकि मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी ने बाहर से कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने से इन्कार कर दिया था। कांग्रेस भी गैर कांग्रेसी तथा गैर भाजपाई सरकार को समर्थन देने के लिये सहमत नहीं हुई। इसके फलस्वरूप निगरान सरकार के रूप में भाजपा के सत्ता में बने रहने का टाला नहीं जा सका/ भाजपा के एक वर्ग द्वारा प्रयास किये गए कि किसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिये दूसरा अवसर मिल जाए किन्तु भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप लोक सभा भंग कररनी पड़ी और सितम्बर में चुनाव कराने की घोषणा की गई।

1:4 एक के बाद एक घटने वाली इन सभी घटनाओं के फलस्वरूप राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति में पूर्ण परिवर्तन आ गया। विदेशी शक्तियों जिनमें विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी सम्मिलित हैं, ने देखा कि पिछली किसी भी सरकार की अपेक्षा भाजपा सरकार की स्थिति अधिक शोचनीय है। भाजपा सरकार ने किसी भी दूसरी सरकार की तुलना में अधिक शक्ति और उत्साह के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के लगभग सभी निदेशों को लागू किया है। पोखरन नाभिकीय परीक्षण के पश्चात् अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने पर भी अमरीकी साम्राज्यवादियों के प्रवक्ता टालबोट के साथ जसवंत सिंह द्वारा गुप्त वार्ता की जाती रही। भाजपा सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक पैकेज के दबाव के समक्ष पूर्णतया झुकने के लिये तत्पर हो गई, यह पैकेज हमारे राष्ट्रीय हितों को गहरी क्षति पहुंचाना है। इसलिये विदेशी शक्ति को अपना निहित स्वार्थ इसी में दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर सत्ता में बनी रहे; उसके द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की सहायता के लिये प्रमुख भूमिका निभाए जाने की सम्भावना है।

2. देश में बिगड़ती आर्थिक स्थिति

2:1. पिछले एक वर्ष में सभी मोर्चों पर आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा उदारीकरण की कोष/बैंक निदेशित नीति को पूर्ण निष्ठा के साथ कार्यरूप दिये जाने को ही जाता है। उद्योग तथा कृषि दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन की दर निरंतर गिरती चली जा रही है जो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में तीखी मंदे की स्थिति बनने की ओर संकेत देती है।

2:2 उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि की दर पिछले वर्ष के 6.9 प्रतिशत की तुलना में 1998-99 में तेजी से गिर कर 3.8 प्रतिशत तक पहुंच गई। केवल यही नहीं, वर्ष 1998-99 के सभी तिमाहियों में उद्योग की वृद्धि दर निरंतर नीचे की ओर सरकती रही। अप्रैल-जून 1998 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर केवल 4-4 प्रतिशत भी जो दूसरी तिमाही में गिरकर 3.5 प्रतिशत रह गई और तीसरी तिमाही में और अधिक नीचे गिर कर मात्र 2.6 प्रतिशत तक पहुंच गई और पिछली तिमाही में भी उसमें विशेष सुधार नहीं हो सका।

2:3 औद्योगिक प्रगति की दर में तीखी गिरावट का प्रमाण औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि दर की गिरावट को देखकर मिल जाता है। खनन क्षेत्र (कच्चे तेल सहित) में 1997-98 के मध्य 5.5 प्रतिशत से लेकर 1998-99 के मध्य (:) 1.7 प्रतिशत तक की सम्पूर्ण गिरावट आई। इसी प्रकार पिछले वर्ष में मैन्युफेक्चरिंग वृद्धि दर में 6.9 प्रतिशत से गिरावट आई और अप्रैल-दिसम्बर 1998 के मध्य वह मात्र 3.7 प्रतिशत रह गई। इसी अवधि में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि दर में पिछले वर्ष की दर 4.6 प्रतिशत की तुलना में गिरावट आई और वह मात्र 2.8 प्रतिशत रह गई। यह गिरावट टिकाऊ तथा गैर टिकाऊ दोनों प्रकार की वस्तुओं के मामले में आई है। वर्ष 1998-99 के मध्य बिजली

का उत्पादन 1995-96 के बिजली उत्पादन के स्तर से भी नीचे चला गया अर्थात् वर्ष 1995-96 के 379.4 बिलियन किलो वाट्स की तुलना में 1998-99 का विद्युत उत्पादन 329.4 बिलियन किलो वाट्स था और उद्योग द्वारा बिजली की खपत मांग में कमी आने के कारण वर्ष 1990-91 के 44.2 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 1998 में 37 प्रतिशत रह गई।

2:4 भाजपा सरकार के वित्त मंत्री द्वारा अपने हाल ही के बजट भाषण में आतंरिक ढांचे के विकास की लम्बी चौड़ी बातें करने और अपने पहले बजट भाषण में आंतरिक ढांचे के विकास के लिये अनेकानेक भव्य (शानदार) कार्यक्रमों तथा एजेंसियों की घोषणा किये जाने पर भी अप्रैल-दिसम्बर 1998 के मध्य आंतरिक संरचना के क्षेत्र के कार्य प्रदर्शन में तीखी गिरावट आई। उनके अपने ''आर्थिक सर्वेक्षण'' में विचार व्यक्त किया गया था कि आंतरिक ढांचे तथा आधारभूत उद्योगों (विद्युत उत्पादन, कोयला, इस्पात कच्चा तेल, तेल शोध तथा सीमेंट) के विकास की दर अप्रैल-दिसम्बर 1998 के मध्य उसके पिछले वर्ष की उसी अवधि की विकास दर 4.1 प्रतिशत से कम होकर 2 प्रतिशत रह गई। इसी वर्ष कच्चे तेल तथा इस्पात के क्षेत्र का कार्य प्रदर्शन भी समग्र रूप में गिरावट वाला रहा है।

2:5 कृषि के मोर्चे पर भी उतरोत्तर अच्छे मौसमों के रहने पर भी विकास की दर में चौंका देने वाली सीमा तक गिरावट आई है। कृषि उत्पादन का सूचकांक में 1998-99 में पिछले वर्ष में शुद्ध रूप में (-) 6 प्रतिशत की तीखी गिरावट के पश्चात् केवल 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। किन्तु 1998-99 में यह मामूली वृद्धि होने पर भी कृषि उत्पादन का सूचकांक 1996-97 के स्तर से भी नीचे रहा। यही नहीं, अनाज का उत्पादन भी शुद्ध रूप में 1996-97 के 19.94 करोड़ टन की तुलना में 1998-99 में कम होकर 19.53 करोड़ टन रह गया है। इससे पता चलता है कि इस अवधि में प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता में तीखी गिरावट आई है।.

2:6 पिछली जनरल कौंसल बैठक के बाद की अवधि में मूल्यों में भारी वृद्धि देखी गई। इस मूल्य वृद्धि ने अपने पिछले सारे रिकार्ड तोड़ डाले और इसने भाजपा सरकार द्वारा पूरे जोरशोर से अपनाई गई उदारीकरण की नीति के दिवालियापन को उजागर कर दिया। पिछले अप्रैल 1998 के पश्चात् वर्ष को एक उल्लेखनीय अवधि में कुछेक अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में 400 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। प्याज, सब्जियों तथा खाद्य तेलों के मूल्यों में निरंतर वृद्धि होते चले जाने पर भी इन सब दिनों में भाजपा सरकार आकाश को छूने वाले मूल्यों की स्थिति में भी निश्चिंत रही। अप्रैल से उन्होंने देश से हजारों टन प्याज तथा अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात को अनुमति देना जारी रखा। इसके चलते स्थिति बहुत बिगड़ गई जिसका पूरा लाभ काले बाजार का धंधा करने वालों, गल्लाखोरों तथा व्यापारियों द्वारा उठाया गया। इस सम्पूर्ण अवधी में भाजपा सरकार ने जिस ढंग से मूल्यों की स्थिति से निपटा उसकी समीक्षा करने पता चलता है कि उनका पूरा गठबंधन शोक बाजार के व्यापारियों, गल्लाखोरों तथा काला बाजारियों के साथ था और उसे केवल उन्हीं की चिन्ता थी और उसकी नीति जनविरोधी थी। 1998-99 की सम्पूर्ण अवधि में मूल्य वृद्धि का सम्मान दर्शाता है कि अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को भाजपा सत्ता ने सक्रिय बढ़ावा दिया ताकि वह जन साधारण के हितों को क्षति पहुंचा कर भी व्यापारियों तथा गल्लाखोरों के मध्य अपने समर्थकों को प्रसन्न कर सके। अप्रैल दिसम्बर 1998 के मध्य चावल का थोक मूल्य सूचकांक में 44 बिंदुओं (12 प्रतिशत) गेंहू 43 बिन्दुओं (13 प्रतिशत), दालों में 88 बिन्दुओं (20 प्रतिशत) तथा खाद्य तेलों में 43 बिन्दुओं (14 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसी अवधि में अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक 37 बिन्दुओं (14 प्रतिशत) तक बढ़ गया जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में वह केवल 13 बिन्दुओं तक बढ़ा था। विडम्बना तो यह है कि जब मूल्यों में चौंका देने वाली सीमा तक वृद्धि हो रही थी तब भाजपा के आंकड़ा विशेषज्ञ मुद्रा स्फीति में गिरावट पर प्रफुल्लित हो रहे थे। ये नकली आंकड़े विश्व बैंक के प्रभुओं को तो प्रसन्न कर सकते हैं किन्तु इस देश की जनता निरंतर भारी मूल्यों के कमरतोड़ बोझ के नीचे दबी हुई है।

2:7 अर्थव्यवस्था की प्रगति की मंथर गति और उसके साथ निरंतर बढ़ते मूल्यों से यही संकेत मिलता है कि कितनी तीव्र गति से जन साधारण में दरिद्रता अपने पांव फैलाती चली जा रही है।

2:8 मूल्य वृद्धि की पृष्ठभूमि में उत्पादन की कुल लागत में श्रम सम्बन्धी लागत के भाग में प्रकट रूप में हो रही गिरावट से श्रमिकों के वास्तविक वेतनों में गिरावट के सम्मान के साथ-साथ रोजगार में गिरावट का भी पता चलता है। निजी क्षेत्र की एक हजार शीर्ष औद्योगिक इकाईयों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि इस समीक्षा अवधि में उत्पादन की कुल लागत, शुद्ध बिक्री तथा लाभ में श्रमिकों का भाग उदारीकरण की सम्पूर्ण अवधि में कम होता चला गया है। उसी सर्वेक्षण से पता चलता है जैसा कि दिनांक 15-4-98 के बिजनस स्टैंडर्ड ने विचार व्यक्त किया था, कि निजी कार्पोरेट क्षेत्र में श्रमिकों के वेतन बिल की वृद्धि दर 1994 के 19.7 प्रतिशत की तुलना में 1998 में कम होकर 8.3 प्रतिशत रह गई थी। कुल लागत के प्रतिशत के रूप में वेतन बिल 1994 के 7.3 प्रतिशत से नीचे सरक कर 1998 में 6.8 प्रतिशत रह गए और शुद्ध बिक्री के भाग के रूप में वे 7.2 प्रतिशत से नीचे गिर कर 6.3 प्रतिशत रह गए।

2:9 यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वेक्षण के अन्तर्गत आने वाले निजी कार्पोरेट क्षेत्रों में शुद्ध बिक्री की वृद्धि में तेजी से कमी आई है; जो 1995 में 33.1 प्रतिशत थी और 1998 में कम होकर 6.7 प्रतिशत रह गई। शुद्ध बिक्री के एक भाग के रूप में श्रम लागत का सिकुड़ता भाग स्वयं शुद्ध

बिक्री की वृद्धि में तीखी गिरावट की पृष्ठभूमि में इस तथ्य की पोल पूर्णतया खोल देती है कि उदारीकरण के चलते वास्तविक तथा समग्र दोनों ही रूपों में श्रमिकों की आय तथा रोजगार दोनों का ही क्षरण किया है।

2:10 अर्थव्यवस्था में सर्वव्यापी गिरावट की भारत सरकार की विनाशकारी नीति के माध्यम से पुष्ट बनाया जा रहा है; उसका गम्भीर दुष्प्रभाव रोजगार की स्थिति पर भी पड़ा है। संगठित क्षेत्र में नये रोजगार के सृजन में स्पष्ट गिरावट आई है। निरंतर मंदे की स्थिति बनी रहने से असंगठित क्षेत्र में रोजगार की सम्भावनाओं पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है और उसके साथ साथ लघु तथा मंझौले उद्योगों के क्षेत्र में कामबंदी तथा बीमारी की स्थिति और बिगड़ी है। इसके अतिरिक्त नियमित रोजगारों का अस्थायीकरण एवं संविदाकरण करने का सम्मान बढ़ रहा है; इसके फलस्वरूप बिना लागत छंटनी की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है; इसने रोजगार की गुणवत्ता को बहुत सीमा तक प्रभावित किया है।

2:11 भाजपा सरकार उदारीकरण की नग्न वकालत करती है; उसका उद्देश्य निर्यातों में उच्चतर वृद्धि तथा विदेशी निवेश को बढ़ाना है। इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये बहुराष्ट्रीय निगमों तथा भारतीय निर्यातकों को अतिरिक्त उदार छूटें एवं सुविधाएं दी जा रही हैं। भाजपा सरकार द्वारा निर्गम नीति में हाल ही में घोषित किये गए परिवर्तन के फलस्वरूप ओ जी एल 894 वस्तुओं को आयात के लिये प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में से निकाल दिया गया है और निर्यातकों को जीरों ड्यूटी आयात के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहनों की गारंटी दी गई है। इसके परिणामस्वरूप भारत की धरती पर आयात की प्रक्रिया सरल तथा सस्ती हो गई है और भारत के स्वदेशी उद्योग स्वयं भारतीय बाजार में ही हाशिये पर धकेले जाने के खतरे को झेल रहे हैं। दूसरी ओर निर्यातों के मोर्चे पर कार्य प्रदर्शन तीखी गिरावट दर्शाता है। अप्रैल-सितम्बर 1998 के मध्य डालर की दृष्टि से निर्यात में 5 प्रतिशत कमी हुई और शेष वित्तीय वर्ष में वह (निर्यात) कठिनाई से अपनी स्थिति में सुधार ला सका। उसमें डालर की दृष्टि से केवल 1.5 प्रतिशत का आंशिक सुधार लाया जा सका। यह आंशिक सुधार भी निर्यातित वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि करके लाया जा सका था; उनमें 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी जिसका अर्थ है:भारत को अधिक से अधिक मात्रा में अपनी वस्तुएं बाहर भेज कर धन की वापसी की दृष्टि से कम से कम अर्जित करना होगा और इस प्रकार हमारी बहुमूल्य सम्पदा निरंतर बाहर जा रही है। डालर की दृष्टि से निर्यात में गिरावट की इसी प्रक्रिया में आयात के उदारीकरण के परिणामस्वरूप व्यापार घाटे का बढ़ना निश्चित ही हैं; इसका दबाव देश के विदेशी मुद्रा भण्डार पर पड़ेगा। विदेशी निवेश के मोर्चे पर भी स्थिति अत्यंत धूमिल बनी हुई है। सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकानमी (सी एम आइ ई) ने विचार व्यक्त किया है कि गैर ऋण विदेशी निवेश पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल-सितम्बर 1998 के मध्य 75 प्रतिशत तक कम हो गया था और शेष वित्तीय वर्ष में स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

2:12 समग्र रूप में भारत की अर्थव्यवस्था में गहरे मंदे की स्थिति आ रही है। औद्योगिक गतिविधियों की गति मंद होना, औद्योगिक बीमारी की स्थिति और खराब होना, व्यापक कामबंदी और इस्पात कोयला, विद्युत तथा तेल जैसे मूलभूत उद्योगों में उत्पादन में जबरदस्त कर्मी होने के दुष्परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को धूमिल बना रही है; दरिद्रता की स्थिति और बिगड़ने, व्यापक बेरोजगारी, मुद्रा स्फीति में जबरदस्त वृद्धि होने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के मैन्युफैक्चरिंग आधार का विशाल स्तर पर क्षरण हो रहा है। किन्तु इतना सब होने पर भी उदारीकरण के प्रचारकों में संवेदनशीलता उत्पन्न नहीं हुई।

2:13 देश के सत्ताधारी वर्ग ने 1991 से अपनाई गई उदारीकृत नीति की सत्ता के विनाशकारी परिणामों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की है। वे लोग अर्थव्यवस्था का और अधिक उदारीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस शीघ्रता से पेटैंट (एकस्व) संशोधन विधेयक तथा बीना नियामक विधेयक संसद में प्रस्तुत किये गए और कांग्रेस तथा भाजपा के अपवित्र गठबंधन के माध्यम से पारित कराए गए उससे यही पता चलता है कि हमारे नीति निर्धारकों की प्रतिबद्धता विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियों के साथ है; देश के हितों के साथ उनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। सत्ताधारी दल द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि विश्व बैंक के साथ वचनबद्धता के दृष्टिगत सरकार के समक्ष पेटैंट (एकस्व) संशोधन विधेयक को संसद में पारित कराने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था, उसका यह तर्क गलत है। यदि सरकार में थोड़ी-बहुत इच्छा शक्ति होती तो पेटैंट विधेयक को पारित कराने की अपेक्षा पेटैंट के मामले को देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा में किसी और ढंग से निपटाया जा सकता था। अब पेटैंट (एकस्व) संशोधन विधेयक जिसमें सम्बन्धित उत्पाद के मामले में पेटैंट धारक को विवणन अथवा मार्किटिंग के विशेषाधिकारों सम्बन्धी प्रावधान है, के पारित हो जाने के पश्चात् स्वदेशी औषध तथा उससे सम्बन्धित अन्य उद्योगों का कुचला जाना निश्चित है, उसके चलती दवाओं के मूल्यों में कई गुणा वृद्धि हो जाएगी और इन मूल्यों का चुकाना जन साधारण के बूते में नहीं होगा, इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि पर भी उसका विषम दुष्प्रभाव पड़ेगा।

2:14 इसी प्रकार बीमा नियामक प्राधिकरण विधेयक भी देश के वित्तीय क्षेत्र के एक बड़े भाग को विदेशी कम्पनियों के हाथ में दे देने के लिये लाया गया है जो देश तथा जनसाधारण के हितों के लिये अत्यंत घातक है।

2:15 भारत सरकार श्रम कानूनों में भारी परिवर्तन लाकर श्रम बाजार का विनियमन करने के लिये उन्मत्त प्रयास कर रही है। नियोजक अथवा मालिक जब भी इच्छा हो श्रमिकों को रखें और जब चाहे उन्हें निकाल बाहर करें और इसके साथ ही उन्हें श्रमिकों की संख्या कम करने का अधिकार भी हो, इसके लिये उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है।

ट्रेड यूनियन अधिनियम में भी संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि श्रमिक संघों के गठन के मार्ग में अड़चने डाली जा सकें। संविदा श्रम अधिनियम की ओवरहालिंग की जा रही है ताकि स्थायी प्रकृति के कार्यों में भी ठेका अथवा संविदा श्रमिकों की नियुक्ति को कानून सम्मन बनाया जा सके। इसी दिशा में श्रमिकों के साथ सम्बन्ध रखने वाले सभी कानूनों में पूर्णतया बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि श्रमिकों को किनारे किया जा सके और उनके अधिकारों पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही हैं कि भूमंडलीयकरण तथा उदारीकरण की आवश्यकताओं के अनुरूप श्रम कानूनों में संशोधन किया जाएगा क्योंकि श्रम लागत कम बनाए रखने के लिये इसकी नितांत आवश्यकता है। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन करने की घोषणा केवल इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिये की गई है।

2:16 भाजपा सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 के लिये प्रस्तुत किया गया बजट और अधिक शक्ति के साथ उदारीकरण की उसी नीति को जारी रखने के लिये अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। यद्यपि इसी नीति के दुष्परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सर्वव्यापी गिरावट आ गई है। भयानक मंदे की इस पृष्ठभूमि में जब स्वदेशी बाजार सिकुड़ रहा हो तो उस स्थिति में सार्वजनिक निवेश को बढ़ा कर तथा आपातों को नियंत्रित करके रोजगार तथा आज में वृद्धि करने के द्वारा स्वदेशी बाजार का विस्तार किया जाता और इसकेलिये प्रभावी मांग उत्पन्न की जाती। किन्तु बजट सुझाव तो विपरीत दिशा में ही ले जाने वाले हैं। हमने यौक्तिकरण के नाम पर अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष करों को बढ़ा कर, डाक दरों को बढ़ा दिया है, रेलवे भाड़े (रेल बजट के माध्यम से) बढ़ा कर, जब वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बेची जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में बजट प्रस्तुत करने से कुछ दिन पूर्व वृद्धि करके जनसाधारण पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास तथा समाज कल्याण के कार्यों पर व्यय में जबरदस्त कटौती की गई है।

इन सभी कदमों और इनके साथ ही साथ आयात शुल्क में जबरदस्त कटौती किये जाने के चलते स्वदेशी बाजार और सिकुड़ जाएगा और देश में पहले से बनी मंदे की स्थिति और बिगड़ जाएगी। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा विकास की गतिविधियों के लिये सार्वजनिक निवेश में निरंतर कटौती किये जाने के परिणामस्वरूप स्थिति में सुधार होने की रही-सही सम्भावनाएं भी समाप्त होकर रह जाएंगी। इस प्रकार केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक बहाली तथा मंदे की समाप्ति के सम्बन्ध में जो शोर मचाया जा रहा है, वह उनकी कपोल कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

2:17 और इस पृष्ठभूमि में बहुराष्ट्रीय निगमों तथा विदेशी पूंजी के लिये सुविधाएं एवं छूटें बढ़ाई जा रही हैं, विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत की धरती पर डम्पिंग करने पर जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, उस कार्रवाई में भागीदारी की जा रही है; इस सब का दुष्प्रभाव हमारे स्वदेशी उद्योगों विशेष रूप से, मैन्युफैक्चरिंग तथा पूंजीगत सामग्री के क्षेत्र, जो पहले ही मंदे के कारण संकट में है, पर पड़ा है।

2:18 समग्ररूप में अर्थव्यवस्था में गिरावट तथा मंथर गति के दुष्परिणामस्वरूप श्रमिकों तथा जन साधारण का जीवन कष्टपूर्ण होता चला जा रहा है; इस मामले में केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियां ही अपवाद हैं जिनके लाभ भारी भरकम होते चले जा रहे हैं। देश की मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था को विदेशी कम्पनियों के लिये विपणन (मार्किटिंग) केन्द्र के रूप में बदल देने की विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की घृणित खेल पूर्णतया जग जाहिर हो चुकी है। भाजपा सरकार तथा उदारीकरण के प्रचारक इस खेल को सफल बनाने के लिये दिनरात एक कर रहे हैं। उनका यह खेल अर्थव्यवस्था तथा देश को पूर्ण विनाश की ओर ले जाएगा।

3. सार्वजनिक क्षेत्र का "फास्ट ट्रैक" परिसमापन

3:1 पिछले एक वर्ष में हमने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर तेज होते हमलों को देखा है। पिछली सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में कदम उठाते समय थोड़ा बहुत सावधानी से काम लिया गया था और श्रमिक आंदोलन के दबाव के कारण थोक भाव में निजीकरण करने के सम्बन्ध में ऐसा दृष्टिकोण अपनाया गया था जिससे लोगों में भ्रांतियां उत्पन्न हों, किन्तु केंद्र में सत्तारूढ़ वर्तमान भाजपा सरकार ने वे सभी संकोच त्याग दिये हैं और वे लोग पूंजीविनिवेश की बात करते समय सावधानी से काम नहीं लेते और उन्होंने घोषणा की है कि वे केवल पूर्ण निजीकरण चाहते हैं।

3:2 "कारोबार चलाना सरकार का काम नहीं है", यह समाधान पूंजीविनिवेश आयोग द्वारा किया गया। इसलिये सरकार के पीछे रहने की प्रक्रिया तेज हो गई है; यह सब इस तथ्य के होने पर भी हो रहा है कि 1998-99 के वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक उद्यमों के लाभ में बढ़ोतरी (लगभग 33 प्रतिशत) देखी गई।

3:3 बी आइ आर एफ के सम्पूर्ण क्रिया कलाप को जानबूझकर एक धोखा बना दिया गया है। सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौते के समय विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वादा किया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों का निर्धारित समय अवधि के भीतर निजीकरण कर दिया जाएगा। उस स्थिति में सरकार द्वारा की जाने वाली हास्यास्पद कसरत इस दिशा में सरकार के पाखण्डपूर्ण कदमों को ही दर्शाती है; वह कलम की एक जुम्बश से सार्वजनिक उपक्रमों को समाप्त करने की अपेक्षा बी आइ एफ आर के माध्यम से उन्हें धीरे-धीरे पीड़ा देते हुए थोड़ा विलम्ब से समाप्त करना चाहती है ताकि वह अपने इस आडम्बर पूर्ण आचरण से अंततः पूर्ण निजीकरण के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। भाजपा

सरकार के पास इसका कोई बहाना नहीं है। उसने तो आठ सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने की घोषणा कर दी है और अन्य अनेक उपक्रम बली वेदी पर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जबरदस्त जनमत के कारण सरकार के इन प्रयासों को सामाजिक रूप से धक्का पहुंचा है, किन्तु भाजपा सरकार केवल अपने लिये और समय चाहती है; ऐसा हमारा मानना है। सरकारी कोष में से और अधिक धन लगा कर इन इकाईयों का पुनरुद्धार करने, उनकी प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करने अथवा उन्हें कामयाबी पूंजी उपलब्ध कराने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। यही कारण है कि वर्ष 1999-2000 के बजट में इन सार्वजनिक उपक्रमों का पुनरुद्धार करने के लिये धन उपलब्ध नहीं कराया गया। यद्यपि बी आइ एफ आर द्वारा उन आठ इकाईयों के पुनरुद्धार पैकेज बनाए जा चुके हैं। इन मामलों की ''जाँच'' के लिये केवल एक समिति का गठन किया गया; ये मामले एन ए एम सी, बी ओ जी एल, सी सी आइ एल, डब्ल्यू आइ एल, आर आइ सी, एन बी सी, टी ए एफ सी ओ तथा बी पी एम ई एल इत्यादि हैं।

3:4 इन इकाईयों का पुनरुद्धार करने के सम्बन्ध में भाजपा का पाखण्ड उस समय उजागर हो गया उसने आइ ओ सी, गेल, एम टी एन एल, वी एस एन एल, तथा कोंकर जैसी ब्ल्यू-चिप्स कम्पनियों के शेयरों का पूंजीविनिवेश करने का निर्णय ले लिया जबकि ये कम्पनियों राजकोष में भारी धन राशि का योगदान देती हैं।

3:5 निजीकरण की प्रक्रिया तेजी से और सहज ढंग से चले, इसके लिये सरकार प्रत्येक सम्भव कार्रवाई कर रही है ताकि बड़े कारोबारी घरानों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के हितों की रक्षा की जा सके। अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अर्थात् वी आर एस केवल सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों तक ही सीमित नहीं रही अपितु इसका विस्तार करके लाभ पर चलने वाली कम्पनियों को भी इस (योजना) के अन्तर्गत ले आया गया है क्योंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दावे के साथ उनका लाभ मेल नहीं खाता, उनके अनुसार इन कम्पनियों में कर्मचारियों की संख्या उनकी आवश्यकता से अधिक है। इसलिये सरकार उन्हें प्रसन्न करने पर तुली हुई है।

3:6 पूंजीविनिवेश आयोग ने सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री ''स्ट्रेटेजिक बायर्स'' के माध्यम से करने का सुझाव दिया था। इन ''स्ट्रेटेजिक बायर्स'' की पहली किश्त के रूप में 50 प्रतिशत शेयर दिये जाएंगे और प्रबंधन पर भी उनका नियंत्रण होगा। शेष शेयर अथवा सम्पत्ति एक निश्चित समय सीमा के भीतर मोल भाव करके स्ट्रेटेजिक बायर्स को दे दिये जाएंगे।

3:7 इन ब्लू चिप कम्पनियों के शेयरों के मूल्य सरकार द्वारा बाजार के हथकण्डे अपना कर कृत्रिम ढंग से नीचे लाए जा रहे हैं ताकि उन्हें तशतरी में सजा कर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उनकी भेंट चढ़ाई जा सके। निजी कम्पनियों के शेयर मूल्य उस स्थिति में छत चीर कर ऊँचे उठ जाएंगे यदि लाभ में थोड़ी सी भी वृद्धि होती है। किन्तु भारतीय तेल निगम के शेयर क़ा मूल्य 570 रुपये से गिर कर 280 रुपये प्रति शेयर रह गया है, यद्यपि उसने बढ़ा हुआ लाभ दर्शाया है। भाजपा सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय निगमों को राष्ट्रीय सम्पदा सौंप देने की प्रक्रिया को निर्लज्जतापूर्ण ढंग से तेज कर दिया गया था और लाखों-लाख डालर एक हाथ से निकल इसके हाथ में जा रहे हैं। यह स्वदेशी आंदोलन हमें निश्चित रूप से 1949 से पूर्व के आर्थिक परिदृश्य में ले जाएगा जब हमारे सम्पूर्ण औद्योगिक परिदृश्य पर केवल बड़ी विदेशी कम्पनियों का आधिपत्य था।

3:8 तथापि पूंजीविनिवेश के माध्यम से होने वाली आय अपेक्षा से कम है, इसे अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है:

पूंजीविनिवेश के माध्यम से प्राप्त कुल राशि (रुपये करोड़ों में)

1991-92	3,038
1992-93	1,961
1993-94	48
1994-95	5,076
1995-96	362
1996-97	380
1997-98	912
1998-99	1,200

3.8 बीमार तथा अपंग अर्थव्यवस्था में विक्रेताओं को अनेक सुविधाएं अथवा छूटें दिये जाने पर भी पूंजीविनिवेश का मार्ग सरल नहीं होता अर्थात् वह लंगड़ी चाल चलता है। इसलिए सरकार को एक नयी प्रक्रिया का अविष्कार करना पड़ा जिसे शेयरों की पुन: बिक्री अथवा बाई बैक कहा जाता है।

3:10 भाजपा सरकार की इस बाई बैक प्रणाली के माध्यम से भारी धन राशि एकत्रित करने का एक अच्छा एवं अद्‌भुत ढंग मिल गया। सरकार तेल की दृष्टि से समृद्ध कम्पनियों के शेयर भारत के राष्ट्रपति से उसके शेयर पुन: खरीद कर नगद राशि अर्जित करने पर विवश हुई है। भाजपा सरकार ने वर्ष 1998-99 में इस ढंग से 5300 करोड़ रुपये अर्जित किये। तेल कम्पनियों में से उनका निवेश योग्य अतिरिक्त धन इस प्रक्रिया के अन्तर्गत निकाल लिया गया जबकि उनका आधुनिकीकरण तथा विस्तार करने के लिये हमें धन की आवश्यकता थी। ये कम्पनियां इसके परिणामस्वरूप निकट भविष्य में बीमार हो जाएंगी। जब इन कम्पनियों को अपनी प्रौद्योगिकी के प्रोन्नयन अथवा उसका स्तर ऊंचा उठाने के लिये धन की आवश्यकता होगी तो सरकार अपनी वर्तमान नीतियों के अनुसार उस समय उनकी सहायता नहीं कर सकेगी। उस स्थिति में उनका बीमारी के मार्ग पर आगे बढ़ना स्वाभाविक होगा और उसके पश्चात् वे लुप्त प्राय: हो जाएंगी।

3:11 केंद्र की भाजपा सरकार ने पैसा कमाने की एक और विधि शेयरों के क्रास होल्डिंग की खोज निकाली है। इसके अन्तर्गत सरकार धन का अर्जन कर सकती है। इस प्रक्रिया में ओ एन जी सी की ओर से आइ ओ सी का शेयर खरीदा जाएगा और आइ ओ सी की ओर से ओ एन जी सी का शेयर खरीदा जाएगा। ये शेयर बाजार से नहीं अपितु एक बार पुन: भारत के राष्ट्रपति से खरीदे जाएंगे।

3:12 वित्त मंत्री ने वर्ष 1999-2000 के लिये अपने बजट भाषण में सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री/पूंजीविनिवेश के द्वारा 10000 करोड़ रुपये अर्जित करने का लक्ष्य निश्चित किया था। सरकार अपने दायित्वों से और पीछे हट गई है। यहां तक कि वी आइ एस जैसी योजनाओं की पहलकदमी करने से भी वह कतरा रही है। अब इसके पश्चात् आंशिक लाभ पर चलने वाली सार्वजनिक इकाईयों को वी आर एस के खर्चे पूरे करने के लिये बैंकों से ऋण लेना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के प्रकाशित प्रारूप से बाहर जाते हुए गर्व से यह घोषणा की कि इसके पश्चात् उनके सामने केवल निजीकरण का शब्द ही रहेगा पूंजीविनिवेश का नहीं। पाखंड की चादर अन्तत: भाजपा सरकार के द्वारा स्वयं ही अपने चेहरे से उतार दी है।

3:13 श्रमिक आंदोलन ने सरकारी मीडिया तथा कथित विशेषज्ञों और भाड़े के एजेंटों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विरुद्ध चलाए जा रहे विषाक्त दुष्प्रचार का प्रभावशाली ढंग से सामना नहीं किया है। सार्वजनिक उपक्रमों के शुद्ध लाभ के आंकड़े दर्शाते हैं कि उनके लाभों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसे अधोलिखित तालिका में देखा जा सकता है:

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का शुद्ध लाभ (रुपये करोड़ों में)

1994-95	7,187
1995-96	9,574
1996-97	9,992
1997-98	13,725 (37.36% वृद्धि)

3:14 कोयला, इस्पात तथा उर्वरक क्षेत्र ने 1996-97 के पश्चात् अच्छा कार्य प्रदर्शन नहीं दिखाया है, यह एक तथ्य है किन्तु इस पर भी सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ में वृद्धि हुई है।

3:15 1994-95 में सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों ने करों तथा लाभांशों के रूप में केंद्रीय सरकार की 26,400 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया है जबकि उसी वर्ष 2085 निजी कार्पोरेट उद्यमों ने सरकार को करों एवं शुल्क के रूप में केवल 279 करोड़ रुपये का भुगतान किया। सार्वजनिक उद्यमों द्वारा वर्ष 1995-96 में 2205 करोड़ रुपये के लाभांश अर्थात् डिविडैंट का भुगतान किया गया जबकि वर्ष 1996-97 में 3084 करोड़ रुपये तथा 1997-98 में 4051 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया (इकनामिक सर्वे 1998-99)

3:16 सुधारों के बाद की अवधि में भ्रष्टाचार, संदिग्ध उददेश्यों के लिए धन निकालने अथवा गलत ढंग से ऐंठने, उस धन को सट्टा बाजार में लगा देने अथवा छोटे-मोटे गबन की घटनाओं के विषाणुओं ने सम्पूर्ण निजी क्षेत्र को रोग ग्रस्त कर दिया है; इसके परिणामस्वरूप निवेशकों, देश तथा जनता को भारी क्षति झेलनी पड़ रही है। करों में ठग्गी, शुल्कों के भुगतान में धोखादेही, वास्तविक खर्चों से कम अथवा अधिक मूल्य निर्धारित करने जैसी कार्रवाईयां हिमालय की ऊँचाईयों को छू रही हैं। कुछेक लोग तो अरबपति बन रहे हैं जबकि देश डूब रहा है। राजस्व प्राप्ति में कमी होने के कारण स्थिति खराब हो रही है और आर्थिक मंदे के कारण करों की वसूली कम हो गई है किन्तु इस पर भी निजी क्षेत्र छूट पर छूट देने की मांग कर रहा है और ले भी रहा है। वह दिन दूर नहीं जब भारत पूर्णतया दिवालिया हो जाएगा और यहां केवल माफिया के लोग ही शासन करेंगे।

3:17 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कभी भी उस ढंग से देश को नहीं ठगा जिस ढंग से निजी क्षेत्र द्वारा ठगा जा रहा है; भले ही वहां उस उच्च

स्तर पर बहुत भ्रष्टाचार है। स्थिति की मांग है कि हम इन तथ्यों की जानकारी लोगों को दें और सार्वजनिक उद्यमों के विरुद्ध विषाक्त एवं भ्रांतिपूर्ण दुष्प्रचार का और अधिक शक्ति के साथ सामना करें।

3:18 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एक समान प्रकृति के नहीं होते; उनके काम का स्वरूप, उत्पादन सम्बन्धी कार्य प्रदर्शन तथा लाभकारिता अलग-अलग होती है। कुछेक इकाईयां सेवा क्षेत्र अथवा रक्षा उत्पादन में हैं। अब भी उनमें कुछ सांझी कड़ियां विद्यमान हैं और श्रमिकों के लिए वेतन तथा अन्य सेवा लाभों का न्यूनाधिक आधार ढांचा एक जैसा है और उसके साथ-साथ मूल्य निर्धारण प्रणाली भी एक समान है। अब सभी मामलों में सहायता वापस ले ली गई है और अधिकांश मामलों में मूल्य निर्धारण संरचना समाप्त कर दी गई है। इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय स्वरूप में व्यापक अन्तर किया गया है; एक ओर नगद राशि की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध कम्पनियां हैं जबकि दूसरी ओर वे कम्पनियां हैं जिन्हें बीमार कहा जा सकता है। ये बीमार कम्पनियां अपने कर्मचारियों को वेतनों का भुगतान करने की भी स्थिति में नहीं। अत: स्वाभाविक रूप से श्रमिकों के हित भी अलग-अलग ढंग से प्रभावित होंगे। कुछेक कम्पनियों के कर्मचारी अच्छे वेतन मानों के लिए समझौते कार रहे हैं जबकि बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों की एकमात्र चिन्ता यही होती है कि उन्हें अगला वेतन कैसे और कब मिलेगा।

3:19 तथापि यह कहना गलत होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के केवल कुछेक उद्यम स्वस्थ और शेष सभी बीमार हैं। प्रबंधन की उदासीनता, नयी तकनीकी लाने संबंधी कोई कार्यक्रम नहीं होने तथा विस्तार अथवा और अधिक निवेश की कोई योजना नहीं होने जैसे कारकों के चलते सभी उपक्रमों का क्षरण अथवा स्थिति खराब होने के कारण अलग-अलग हैं। अनेक मामलों में तो सार्वजनिक उपक्रम स्वयं सरकार के लिए ही अछूत बन गए हैं। इसके चलते उन पर निजी क्षेत्र तथा अन्यों के हमले और अधिक होने लगे हैं। इस विनाशकारी स्थिति के लिए सरकार की नीतियां ही उत्तरदायी हैं। सार्वजनिक उपक्रमों पर सरकार, निजी क्षेत्र, प्रेस तथा मीडिया द्वारा हमले किये जा रहे हैं।

4. हमारे संघर्ष

4:1 अहमदाबाद कार्य समिति ने 11 दिसम्बर 1998 की सफल हड़ताल की पृष्ठभूमि में श्रमिक वर्ग के संयुक्त आंदोलन को सुदृढ बनाने का निर्णय लिया था। हमने अन्य सहयोगियों के साथ विचार विमर्श किया है और अंतत: राष्ट्रीय जन संगठन मंच ने नयी दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में पेटेंट विधेयक पर सम्मेलनों का आयोजन करने का निर्णय लया। पेटेंट विधेयक के विरुद्ध संसद के समक्ष भी रोष प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई। राष्ट्रीय जन संगठन मंच ने भी अनेक ज्वलंत मुद्दों को लेकर एक मास लंबा अभियान चलाने की योजना बनाई और इस अभियान के अंतर्गत प्रदर्शनों तथा धरनों का कार्यक्रम बनाया गया और इसके लिए जन संगठन मंच के सभी घटकों का समर्थन प्राप्त किया गया। संसद तथा राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थानों के आरक्षण के समर्थन में 12 अप्रैल को एक कार्यक्रम चलाया गया। 19 अप्रैल को मूल्य वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया गया। मई दिवस मनाया गया और उस दिन के कार्यक्रमों में भूमण्डलीकरण तथा सांप्रदायिकता पर विशेष बल दिया गया। 7 मई को एक दिवस मना कर खेत मजदूरों संबंधी विधेयक तत्काल लाने की मांग की गई। 12 मई को सबके लिए शिक्षा और सबके लिए रोजगार कार्यक्रम चलाया गया। हमें इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में सभी राज्य समितियों की रिपोर्ट मिल गई हैं; उन्होंने इन मुद्दों को उठाया है; कुछ श्रमिक संघों ने भी ये कार्यक्रम आयोजित करने की सूचना दी है। तथापि इन कार्यक्रमों के आयोजन सम्बंधी विस्तृत रिपोर्ट हमें नहीं मिली।

4:2 केंद्र में भाजपा सरकार का पतन हो जाने के परिणामस्वरूप देश भर में पूर्ण रूप से एक नया वातावरण बना है और कुछेक श्रमिक संघों की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा सका। हमारी पहलकदमी पर कोयला उद्योग में सक्रिय पांच महासंघों ने कोयला खदानों के निजीकरण के विरोध में 3 तथा 4 मई को दो दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। क्योंकि कुछेक श्रमिक संघ कुछ समय और चाहते थे, इसलिए हड़ताल की तिथियाँ बदलकर 11 तथा 12 मई कर दी गईं। भाजपा सरकार के गिर जाने के कारण इस कार्यक्रम को स्थगित कर देना पड़ा और इन दिनों को देश भर में विरोध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। गोदी एवं बंदरगाह उद्योग में बंदरगाहों के निजीकरण के विरोध में संघर्ष की कुछ और कार्रवाईयों की गई हैं। 11 मार्च को सभी महासंघों ने संयुक्त रूप से बंदरगाहों के निजीकरण के विरुद्ध राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाया। भारतीय वायुपतन प्राधिकरण के कर्मचारियों ने भी भारत में हवाई अड्डों के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बीमा कर्मचारियों ने अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ (ए आइ आइ ई ए) के नेतृत्व में 1.5 करोड़ हस्ताक्षर कराए; इसमें बीमा नियोजन प्राधिकरण विधेयक का विरोध किया गया था; ये विधेयक निजी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों, भारतीय तथा विदेशी दोनों, को बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देता है। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का पुनर्गठन करने के नाम पर उसके निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश के विद्युत इंजीनियरों की हड़ताल का दमन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्मा का उपयोग किया। हिमाचल प्रदेश में नाथपा भाखड़ी ऊर्जा परियोजना के हड़ताली कर्मचारियों को राज्य की भाजपा सरकार द्वारा की गई दमन की बर्बर कार्रवाईयों का सामना करना पड़ा। सैकड़ों हड़ताली श्रमिकों को गिरफ्तार कर लिया गया किन्तु इस पर भी कर्मचारियों की हड़ताल लगभग एक मास तक चलती रही। कर्मचारियों की एकता के फलस्वरूप अन्तत: प्रबंधन को सी आइ टी यू यूनियन के साथ बातचीत करने के लिए विवश होना पड़ा। देश भर के निर्माण श्रमिकों ने हड़ताली श्रमिकों के लिए स्थापित एकजुटता कोष

में 21,000 रुपये का अंशदान दिया है। दृढ़ प्रतिज्ञ संघर्ष चलाने के परिणामस्वरूप पूरे हिमाचल प्रदेश में सी आइ टी यू की प्रतिष्ठा बढ़ी है।

4:3 इसी अवधि में एच एस सी एल, टी ए एफ सी ओ, तथा उत्तर प्रदेश में सीमेंट श्रमिक वेतन का भुगतान कराने के लिए भी बार-बार संघर्ष करना पड़ा। गोआ में मिनीपूल श्रमिकों को वेतन प्राप्त करने के लिए दीर्घावधि तक संघर्ष चलाना पड़ा। गोआ के चौगुले कर्मचारियों को प्रबंधन की प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयों के विरुद्ध संघर्ष में बर्बर दमन झेलना पड़ा। हत्या के एक मामले में सी आइ टी यू कार्यकर्ताओं के सम्मिलित होने का आरोप लगा कर अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया; यह मामला झूठा था और अब भी 51 श्रमिक तथा नेता पुलिस की हिरासत में हैं। नागपुर में इंडोरामा श्रमिकों को प्रबंधन से कुछ सुविधाएं प्राप्त करने के लिए लम्बा संघर्ष करना पड़ा। अनेक उपक्रमों जिनके मामले बी आइ एफ आर के पास भेजे गए हैं, के श्रमिकों को अपने उपक्रमों के पुनरुद्धार की मांग के लिए अनेक आंदोलन चलाने पड़े। ये उपक्रम निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में हैं विशाखापत्तनम में हिन्दुस्तान शिपयार्ड को बहुराष्ट्रीय निगमों से बचाने के लिए देशव्यापी आंदोलन चलाने की दृष्टि से जहाज निर्माण उद्योग में कार्यरत सभी श्रमिकों में एकता स्थापित करनी पड़ी। गोआ शिपयार्ड के श्रमिकों को भ्रष्ट अध्यक्ष के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। अन्ततः सी बी आइ को उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करना पड़ा। सड़क परिवहन उद्योग में सक्रिय श्रमिक संघों द्वारा संयुक्त आंदोलन चलाए गए। वे सड़क परिवहन श्रमिकों की रक्षा में राष्ट्र व्यापी संघर्ष का कार्यक्रम बना रहे हैं। नाविकों और मुम्बई से अगाती लक्षद्वीप तक तेल के आफशोर बेड़ों के श्रमिकों द्वारा हड़तालें की गई जिन्हें शत प्रतिशत सफलता मिली और सरकार को विवश होकर यह मामला अधि निर्णायक के पास भेजकर इसे यथा शीघ्र सुलझाने का अनुरोध करना पड़ा, इसमें यूनियन को मान्यता देने सम्बंधी मामला भी सम्मिलित था। वहां के श्रमिक सी आइ टी यू के झण्डे तले एकत्रित हो गए हैं। इसी संघर्ष के समय मुम्बई के सी आइ टी यू कार्यकर्ताओं पर प्रबंधन के गुण्डों द्वारा हमले करके उनकी हत्या के प्रयास किये गये किन्तु श्रमिकों की दृढ़ता कम नहीं की जा सकी और न ही वे भयभीत हुए। लक्षद्वीप प्रशासन ने यूनियन के धरने पर प्रतिबंध लगा दिया किन्तु दमन होने पर भी श्रमिकों ने अपना संघर्ष जारी रखा। कर्नाटक में अच्छे वेतनों तथा कामकाजी स्थितियों के लिए बी पी एल श्रमिकों के संघर्ष को पुलिस की दमनकारी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा। इसी अवधि में जे एन पी टी (बंदरगाह), मुम्बई में हमारी यूनियन को गुप्त मतदान में पहला स्थान मिला। नौवहन उद्योग में यह हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। बोकारो में, रिफ्रेक्टर इकाई तथा इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड में कार्यरत एच एस सी एल संविदा (ठेका) श्रमिकों को भी वेतन प्राप्ति, वेतन वृद्धि के लिए और प्रबंधन की प्रतिशोधात्मक नीतियों के विरोध में लम्बे समय तक संघर्ष करना पड़ा।

4:4 इस्पात उद्योग में विशेष रूप से दुर्गापुर राउरकेला तथा बोकारो में सी आइ टी यू के साथ सम्बद्ध श्रमिक संघों ने श्रमिकों को गोलबंद करने तथा केपटिव पावर प्लांट्स को बेच देने और विभिन्न डिविजनस को बंद कर देने संबंधी सरकारी प्रयासों के विरुद्ध उन्हें (श्रमिकों को) आंदोलित करने के लिए पहलकदमियां की हैं। राउरकेला में हमारी यूनियन ने हाल ही में जुझारू प्रदर्शन किया है और राउरकेला में विदेशी परामर्शदात्री समिति के प्रवेश को रोक दिया, यद्यपि ऐसा कुछ समय के लिए ही किया जा सका। लोह अयस्क खदानों में भी उत्खनन पट्टी में कामकाजी स्थितियों में सुधार लाने के लिए अनेक संघर्ष किये गए।

4:5 देश भर में और भी अनेक संघर्ष हुए हैं, किन्तु संघर्षों की यह लहर आवश्यकता के अनुसार मजबूत नहीं रही। अनेक संघर्ष लंबे समय तक तो चले किन्तु सरकार ने झुकने से इन्कार कर दिया। इसके दुष्परिणामस्वरूप श्रमिकों में निराशा फैली है। इनमें से अनेक संघर्षों को श्रमिक संघों का एकजुट समर्थन नहीं मिला और ये संघर्ष स्वयं अपने लिये किये जाने वाले संघर्ष मात्र ही बनकर रह गए। इनमें से कुछेक संघर्ष ठोस उपलब्धि प्राप्त किये बिना ही समाप्त हो गए जबकि श्रमिक आशा करते थे कि लम्बे समय तक चले उनके संघर्षों के कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम अवश्य निकलेंगे। किन्तु पूंजीपति वर्ग ने अपनी औद्योगिक इकाईयों को लंबे समय तक बंद रखना ही श्रेयस्कर समझा और श्रमिकों के साथ विवादों का निपटारा करने के लिए वे प्रवृत नहीं हुए। पुलिस की बढ़ती दमनकारी कार्रवाईयां भी एक समस्या है, हमारे अनेक श्रमिक संघों को यह समस्या झेलनी पड़ रही है और श्रमिकों के संघर्षों को दबाने के लिए पुलिस के बर्बर हमले होते हैं।

4:6 इस अनुभव का समुचित ढंग से मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता है। हमें इस क्षेत्र में अपने सम्पूर्ण राष्ट्रीय अनुभवों पर एक साथ विचार करके इनसे उचित शिक्षा ग्रहण करनी होगी ताकि इन संघर्षों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये हम सही ट्रेड यूनियन दांव पेचों का निर्धारण कर सकें। यह भी एक तथ्य है कि 11 दिसंबर की सफल हड़ताल के पश्चात् राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए अच्छे वातावरण को बाद की अवधि में बनाए नहीं रखा जा सका। समय समय पर हमने विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी संघर्षों तथा कार्रवाइयों का आह्वान किया। यद्यपि संघर्ष की ये कार्रवाईयां देशभर में की गई किंतु इनमें श्रमिकों की विशाल भागीदारी न होने के कारण इनका राष्ट्रव्यापी प्रभाव नहीं पड़ सका। इसलिये हमें इस संबंध में अपने सभी अनुभवों पर एक साथ विचार करना चाहिये ताकि राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों के संयुक्त आंदोलन को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया की दुर्बलताओं को समुचित ढंग से दूर किया जा सके। बिगड़ती आर्थिक स्थिति, अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, छंटनियों के रूप में बढ़ते हमले, श्रमिकों के मध्य व्याप्त असंतोष तेजी से बढ़ रहा है और हम इस असंतोष की ऊर्जा का उपयोग बड़े जन आंदोलन में नहीं कर पा रहे हैं। श्रमिकों की पंक्तियों में इस बात को लेकर भी निराशा पाई जाती है।

4:7 बहस में भाग लेने वाले साथी जन आंदोलनों के संबंध में अपने अनुभवों पर प्रकाश डालें ताकि इसका लाभ उठा कर हम अपने आंदोलन का उपयुक्त ढंग से मार्ग दर्शन कर सकें और श्रमिक वर्ग तथा श्रमजीवी के संयुक्त संघर्षों में बड़ी भूमिका निभा सकें।

5. द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग

5:1 केंद्रीय श्रम मंत्री ने 11 जनवरी 1999 को हड़बड़ी में द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के गठन संबंधी भारत सरकार के निर्णय की घोषणा कर दी। आयोग के विचारार्थ विषय संगठित क्षेत्र में श्रम से संबंधित वर्तमान कानूनों को यौक्तिकरण करने और असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिये न्यूनतम संरक्षण को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से 'छाता' कानूनों का सुझाव देना इत्यादि थे।

5:2 श्रम मंत्री ने यह घोषणा करते हुए बताया कि ''राष्ट्रीय श्रम आयोग का मुख्य काम'' वर्तमान कानूनों के योक्तिकरण के लिये सुझाव देना होगा ताकि उन्हें और अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके और भूमण्डलीयकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के किवाड़ खोलने के बदलते संदर्भ में उन्हें उपयुक्त बनाया जा सके।

5:3 सरकार द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन करने संबंधी अपने निर्णय की घोषणा केंद्रीय श्रमिक संगठनों के साथ विचार विमर्श किये बिना ही कर दी गई। सी आइ टी यू ने उस समय कहा था कि यह कार्रवाई श्रम बाजार के विनिमयन के उद्देश्य से की गई है और उसने मांग की थी कि राष्ट्रीय आयोग के विचारार्थ विषयों तथा संरचना के प्रश्न पर केंद्रीय श्रमिक संगठनों के साथ विचार विमर्श किया जाए।

5:4 स्थायी समिति की बैठक 6 फरवरी 1999 को हुई। उस बैठक में भी सुझाव दिया गया था कि आयोग की संरचना तथा विचारार्थ विषयों को नियोजकों तथा श्रमिकों के संगठनों के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात् ही अंतिम रूप दिया जाए।

5:5 किन्तु श्रम मंत्रालय ने केवल पत्राचार के माध्यम से ही श्रमिक संगठनों तथा नियोजकों के संगठनों के विचार जानना ही श्रेयस्कर समझा और उसने इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिये बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं समझी।

5:6 सी आइ टी यू, एटक, एच एम एस तथा इंटक ने 15 मार्च 1999 को एक संयुक्त पत्र के माध्यम से अपने विचार सरकार को भेज दिये। पत्र में कुछ गणमान्य न्यायाधीशों के नामों का प्रस्ताव किया गया था जिन्होंने अतीत में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ श्रम संबंधी मामलों को निपटाया था। इन नामों का प्रस्ताव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में विचार करने के लिये किया गया था। इसमें आयोग के विचारार्थ विषयों के आधार को व्यापक बनाने के लिये भारत के श्रमिकों द्वारा झेली जाने वाली ज्वलंत समस्याओं की जानकारी भी दी गई थी। सरकार से यह मांग भी की गई थी कि वह इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व विचार विमर्श की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिये बैठक बुलाए।

5:7 सरकार द्वारा न बैठक बुलाई गई और न ही केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया गया। लोक सभा के भंग होने तथा आम चुनाव सिर पर आ जाने के कारण देखना होगा कि क्या सरकार इस संबंध में आगे की कोई कार्रवाई करेगी या श्रमिक संगठनों के सुझावों को ठण्डे बस्ते में डाल देगी।

6. त्रिपक्षीय मंच का निष्क्रिय होना

6:1 केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने सत्तारूढ़ होने के पश्चात् दस महीनों से भी अधिक समय तक श्रम संबंधी मामलों पर त्रिपक्षीय विचार विमर्श के लिये कोई पहलकदमी नहीं की। अचानक गहरी निद्रा से उसकी जाग खुली, श्रम मंत्रालय ने 6 फरवरी 1999 को स्थायी श्रम समिति के 35वें सत्र का आयोजन किया और 3 तथा 4 अप्रैल 1999 को भारतीय श्रम सम्मेलन का सत्र आयोजित किया गया।

6:2 स्थायी श्रम समिति ने सितंबर 1997 में आयोजित अपनी बहुमूल्य बैठक के निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पर विचार करने के साथ-साथ भारतीय श्रम सम्मेलन के निष्कर्षों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और इसके अतिरिक्त उसने केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर त्रिपक्षवाद की प्रकृति पर विचार किया।

6:3 भारतीय श्रम सम्मेलन ने कार्रवाई रिपोर्ट पर विचार करने के अतिरिक्त अपनी कार्यसूची के महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार किया जैसे (क) औद्योगिक बीमारी कम करने के उपाय तथा (ख) रोजगार अवसरों को बढ़ाने के उपाय। इस पर भी त्रिपक्षीय मंच खेद के साथ विचार व्यक्त करता है कि त्रिपक्षवाद की प्रकृति अथवा लोकाचार के पालन में गिरावट आ रही है और वह संबंधित मंत्रालय/विभागों से मंत्रियों की आइ एल

सी में भागीदारी न होने पर भी अपनी चिंता व्यक्त करता है। इसके चलते स्थिति तेजी के साथ खराब हो रही है।

6:4 आठ केंद्रीय श्रमिक संगठनों पर आधारित श्रमिकों के पक्ष को दृढ़तापूर्वक त्रिपक्षीय मंच तथा अप्रैल 1999 मे आइ एल सी बैठक में लिये गये उनके निर्णयों के प्रति प्रदर्शित उदासीन व्यवहार पर अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहिये। भारतीय श्रम सम्मेलन जिसे ''भारत की श्रम संसद'' कहा जा सकता है, के दर्जे अथवा स्थिति को पिछले लम्बे समय से क्षति पहुंचाई जाती रही है और उसके सत्रों के महत्व को कम करके उन्हें मात्र ''बातचीत करने वाली दुकान'' बना दिया गया है।

6:5 एस एल सी तथा आइ एल सी की ये बैठकें सरकार के अविश्वसनीय एवं उदासीन रुख के चलते निरर्थक कार्रवाई मात्र सिद्ध हुई। आइ एल सी की अप्रैल में आयोजित बैठक में श्रमिक संगठनों द्वारा अधोलिखित विषयों को उठाया गया था :

6:5:1 भारत सरकार ने खेत मजदूरों के लिये व्यापक कानून बनाने संबंध अपने आश्वासन को दृष्टिलोप कर दिया गया जबकि उस कानून के अन्तर्गत न्यूनतम वेतनों, काम की अच्छी स्थितियों तथा कल्याणकारी कदमों इत्यादि की गारंटी दी गई थी।

6:5:2 विभिन्न श्रम कानूनों जैसे बोनस भुगतान अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, श्रमिकों के लिये क्षतिपूर्ति अधिनियम इत्यादि में पाई जाने वाली वेतन सीमा की समीक्षा नहीं की गई और श्रमिक संघों द्वारा इस प्रकार की सीमाएं समाप्त करने संबंधी की जा रही मांग को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है।

6:5:3 श्रमिकों से संबंधित नीतिगत निर्णयों की घोषणा श्रम मंत्रालय के नाम पर सरकार के अन्य मंत्रियों द्वारा केंद्रीय श्रमिक संगठनों के साथ विचार विमर्श किये बिना ही कर दी गई है; इसकी नवीनतम उदाहरण केंद्रीय वाणिज्य मंत्री द्वारा की गई वह घोषणा है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि श्रम कानून मुक्त व्यापार के अंचलों (फ्री ट्रेड जोन्स) जिन्हें नया नाम दिया गया है, में लागू नहीं होंगे और समाज कल्याण तथा अधिकारिता मंत्रालय ने संस्तुति (सिफारिश) दी है कि 30 प्रतिशत भविष्य निधि तथा पेंशन निधि राशि का निवेश निजी क्षेत्र के ऋणों/शेयरों में किया जाए।

6:5:4 स्थायी श्रम समिति द्वारा भविष्य निधि धन पर जिसे सरकार ने अपने राजकोष में रखा है, पर ब्याज की दर बढ़ाने के लिये बहुत पहले अर्थात् 1997 में दी गई सर्व सम्मत संस्तुतियों (सिफारिशों) पर वित्त मंत्रालय द्वारा बातचीत की गई थी।

6:5:5 औद्योगिक बीमारी का बढ़ता ग्राफ जिसके परिणामस्वरूप रोजगार की भारी क्षति हो रही है, बीमारी को रोकने तथा बीमार इकाईयों का पुनरुद्धार करने के लिये तेजी से कार्रवाई करने की मांग करता है; औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आइ एफ आर) परिसमापक (समाप्त करने वाला) की भूमिका निभा रहा है और सरकार मूकदर्शक बनी बैठी है।

6:6 श्रम मंत्री का केवल एक ही प्रत्युत्तर था कि वह श्रमिक संघों की चिन्ता से प्रधानमंत्री तथा अन्य संबंधित मंत्रियों को अवगत करा देंगे और आइ एल सी के निर्णयों पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित बनाएंगे।

6:7 एक और औद्योगिक कानूनों को लागू करने वाले तंत्र के पूर्णतया धराशायी हो जाने तथा दूसरी ओर शीर्ष त्रिपक्षीय मंच के दर्जे में गिरावट आ जाने के कारण नियोजकों (मालिकों) को अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने की छूट मिल गई है और वर्तमान भाजपा गठबंधन सरकार के अंतर्गत श्रमिक असहाय स्थिति में बैठे हैं।

7. असंगठित क्षेत्र

7:1 चेन्नई में हमने निर्णय लिया था कि सभी राज्यों को छह महीनों के भीतर असंगठित क्षेत्र में राज्य स्तरीय समन्वय समिति समितियों का गठन कर लेना चाहिये। अहमदाबाद बैठक में इस निर्णय को पुन: दोहराया गया। तथापि, अधिकांश राज्य समितियों ने इन समितियों का गठन नहीं किया है। जहां पहले ये समितियां बनाई भी गई थीं वहां पर भी ये उपयुक्त ढंग से काम नहीं कर रही हैं। हमें केवल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल तथा बंगाल से ही राज्य समितियों के काम करने की सूचना मिली है।

7:2 इसी मध्य अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक अहमदाबाद बैठक के पश्चात 8 मार्च को नयी दिल्ली में हुई। बैठक में कुछ कार्यक्रमों का सुझाव दिया गया था जिसमें असंगठित क्षेत्र में हमारे अखिल भारतीय सम्मेलन से पूर्व सितम्बर में दिल्ली संयुक्त सम्मेलन बुलाने का सुझाव भी सम्मिलित था। सम्मेलन के पश्चात् नवम्बर में संसद के शीतकालीन सत्र के समय असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा संसद की ओर अखिल भारतीय मार्च का आयोजन होगा और उसके पश्चात् दिसंबर 1999 में अखिल भारतीय हड़ताल होगी।

7:3 तथापि, बैठक में बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा दिल्ली में केवल 12 साथियों ने भाग लिया। यद्यपि 17 राज्यों में समन्वय समिति में 31 सदस्य हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से कोई भी साथी बैठक में भाग लेने के लिये नहीं आया। हमने अपने रिकार्ड में देखा है कि कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा तथा हिमाचल प्रदेश से पिछले दो वर्षों से किसी ने भी समन्वय समिति की बैठक में भाग नहीं लिया। यद्यपि हमारी सभी राज्य समितियों के साथ सम्बद्ध यूनियनें हैं और ये श्रमिक संघ असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। किन्तु बैठकों में इतनी कम उपस्थिति और जनरल कौंसिल तथा कार्य समिति की बैठकों के लिये गए निर्णयों के लिये प्रत्युत्तर नहीं मिलने के कारण हमारे सामने एक परेशान कर देने वाला चित्र उभरता है और जहां तक अखिल भारतीय आंदोलनों तथा सांगठनिक गतिविधियों का संबंध है, स्थिति और भी परेशान कर देनी वाली है।

7:4 इसलिये सैक्रेटेरियट ने निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय समन्वय समिति द्वारा प्रस्तावित संघर्ष के कार्यक्रमों को बहस तथा निर्णय लेने के लिये जनरल कौंसिल में प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि, अब सरकार गिर चुकी है और सितंबर-अक्टूबर में चुनाव होने जा रहे हैं। जनरल कौंसिल को नयी स्थिति के आलोक में निर्णय लेने चाहिये।

कामकाजी महिलाएं

8:1 हम यहां कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (ए आइ सी सी डब्लू डब्लू) की गतिविधियों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे।

8:2 अनेक राज्यों की सैकड़ों महिलाओं ने 7 मार्च को नयी दिल्ली में ए आइ डी डब्लू ए द्वारा आयोजित महिला महाअधिवेशन में भाग लिया। अखिल भारतीय समन्वय समिति के केंद्र की ओर से उद्योगों तथा कार्यालयों में कार्यरत कामकाजी महिलाओं की अनेक बैठकों का आयोजन किया गया। ये बैठकें दिल्ली तथा फरीदाबाद में की गईं। इसके परिणामस्वरूप 200 महिलाओं को महिला अधिवेशन के लिये लामबंद किया जा सका। इनमें से अधिकांश महिलाओं, ने 8 मार्च (अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर) महिलाओं की संयुक्त जन सभा में भाग लिया और संसद तथा राज्य विधान मण्डलों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग उठाई।

8:3 अखिल भारतीय समन्वय समिति की एक बैठक 9-10 मार्च को नयी दिल्ली में हुई। बैठक में 8 राज्यों से 19 तथा केंद्र की ओर से 3 सदस्यों ने भाग लिया। सी आइ टी यू सैक्रेटेरियट की ओर से आर उमानाथ, कनाई बनर्जी तथा डब्ल्यू आर वरदराजन ने बैठक में भाग लिया। विमल रणदिवे अस्वस्थ होने के कारण बैठक में भाग नहीं ले सकीं। यह दुर्भाग्य का विषय है कि इस महत्वपूर्ण बैठक में कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ।

8:4 अखिल भारतीय समन्वय समिति का गठन होने के पश्चात् अर्थात् पिछले 20 वर्ष के काम की समीक्षा की गई। इस बैठक से मिलने वाले अनुभवों पर सी आइ टी यू सैक्रेटेरिएट ने और आगे विचार किया और अपनी समीक्षा को विशेष बहस के लिये इस बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था।

8:5 भूमण्डलीयकरण तथा कामकाजी महिलाओं पर "वायस आफ वर्किंग विमन" का विशेष अंक मई 1999 में प्रकाशित किया गया।

8:6 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं के अखिल भारतीय महासंघ द्वारा संघर्ष के अनेक कार्यक्रम चलाए गए जो इस प्रकार हैं:

8:7 2-2-1999 को विरोध दिवस मनाया गया: आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा इत्यादि राज्यों में आंगनवाड़ी महिलाओं ने 2 फरवरी को विरोध दिवस सभा कर सी आइ टी यू के आह्वान को प्रत्युत्तर दिया।

8:8 18-2-1999 को केरल, पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश, असम, बिहार तथा अन्य राज्यों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों पर जिला तथा मण्डल स्तरों पर धरनों; जनसभाओं, प्रदर्शनों, पिकटिंग, रेल तथा रास्ता रोको इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

8:9 संयुक्त संघर्ष समिति (एस एस एस) ने दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक विशाल अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई थी, यह सम्मेलन मई मे होना था किन्तु केंद्र के राजनीतिक घटनाक्रम के चलते इसे स्थगित कर देना पड़ा।

8:10 त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश तथा केरल में राज्य स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया।

8:11 पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिये कक्षाएं लगाई गईं।

9. संगठन सम्बन्धी भुवनेश्वर दस्तावेज को लागू करने के सम्बन्ध में

9:1 संगठन सम्बन्धी भुवनेश्वर दस्तावेज पर कार्यान्वयन सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है; यह एक सही समझ है। किन्तु इसके लिये मानिटरिंग तथा समय -समय पर समीक्षा करने की नितांत आवश्यकता है ताकि यह इस प्रक्रिया का चलते रहना सुनिश्चित बनाया जा सके, इस प्रक्रिया की गति मंद न हो और न ही यह प्रक्रिया रुके, इसे भी देखते रहना होगा; संगठन के सम्बन्ध में यह भी एक माना हुआ तथ्य है। सामयिक समीक्षा तथा नियमित मानिटरिंग ऐसे कार्य हैं जिन्हें स्वयं दस्तावेज़ में निर्धारित किया गया था। हमने अक्टूबर 1997 में कार्य समिति की शिमला बैठक में इसकी समीक्षा की थी; इस काम में हमें आंशिक सफलता भी मिली। लगभग डेढ़ वर्ष के पश्चात् इस पर सरसरी दृष्टि डालना और इसके सम्बन्ध में विचार करना उचित ही है; विशेष रूप से उस स्थिति में जब हम शिमला बैठक के पश्चात् इस दस्तावेज के कार्यान्वयन की प्रगति की पूर्ण समीक्षा करने की स्थिति में नहीं थे।

9:2 इसके अनुसार राज्य समितियों तथा महासंघों को एक परिपत्र भेजा गया था; उस परिपत्र में उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपनी सांगठनिक रिपोर्ट यथाशीघ्र भेजें जिसमें भुवनेश्वर दस्तावेज के कार्यान्वयन की प्रगति की जानकारी दी गई हो ताकि महासचिव की रिपोर्ट में संगठन की वास्तविक स्थिति प्रतिबिम्बित हो सके। उसके पश्चात् एक स्मरण पत्र (रिमांइडर) भेजा गया। सात राज्यों तथा कुछ महासंघों से किसी न किसी रूप में रिपोर्ट हमें मिंली है।

9:3 मानिटरिंग तथा समीक्षा के महत्व पर केवल भुवनेश्वर दस्तावेज में ही बल नहीं दिया गया अपितु दस्तावेज पर बहस के समय कार्यसमिति/ जनरल कौंसल के सदस्यों ने भी इस पर बल दिया था। किन्तु यह बात स्पष्ट है कि केन्द्र राज्य समितियों तथा महासंघों द्वारा इस सम्बन्ध में पर्याप्त सहयोग दिये बिना अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह प्रभावशाली ढंग से नहीं कर सकता। केंद्र केवल तभी समीक्षा रिपोर्ट का प्रारूप प्रस्तुत कर सकता है यदि उसे राज्यों तथा महासंघों की ओर से आवश्यक जानकारियां भेजी गई हों। एक बार पुन: कहेंगे कि अधिकांश राज्य समितियों तथा महासंघों द्वारा अपनी-अपनी रिपोर्ट नहीं भेजे जाने के कारण जनरल कौंसल भुवनेश्वर दस्तावेज के कार्यान्वयन की प्राथमिक समीक्षा करने की स्थिति में भी नहीं है। इस स्थिति में हमें स्वयं को केन्द्र के कार्यों से सम्बन्धित संक्षिप्त समीक्षा करने पर ही सीमित रखना होगा और उसके साथ-साथ जो थोड़ी बहुत रिपोर्ट हमें मिली हैं उन पर सामान्य टीका-टिप्पणियां की जा सकती हैं।

केंद्र के कार्य

9:4 दो और साथियों के केंद्र में आ जाने के फलस्वरूप केन्द्र ने साथियों की अपर्याप्त संख्या के कारण उत्पन्न कठिनाईयों को आंशिक रूप से दूर कर लिया है। ये साथी हैं: आंध्र प्रदेश से कामरेड के हेम लता तथा पश्चिम बंगाल से कामरेड अर्धेंदु दाक्षी। अब कामरेड विमल रणदिवे (जो इन दिनों बहुत बीमार हैं) के अतिरिक्त केन्द्र में तीन महिला कामरेड कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर काम कर रही हैं, इसमें आंगनवाड़ी संगठन भी सम्मिलित है। इसके फलस्वरूप हमारे काम को उल्लेखनीय मजबूती मिली है। नये साथियों के केंद्र में आ जाने के कारण निश्चित रूप से केन्द्र के कार्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

9:5 कार्य समिति की शिमला बैठक के बाद की अवधि में केन्द्र की ओर से तीन विषयों पर भाषणों के नोट्स तथा पाठ्यक्रम का प्रारूप भेजा गया। इस पाठ्यक्रम को चेन्नई की जनरल कौंसल बैठक में प्रस्तुत किया गया और सदस्यों से आग्रह किया गया था कि वे उसमें और सुधार लाने के लिये अपने सुझाव दें। अभी तक कहीं से भी हमें कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

9:6 हिन्दी क्षेत्रों के नेताओं की बैठकें होती हैं किन्तु इनकी बारम्बारता उतनी सही नहीं जिसकी अपेक्षा की जा सकती है। निश्चित रूप से कुछ राज्यों में राज्य समितियों के कार्यों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है। ये बैठकें और अधिक लाभप्रद तथा सकारात्मक कैसे बनाई जा सकती हैं, हमें इस पर विचार करना होगा।

9:7 केंद्र की ओर से हिन्दी भाषी राज्यों के साथियों के लिये ट्रेड यूनियन स्कूल लगाया गया। उसमें दो महिलाओं सहित 30 साथियों ने भाग लिया। हिन्दी भाषी क्षेत्र के दो प्रमुख राज्यों बिहार तथा उत्तर प्रदेश से स्कूल में उपस्थिति प्रतीकात्मक थी। यद्यपि यह स्कूल 50 साथियों के लिये लगाया गया था। स्कूल में जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें श्रमिक आंदोलन का इतिहास, सी आइ टी यू का संगठन तथा उसकी अवधारणा और राजनीतिक अर्थशास्त्र तथा नयी आर्थिक नीति। इस कार्यक्रम का समापन हिन्दी क्षेत्र में ट्रेड यूनियन कार्य विषय पर दिन भर चली कार्यशाला के रूप में हुआ।

9:8 कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की एक बैठक हुई। बैठक में उसकी स्थापना के बीस वर्षों में समिति के

कार्यों की समीक्षा की गई। कामरेड उमानाथ ने बहस का समापन किया। सैक्रेटेरिएट के दो और साथियों ने भी बैठक में भाग लिया।

9:9 इसी मध्य वर्किंग क्लास तथा सीटू मजदूर हिन्दी के सम्पादक मण्डल का पुनर्गठन किया गया जबकि वायस आफ वर्किंग विमन के सम्पादक मण्डल का गठन किया गया। उसकी प्रसार संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त ये सभी पत्रिकाएं अपनी साज सज्जा तथा विषय वस्तु दोनों दृष्टियों से समृद्ध हुई हैं।

9:10 केन्द्र में किये जा रहे काम के अतिरिक्त उसके लिये अब राज्य समितियों की सहायता करना सम्भव हो सका; इसका श्रेय कुछ और साथियों की उपलब्धता को जाता है। कुछ राज्यों को केंद्र की सहायता निरंतर मिलते रहने के फलस्वरूप राज्य समितियों के कामकाज में सुधार हुआ है।

9:11 तथापि केन्द्र के कामकाज में कुछ दुर्बलताएं पाई जाती हैं। कार्य समिति की शिमला बैठक में भुवनेश्वर दस्तावेज के कार्यान्वयन पर प्रस्तुत एक आलेख में बताया गया था, ''संगठन के काम में हावी व्यक्तिवादी प्रवृति जो हमारे कार्य प्रदर्शन को अधिक से अधिक लाभप्रद बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ी रुकावट है, को दूर करने के लिये केंद्र ने निर्णय लिया है कि केंद्र में उपलब्ध सैक्रेटेरिएट के सदस्यों की दैनिक अथवा निश्चित अवधि में बैठकें की जाएं; इन बैठकों में सूचनाओं का आदान प्रदान, सामूहिक बहस, दिन प्रतिदिन के कार्यों पर निर्णय लिये जाएं, सचिवों के मध्य काम का विभाजन तथा उसका निरीक्षण किया जाए। इसके अतिरिक्त पूरे महीने के कार्यों के लिये अग्रिम योजना बनाने के उद्देश्य से मासिक बैठकें की जाएं और प्रत्येक तीन मास के अन्तराल में पूर्ण सैक्रेटेरिएट की बैठक बुलाई जाए। इन सब बातों को संगठनात्मक दस्तावेज में समाहित किया गया है।''

9:12 जहां पूर्ण सैक्रेटेरिएट की बैठक नियमित रूप से प्रत्येक तीन मास के अन्तराल में होती हैं वहीं कार्यक्रमों की अग्रिम योजना बनाने के लिये मासिक बैठकें नहीं होतीं। यही नहीं केंद्र में विद्यमान सैक्रेटेरिएट सदस्यों की दैनिक बैठकें जो पहले लगभग नियमित रूप से होती थीं और जिन्होंने केन्द्र में सामूहिक कार्यप्रणाली को विकसित करने में भारी योगदान दिया था, वर्तमान समय में कभी-कभार ही होती हैं। शिमला में रिपोर्ट दी गई थी कि यदि महासचिव उपलब्ध नहीं है तो सैक्रेटेरिएट की बैठक नहीं होती। वर्तमान में महासचिव के कंधों पर अतिरिक्त राजनीतिक दायित्वों का बोझ आ जाने के कारण सैक्रेटेरिएट के अन्य सदस्यों को उनके साथ कर्त्तव्यों के पालन में सहयोग करना होगा। यह व्यवस्था धीरे-धीरे लाई जा रही है। सैक्रेटेरिएट की बैठकें नियमित रूप से करने की प्रक्रिया को और अधिक दृढ़ता के साथ चलाना होगा।

9:13 शिमला आलेख में बताया गया था कि ''लम्बे परीक्षणों, अनुभवों तथा गलतियों से शिक्षा ग्रहण करने के फलस्वरूप केन्द्र दीर्घावधि के लिये सचिवों के मध्य कार्य विभाजन के सुधारे ढांचे को स्थापित करने में सफल रहा है।'' केंद्र में अनेक नये साथी आ गए हैं, उनमें काम का बटवारा हुआ है, वे दिये गए काम को करते हैं:इस सबकी समीक्षा तथा नये सिरे से काम का बटवारा यथाशीघ्र करने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है।''

9:14 एक महत्वपूर्ण कार्य जिसे गलती से नहीं किया गया और जिसे तत्काल किये जाने की आवश्यकता है वह है कार्यकर्ताओं को विचारधारा की दृष्टि से सशक्त बनाने, शैक्षाणिक सामग्री तैयार करने, समाजवादी जागरूकता लाने के लिये सुनियोजित प्रयास करने का कार्य। केंद्र में फासीवाद विचारों वाली साम्प्रदायिक शक्तियों के उभरने के कारण इसकी आवश्यकता विशेष रूप से बढ़ गई है। प्रकाशित साहित्य उपलब्ध कराने के साथ-साथ विभिन्न स्तरों वाले कार्यकर्ताओं के लिये विशेष कक्षा का आयोजन करने और श्रमिकों के लिये सामयिक महत्व के विषयों पर सुरूचिपूर्ण भाषण कराने की आवश्यकता है। अन्य विषयों पर भाषणों के नोट्स भी तत्काल बनाए जाने चाहियें।

9:15 सम्बन्धित राज्य समितियों के साथ विचार विमर्श करके प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सांगठनिक विस्तार के प्रश्न पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, निगमों तथा इजारेदारों के स्वामित्व वाले उद्योगों में सुयोग्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का कार्य प्राथमिकता वाला है; भुबनेश्वर दस्तावेज में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी किन्तु इस ओर केंद्र ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। ऐसा नहीं हैं कि यह काम गलती से छूट गया हो। हिन्दी भाषी क्षेत्र के कुछ राज्यों में उन राज्यों से सम्बद्ध केन्द्र के कुछ साथी इस प्रकार की योजनाएं बनाने में राज्य समितियों की सहायता कर रहे हैं और इसके अच्छे परिणाम निकले हैं। किन्तु केन्द्र अनुभव करता है कि इस सम्बन्ध में और भी बहुत कुछ किया जाना चाहिये।

राज्यों में

9:16 हमें केवल 7 राज्यों तथा एक महासंघ अर्थात् तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश और कंस्ट्रक्शन वरकर्स फेडरेशन आफ इंडिया की ओर से अपनी-अपनी रिपोर्ट भेजी गई है; इस बात का उल्लेख हम ऊपर कर चुकें हैं। उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट भेजने वाले राज्यों में चार राज्य हिन्दी भाषी हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि 2 अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य जहां से हमारी लगभग आधी सदस्य संख्या है, भी उन राज्यों में सम्मिलित हैं, जो अपनी-अपनी रिपोर्ट केन्द्र को नहीं भेज सके। जहां तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा

मध्य प्रदेश की राज्य समितियों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट इस उद्देश्य के लिये बनाई गई थी वहीं आंध्र प्रदेश राज्य समिति ने राज्य महासचिव रिपोर्ट के सांगठनिक भाग की प्रति हमें भेजी है, यह रिपोर्ट हाल ही में सम्पन्न राज्य सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी। बहस का एक आलेख जिसके आधार पर राजस्थान राज्य समिति ने हाल ही में संगठन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया था, हमारे पास है और हमने राजस्थान राज्य समिति को और रिपोर्ट नहीं भेजने की छूट दे दी है। हरियाणा ने भी अपनी राज्य समिति की बैठक के मिन्ट्स की प्रति हमें भेजी है; उसमें संगठन पर बहस का भाग भी सम्मिलित है।

9:17 केंद्र को प्राप्त हुई राज्यों की रिपोर्ट्स दर्शाती हैं कि इन राज्य समितियों ने सामान्यतया जागरूक प्रयास करके भुवनेश्वर दस्तावेज के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को जारी रखा है; उन्होंने इस सम्बन्ध में संगठन के विभिन्न अंगों जैसे राज्य तथा जिला समितियों, महासंघों तथा श्रमिक संघों के कामकाज में सुधार लाने के काम पर विशेष ध्यान दिया है।

9:17:1 इन सभी राज्य समितियों ने विभिन्न स्तरों पर अपने कार्यकर्ताओं में भुवनेश्वर दस्तावेज की प्रतियों का वितरण किया है। कुछ राज्यों ने तो स्थानीय भाषाओं में उसका अनुवाद भी कराया है।

9:17:2 इस दस्तावेज पर राज्य समितियों अथवा राज्य समितियों की विस्तारित बैठकों जिनमें जिला स्तरीय महासंघों तथा राज्य स्तरीय यूनियन नेताओं ने भी भाग लिया था, में विचार किया गया।

9:17:3 कुछेक मामलों में आत्म आलोचनात्मक समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई और उस पर राज्य समितियों में विचार किया गया। उसके पश्चात् उन जिला समितियों तथा श्रमिक संघों में उस रिपोर्ट पर विचार किया गया। कुछेक मामलों में कुछ जिला समितियों द्वारा भी आत्म आलोचनात्मक रिपोर्ट तैयार की गई है।

9:17:4 इन विचार विमर्शों के फलस्वरूप दस्तावेज में दर्शाए गए कार्यों के कार्यान्वयन पर के लिए निर्णय लिये गए।

9:17:5 कार्यों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिये अनेक मामलों में सम्मेलनों, कार्यशालाओं तथा कक्षाओं का आयोजन किया गया।

9:17:6 दस्तावेज के कार्यान्वयन में हो रही प्रगति की राज्य समितियों द्वारा समीक्षाएं की जा रही हैं।

9:18 ऊपर बताए गए सभी कदमों को निश्चित रूप से सभी सातों राज्यों द्वारा समान रूप में नहीं उठाया गया। इस मामले में प्रत्येक राज्य की स्थिति अलग-अलग है। किन्तु निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि इन सभी राज्यों ने दस्तावेज को कार्यान्वित करने के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कोई न कोई कदम तो उठाया ही है और उनके प्रयास जारी हैं।

9:19 इन रिपोर्टों को देखने से पता चलता है कि उनके द्वारा उठाए गए कदमों के कुछ सकारात्मक परिणाम निकले हैं। इन परिणामों की सीमा प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है:

9:19:1 राज्य सैक्रेटेरिएट तथा राज्य समितियों की बैठकों की बारम्बारता पहले की अपेक्षा बढ़ी है।

9:19:2 अनेक मामलों में राज्य सैक्रेटेरिएट द्वारा राज्य समिति में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उस रिपोर्ट पर बहस की गई।

9:19:3 कुछ राज्यों ने राज्य समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति की स्थिति में सुधार होने की सूचना दी है।

9:19:4 कुछ मामलों में कुछ जिला समितियों ने भी अपने कामकाज को सुधारा है।

9:19:5 कुछ मामलों में और कुछ सीमा तक कामकाज की जनवादी पद्धति तथा उसके साथ-साथ समिति के कामकाज में साधारण कार्यकर्ताओं की भागीदारी अर्थात् दोनों ही नियमों का पालन करने का प्रयास किया गया है; इस सम्बन्ध में कितनी सफलता मिली है, यह स्थिति प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है।

9:19:6 कुछ राज्यों में कुछ ट्रेड यूनियन कक्षाएं लगाई गईं। यद्यपि प्रशिक्षण के विशेष कार्यक्रम बहुत कम आयोजित किये गए।

9:19:7 कुछ राज्यों में कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर काम की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

9:19:8 विस्तार योजना के लिये क्षेत्र। उद्योग के मामले में प्राथमिकता निश्चित किये जाने के भी इक्का-दुक्का उदाहरणें मिले हैं।

9:20 इन सकारात्मक पक्षों का उल्लेख करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये सभी सकारात्मक पक्ष सभी राज्यों में नहीं मिलते।

आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट दर्शाती है कि भुबनेश्वर दस्तावेज का उल्लेख किये बिना जिसे वे ''नया स्वरूप देने का कार्यक्रम'' कहते हैं, के अन्तर्गत. संगठन में सुधार लाने के लिये सतत प्रयास किये जा रहे हैं और विस्तृत योजनाएं बना कर सांगठनिक काम किया जाता है। ट्रेड यूनियन शिक्षा तथा कार्यकर्ताओं के विकास में शानदार सफलताएं मिली हैं और संगठन की गतिविधियों का प्रसार भी हुआ है। यद्यपि रिपोर्ट संगठन में अब भी पाई जाने दुबर्लताओं की चर्चा भी करती है।

9:21 एक और राज्य समिति जो संगठन को कारगर बनाने और कामकाज में सुधार लाने के लिये सतत प्रयास कर रही है, वह तमिलनाडु राज्य समिति है। उसने हाल ही में गम्भीरतापूर्वक प्रगति की समीक्षा की थी। इसी प्रकार राजस्थान राज्य समिति भी इस दिशा में गम्भीरतापूर्वक प्रयास कर रही है, यद्यपि उसकी कुछ समस्याएं हैं और उसने इस दिशा में देर से काम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश दस्तावेज को कार्यान्वित करने के लिये अथक प्रयास कर रहा है। मध्य प्रदेश का विशाल भूगोलिक क्षेत्र और उसके अनुपात में कार्यकर्ताओं के उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य समिति के समक्ष अत्यंत गम्भीर एवं कठिन स्थिति बनी हुई है। यद्यपि इस दिशा में उसने कुछ प्रगति की है तथापि प्रगति की गति अपेक्षाकृत मंद है। हरियाणा राज्य समिति अत्यंत विषम परिस्थितियां होने पर भी अपनी गतिविधियों को जारी रखे हुए है। राज्य में एकाधिकारवादी शासन चल रहा है और श्रमिकों तथा श्रमिकों के संघर्षों का जबरदस्त दमन किया जा रहा है। इसके कारण हरियाणा राज्य समिति अपने कामकाज में अधिक सुधार नहीं जा सकी और प्रगति की गति साधारण है।

9:22 केवल कर्नाटक ने पूर्णतया धूमिल चित्र प्रस्तुत किया है। उसकी रिपोर्ट में सामूहिक कामकाजी पद्धति के अभाव, व्यक्तिवाद तथा दस्तावेज में वर्णित अन्य दुर्बलताओं की शिकायत की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है, ''राज्य नेतृत्व राज्य केन्द्र में नेताओं तथा कार्यकर्ताओं का अभाव होने के कारण एक कामकाजी केन्द्र प्रदान करने में विफल रहा है - राज्य विशेष रूप से बंगलौर में उपलब्ध होने वाले नेता एक केंद्र से काम करने के लिये तत्पर नहीं हैं। इस स्थिति में उससे भुवनेश्वर दस्तावेज को कार्यान्वित करने की अपेक्षा करना व्यर्थ है।'' रिपोर्ट में बताया है कि यदि केन्द्र इस ओर उचित ध्यान दे और कामकाज की सामूहिक पद्धति को सुनिश्चित बनाए तो उस स्थिति में ही सांगठनिक समस्याओं का निपटारा किया जा सकता है।

9:23 असम राज्य समिति की रिपोर्ट हमें अंतिम क्षणों में मिली थी। राज्य समिति की बैठक नियमित रूप से होती हैं यद्यपि उसमें सदस्यों की उपस्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ। राज्य केंद्र में कार्यकर्ताओं का अभाव है। राज्य समिति द्वारा शीघ्र ही सांगठनिक समीक्षा की जाएगी। जहां जिला तथा यूनियन के कामकाज के कुछेक मामलों में जनवादी नियमों का पालन किया जाता है वहीं अन्यों में इनकी अनदेखी की जाती है। कुछ क्षेत्रवार समन्वय समितियां काम कर रही हैं। आंगनवाड़ी यूनियन का गठन किया गया है। ट्रेड यूनियन शिक्षा के लिये भी कुछ प्रबंध किया गया है।

फैडरेशन अर्थात् महासंघ

9:24 हमने भुवनेश्वर दस्तावेज में अपने सभी 10 अखिल भारतीय उद्योगवार महासंघों की सूची दी है। जहां एक और दो महासंघ अब समाप्त प्राय: हो चुके हैं वहीं शेष महासंघ ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। किन्तु हमें केवल एक महासंघ अर्थात् कंस्ट्रक्शन वर्करस फेडरेशन आफ इंडिया की रिपोर्ट ही प्राप्त हुई है। एक और महासंघ की ताजा रिपोर्ट भी हमारे पास है। यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं का अखिल भारतीय महासंघ हैं और उसका मुख्यालय सी आइ टी यू कार्यालय में है।

9:25 सदस्य संख्या की दृष्टि से निर्माण श्रमिकों का महासंघ शायद सी आइ टी यू के सभी महासंघों में सबसे बड़ा है। उसकी सदस्य संख्या 2,25,000 है। यह हमारे सर्वाधिक महासंघों में से एक है। हाल ही में विजयवाड़ा में उसका चौथा सम्मेलन हुआ है। उसके महासचिव ने अपनी रिपोर्ट में भुवनेश्वर दस्तावेज के आलोक में सांगठनिक प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा की थी। यह रिपोर्ट केंद्र तथा यूनियन स्तर पर जनवादी तथा सामूहिक कामकाजी पद्धति को विकसित करने की नेतृत्व की इच्छा को प्रतिबिम्बित करती है। उसकी इस इच्छा को देखते हुए हम आशा कर सकते हैं कि यह महासंघ ठोस सांगठनिक सिद्धांतों के आधार पर काम करेगा और उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहेगा।

9:26 हमारा एक और बड़ा तथा सक्रिय महासंघ आंगनवाड़ी महिलाओं का अखिल भारतीय महासंघ (फेडरेशन) है। यह संगठन बढ़ रहा है। 14 राज्यों में इसकी इकाईयों का गठन पहले ही हो चुका है और इसकी कुल सदस्य संख्या लगभग 90,000 है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका सभी महिलाएं ही होती हैं। इसलिए यह महासंघ वस्तुत: एक महिला संगठन ही है। यद्यपि उसमें इक्का-दुक्का पुरुष कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। इस लिए इस महासंघ का एक विशेष महत्व है। जहां यह महासंघ बहुत सक्रिय है वहीं सांगठनिक दृष्टि से यह इन दिनों सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में से गुजर रहा है। अखिल भारतीय केंद्र की बैठकें निश्चित अन्तराल में होती हैं। कुछ राज्य इकाईयां भी अपनी बैठकों तथा सम्मेलनों का आयोजन नियमित रूप से करती हैं। आशा की जानी चाहिये कि यह संगठन केंद्र के प्रभावी निदेशन में आने वाले समय में सदस्य संख्या तथा संगठन दोनों ही दृष्टियों से एक आदर्श संगठन बन जाएगा।

9:27 साथियों, यह भारी खेद का विषय है कि हमारे द्वारा बार-बार स्मरण पत्र भेजे जाने पर भी हमारी अधिकांश राज्य समितियों तथा महासंघों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट हमें नहीं भेजी हैं। इसके दुष्परिणामस्वरूप जनरल कौंसिल की सम्पूर्ण सांगठनिक स्थिति पर सरसरी दृष्टि डालने और भुवनेश्वर दस्तावेज के कार्यान्वयन में प्रगति का विशेष उल्लेख करने के अवसर से वंचित रह गयीं हैं। राज्य समितियों द्वारा अपनी-अपनी रिपोर्ट भेजने में विफल रहने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि संगठन में सुधार लाने के विषय में वे चिन्तित नहीं हैं। उनकी चिन्ता संदेह से परे है। इनमें से कुछेक राज्य समितियां तथा महासंघ दस्तावेज में वर्णित कार्यों को पूरा करने के लिये उचित प्रयास कर रहे हैं और इस दिशा में उन्होंने कुछ प्रगति भी की है, इसमें संदेह नहीं। कुछेक राज्य समितियों की कुछ कठिनाईयां भी हैं। इस प्रकार अपनी अपनी रिपोर्ट भेजने में विफल रहे अनेक महासंघ भी अपने अपने कार्य क्षेत्रों में बहुत सक्रिय हैं। इस्पात श्रमिकों के अखिल भारतीय महासंघ ने हाल ही में अपने अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था और वह नियमित रूप से काम कर रहा है। कोयला श्रमिकों में सक्रिय हमारा महासंघ उद्योग में एक प्रमुख शक्ति है। सड़क परिवहन तथा जल परिवहन श्रमिकों के दोनों महासंघ भी सक्रिय हैं और वे उद्योग में श्रमिकों की उल्लेखनीय संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीड़ी श्रमिकों का महासंघ भी कुछ क्षेत्रों में सक्रिय है। किन्तु यह कहना ठीक नहीं होगा कि सामान्य रूप में रिपोर्ट भेजने के मामले में उनकी विफलता सांगठनिक कार्यों की मानिटरिंग तथा समीक्षा के महत्व की अनुभूति की कमी को दर्शाती है। हम आशा करते हैं कि सम्बन्धित राज्य समितियां तथा महासंघ शीघ्र ही अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और उन्हें केंद्र को भेजेंगे। सैक्रेटेरिएट उनकी सांगठनिक गतिविधियों की समीक्षा करने के लिये तत्पर है और समीक्षा सम्बन्धी आलेख सभी राज्यों को भेजा जाएगा। जहां हम आपको यह आश्वासन देते हैं कि केंद्र अपनी पूरी शक्ति और गम्भीरता के साथ उस कार्य को करेगा, जिसका दायित्व उस पर है वहीं हम यह आशा भी करेंगे कि भविष्य में हमें सभी राज्य समितियों तथा महासंघों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

10. वेरिफिकेशन के सम्बन्ध में

10:1 इस सम्बन्ध में पहले ही सूचना दी जा चुकी है कि वेरिफिकेशन अथवा सदस्यता के सत्यापन सम्बन्धी स्थायी समिति गणना वर्ष के साथ-साथ केंद्रीय श्रमिक संगठनों की सदस्य संख्या के सत्यापन अथवा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया का अगला चक्र चलाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। यद्यपि अनेक चक्रों में चली बातचीत के पश्चात् इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया था तथापि गणना वर्ष पर कोई सर्वसम्मति लाई नही जा सकी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये निदेशों के अनुसार यह मामला उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन सी कोछड़ के पास कोई निर्णय लेने के लिये भेजा गया था। राज्य समितियों से बार बार अनुरोध किया गया था कि वे अपनी 1997 के वार्षिक विवरणियां अर्थात् रिर्टनों तथा सम्बद्धता शुल्क 31 जनवरी 1999 तक भेज दें।

10:2 वक्तव्य (अनुलग्निका-1) दर्शाता है कि वार्षिक विवरणियों (रिटर्न्स) के अनुसार 25-4-1999 तक राज्यवार सदस्य संख्या कितनी है। इससे पता चल जाएगा कि अहमदाबाद बैठक के पश्चात् जहां अन्य सभी राज्यों ने कम से कम थोड़ी बहुत वार्षिक विवरणियां भेजी हैं वहीं बिहार एक मात्र ऐसा राज्य है, जिसने इस सम्बन्ध किसी चिन्ता भावना का प्रदर्शन नहीं किया। दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश जैसी अन्य राज्य समितियों ने भी इस काम पर आवश्यक बल नहीं दिया है और उनके द्वारा अब भी वर्ष 1997 के लिये भारी संख्या में अपनी वार्षिक विवरणियां भेजी जाती हैं। राज्य समितियों को अनुभव करना चाहिये कि केंद्र के ऊपर कितने भारी काम का बोझ है जो उसे रिकार्ड का सम्पादन करने के लिये करना पड़ेगा। इसलिये राज्य समितियों को इस मामले में गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करनी चाहिये।

11. बी टी आर स्मारक कोष

11:1 हमें यह घोषणा करते हुए भारी प्रसन्नता हो रही है कि बी टी आर भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। अब हम बहुत शीघ्र ही अपने भवन में जा सकते हैं। यह हमारे लिये प्रसनन्नता का विषय है कि सी आइ टी यू में हम सब लोगों के प्रयासों और सी आइ टी यू से बाहर हमारे मित्रों के सहयोग के परिणामस्वरूप हम इस निर्माण की परिणति के चरण में पहुंच गए हैं। सी आइ टी यू केंद्र के अतिरिक्त एक ट्रेड यूनियन स्कूल तथा एक शोध केंद्र जिसकी पहले कल्पना की गई थी, नये भवन में काम करने लगेगा। हम अपने यहां एक आधुनिक पुस्तकालय स्थापित करने की योजना बना रहे हैं जो पर्याप्त सामग्री से सुसज्जित होगा। इस सबके लिये हमारे पास निरंतर आवश्यक धनराशि रहनी चाहिये। भवन के रख रखाव पर ही वर्ष में बहुत धन का व्यय होगा। इसके अतिरिक्त बिजली, पानी तथा वेतनों (मानदेय) इत्यादि पर होने वाले खर्चे में भारी वृद्धि हो जाएगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जनरल कौंसिल की विशाखापत्तनम बैठक में राज्य समितियों के लिये कोटा निर्धारित किया गया था।

11:2 आज, हमें दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी कुछ राज्य समितियों ने हमारी अपेक्षाओं के अनुसार पूरी कार्रवाई नहीं की है। बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी उनका कोटा अधूरा पड़ा है और सर्वाधिक शोक का विषय तो यह है कि निर्माण कार्य के अंतिम चरण में धन का अभाव होने के कारण कार्य के सम्पन्न होने में विलम्ब हो रहा है। इसलिये राज्य समितियों को यथाशीघ्र अपने-अपने भाग की राशि का संग्रह पूर्ण कर लेना चाहिये और वह राशि तत्काल केंद्र के पास जमा करा दी जाए। एकमुश्त राशि सावधि जमा खाते में सुरक्षित रखनी पड़ेगी और उससे मिलने वाले ब्याज से बहुत सीमा तक मासिक खर्चे पूर्ण किये जा सकेंगे। इस संदर्भ में हम बी ई एफ आई, ए आइ आइ ई ए, ए आइ एस जी ई एफ, रेलवे तथा अनेक अन्य स्वतंत्र महासंघों एवं संघों के साथियों का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने भारतीय श्रमिक वर्ग के शीर्षक नेताओं में से एक नेता का समुचित स्मारक बनाने के लिये अपना जबरदस्त योगदान दिया है। अब तक एकत्रित हो चुकी धनराशि का विवरण अनुलग्निका-2 में दिया गया है।

12. श्रमिक शिक्षण एवं शोध संस्थान

12:1 सी आइ टी यू सैक्रेटेरियट ने सी आइ टी यू के नये परिसर में श्रमिक शिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया है ताकि अपनी नीतियों के अनुरूप शोध कार्य कर सकें जिससे हमारे श्रमिक आंदोलन को श्रमिकवर्ग के समक्ष उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के निपटारे हेतु समुचित दांवपेचों'का निर्धारण करने में सहायता मिलेगी। गाजियाबाद में संपन्न कार्य समिति की बैठक ने भी इस विषय पर विचार किया है और उसने इस प्रस्तावित संस्थान को ठोस रूप देने का निर्णय लिया है।

12:2 हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिये नियमित रूप से कक्षाएं लगाई जायेंगी ताकि हम पढ़े-लिखे कार्यकर्ताओं की एक टीम बना सकें जो अपने दायित्वों की पूर्ति और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें।

12:3 संस्थान के लिये न्यूनतम 20 लाख रुपये की आवश्यकता होगी ताकि वह सी आइ टी यू द्वारा दिये गये कार्यों को प्रभावशाली ढंग से कर सके। सी आइ टी यू जनरल कौंसिल को इस पर विचार करके इस संबंध में उठाए जाने वाले कार्यों पर कोई निर्णय लेना चाहिये ताकि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायता मिल सके और प्रस्तावित संस्थान यथाशीघ्र स्थापित हो सके और अपना काम शुरू कर सके।

13. सी आइ टी यू के सम्बद्धता शुल्क में संशोधन

13:1 सी आइ टी यू केंद्र को चलाने के खर्चे में उत्तरोत्तर वृद्धि होने तथा अतिरिक्त दायित्वों के चलते सी आइ टी यू केंद्र का खर्चा तेजी के साथ बढ़ रहा है। तथापि उसके अनुसार आय में वृद्धि नहीं हो रही और हमें सी आइ टी यू केंद्र को चलाने में भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सी आइ टी यू के केंद्र में अनेक साथी काम करते हैं, उन्हें बहुत ही कम मानदेय दिया जाता है और उनके वेतन अथवा मानदेय में तत्काल वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है। पुस्तकालय के लिये भी अतिरिक्त धन राशि चाहिये जो उसके लिये पुस्तकें खरीदने तथा उसको अच्छी स्थिति में बनाए रखने की व्यवस्था के लिये अनिवार्य है।

13:2 हम शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी करना चाहते हैं ताकि श्रमिकों की समस्याओं पर शोध कार्य किया जा सके और उसके लिये नियमित रूप में कक्षाओं का आयोजन किया जा सके। इन सब कार्यों के लिये पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है।

13:3 सबसे बढ़कर बात यह है कि हमें कुछ कमजोर क्षेत्र की सहायता देनी पड़ती है ताकि इन क्षेत्रों में श्रमिक आंदोलन को आगे वढ़ाया जा सके।

13:4 अत: पूर्ण सैक्रेटैरियट की बैठक में इन सभी समस्याओं पर विचार किया गया था कि और सी आइ टी यू के सम्बद्धता शुल्क में ऊर्ध्वगामी (ऊपर की ओर) संशोधन सम्बन्धी एक प्रस्ताव जनरल कौंसिल बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

13:5 सम्बद्धता शुल्क की नयी दरें केवल सी आइ टी यू के अगले महाधिवेशन द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किये जाने के पश्चात् ही लागू होगीं।

13:6 इस प्रश्न पर विचार के लिये हमारे समक्ष दो सुझाव हैं। एक- सदस्यता बढ़ने के साथ-साथ सम्बद्धता शुल्क बढ़ाना और उसे प्रति सदस्य एक रुपया प्रतिवर्ष करना, दो- संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों के लिये सम्बद्धता शुल्क की दरें अलग-अलग रखना।

13:7 इस मामले पर जनरल कौंसल सदस्यों को विचार करना चाहिये। सभी साथियों के विचार सुनने के पश्चात् हम पूर्ण सैक्रेटेरियट की बैठक में उपयुक्त निर्णय लेने और सदस्यों के सुझावों पर सी आइ टी यू संविधान में संशोधन के रूप में भी विचार किया जा सकता है।

13:8 हमारे कुछेक श्रमिक संघों की सदस्यता शुल्क की दरें अब भी बहुत कम है। राज्य समितियों को इस पर विचार करना होगा कि ये श्रमिक संघ भी अपने अपने सदस्यता शुल्क में वृद्धि करें ताकि श्रमिक संघों की वित्तीय स्थिति में पर्याप्त सुधार लाया जा सके। श्रमिक संघों की वित्तीय स्थिति में सुधार किये बिना कुछेक श्रमिक संघों के लिये केंद्र के सम्बद्धता शुल्क तथा राज्य समिति की लेवी का भुगतान करना भी कठिन हो जाएगा। हम सबको समस्या के इस पक्ष पर विचार करना चाहिये।

14. सी आइ टी यू की पत्रिकाएं तथा प्रकाशन

14:1 सी आइ टी यू की मासिक पत्रिकाओं में अंग्रेजी में ''द वर्किंग क्लास'' है; वह इस समय अपने प्रकाशन के 29वें वर्ष में चल रही है। उसकी प्रसार संख्या प्रमुख रूप से गैर हिंदी भाषी राज्या में है। ''सीटू मजदूर'' हमारी हिन्दी की मासिक पत्रिका है। वह इस समय अपने प्रकाशन के 21वें वर्ष में है। वह हिंदी भाषी राज्यों की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। ''वायस वर्किंग विमन'' अंग्रेजी में प्रकाशित की जाने वाली मासिक पत्रिका है। वह अपने प्रकाशन के 19वें वर्ष में है। उसकी अधिकांश प्रसार संख्या कुछेक राज्यों तक ही सीमित है।

14:2 सी आइ टी यू केन्द्र हमारे आंदोलन तथा अभियान के साथ प्रासंगिकत विषयों पर अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में विशेष पुस्तिकाओं के प्रकाशन के लिये भी प्रयत्नरत है। किन्तु अभी तक बहुत बड़ी राशि वसूल नहीं की जा सकी और राज्य समितियों तथा श्रमिक संघों द्वारा उनकी बहुत कम प्रतियां ली जाती हैं। इसके दुष्परिणामस्वरूप समय समय पर पुस्तिकाओं के प्रकाशन की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई है।

14:3 अक्टूबर 1997 में कार्य समिति की शिमला बैठक में हमने अपनी पत्रिकाओं तथा प्रकाशनों से संबंधित मामलों पर विचार किया था। बैठक में लिये गए निर्णय के अनुसार हमारी पत्रिकाओं की चंदा दरें प्रत्येक प्रति की दर से बढ़ा दी गई थी ये बढ़ी हुई दरें जनवरी 1998 से लागू हैं। पत्रिकाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिये उल्लेखनीय प्रयास किये गए हैं। उनके पृष्ठों की संख्या बढ़ा दी गई। कवर पृष्ठ की साज सज्जा में सुधार लाया गया। पत्रिकाओं की अन्तर्वस्तु में व्यापकता तथा गहराई लाने के लिये जबरदस्त प्रयास किये गये हैं।

14:4 किंतु इन पत्रिकाओं की प्रसार संख्या बढ़ाने, बकाया बिलों का निपटाया करना, प्रकाशन के लिये रिपोर्ट/सामग्री भेजने जैसे मामलों में हमारी राज्य समितियों तथा सम्बद्ध श्रमिक संघों का प्रत्युत्तर आशाओं के अनुरूप नहीं रहा। ''द वर्किंग क्लास'' अंग्रेजी पत्रिका तथा ''सीटू मजदूर'' हिन्दी पत्रिका दोनों की प्रसार संख्या मात्र पांच-पांच हजार है, जबकि वायस आफ वर्किंग विमन की प्रसार संख्या अब दो हजार हुई है; हमारे लिये यह प्रसन्नता का विषय नहीं हो सकता।

14:5 हमने भारी दु:ख के साथ देखा है नोट किया है कि प्रत्येक पत्रिका की लगभग 30-35 प्रतियां प्रत्येक मास डिलीवर हुए बिना ही हमारे पास वापस आ जाती हैं। कभी कभार तो एजेंसी की प्रतियां भी वापस लौट आती हैं। किन्तु हमें शायद ही कभी ग्राहक-यूनियन से पत्रिकाओं के नहीं मिलने की शिकायत मिली होगी या उन्होंने इसकी जांच करने के लिये हमें कहा होगा। सभी सम्बद्ध श्रमिक संघ अपने सम्बद्धता नियम के अन्तर्गत ''द वर्किंग क्लास'' तथा ''सीटू मजदूर'' के लिये चन्दा भेजते हैं। किंतु इन श्रमिक संघों में पत्रिकाओं के वाचन एवं पठन पाठन के लिये किसी रूचि का प्रदर्शन नहीं होता जबकि उनमें बहुत अच्छी सामग्री दी जाती है जो हमारे अभियान के लिये उपयोगी है।

14:6 एक और बात हमारे ध्यान में लाई गई है। विभिन्न केंद्रों में हमारी पत्रिकाओं के बंडल खोले ही नहीं जाते; वे महीनों तक यथावत पड़े रहते हैं और एक के बाद एक अनेक अंकों का ढेर वहां लग जाता है। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि हमारे श्रमिक संघों के पंजीकृत कार्यालय तथा काम के केंद्र अलग-अलग हैं; वे लोग यदाकदा ही अपने पंजीकृत कार्यालयों में जाते हैं।

14:7 विषय वस्तु, साज सज्जा, भाषा अथवा बहुविधता की दृष्टि से हमारी पत्रिकाओं के में सुधार लाने के लिये आवश्यक है कि हमारे श्रमिक संघ, राज्य तथा जिला समितियां और पाठक गण निरंतर उनमें प्रकाशन के लिये सामग्री भेजें। इस सम्बन्ध में हमें बहुत ही कम सुझाव दिये जाते हैं।

14:8 हमने ''द वर्किंग क्लास'' तथा ''सीटू मजदूर'' के विशेषांकों का प्रकाशन किया था। विशेषांक भूमंडलीयकरण पर थे। इसके लिये मई-जून 1998 के अंक एक साथ निकाले गए थे। केंद्र द्वारा परिपत्र भेजे जाने पर भी अतिरिक्त पत्रियां भेजने के लिये हमें नहीं कहा गया।

14:9 विभिन्न क्षेत्रों में हमारे बिरादराना संगठनों के सदस्यों को पत्रिकाओं के ग्राहक बनाने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। कुछ चुने हुए केन्द्रों

के मुद्दे में वायस आफ वर्किंग विमन के संदर्भ में कुछ प्रयास किये गये हैं। किंतु इन संभावनाओं का पूर्णतया पता नहीं लगाया जा सका।

14:10 'वायस आफवर्किंग विमन' के इस पक्ष पर ''ए आइ सी सी डब्ल्यू के दो दशक- एक समीक्षा'' विषय पर बहस के लिये जारी दस्तावेज में विस्तारपूर्वक विचार किया गया है।

14:11 प्रकाशन के मामले में हमारा एक दुखद अनुभव भी रहा है; हमने श्रमिक आंदोलन पर कामरेड बी टी रणदिवे की रचनाओं की तीन जिल्दों को प्रकाशित करने का निर्णय लिया था। तीनों जिल्दों के पेपरबैंक संस्करण निकाले गए। तीनों जिल्दों का मूल्य 60.00 रुपये रखा गया था। अंतिम बार इन जिल्दों का प्रकाशन दिसंबर 1991 में किया गया था। किंतु ये जिल्दें अभी तक बिकी नहीं और पिछले आठ वर्षों से अधिकांश जिल्दे यथावत हमारे पास पड़ी हैं। इस चिंताजनक स्थिति ने हमें इस दिशा में और आगे काम करने से रोक दिया है। और संपादक मंडल द्वारा चौथी जिल्द के प्रकाशन के लिये काम नहीं किया जा सका।

14:12 हमने इस संबंध में विशेष बिक्री अभियान चलाने पर विचार किया है। यह अभियान सी आइ टी यू के स्थापना दिवस 30 मई से शुरू होगा और इस वर्ष कामरेड बी टी आर के जन्म दिवस 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। सभी तीन जिल्दों का पूर्ण सैट (मूल्य 180 रुपये) 100 रुपये प्रति सैट की दर से बेचा जाएगा। पांच अथवा अधिक सैट खरीदने पर प्रति सैट 25 रुपये की छूट भी दी जाएगी। हम आशा करते हैं कि हमारी राज्य समितियां, औद्योगिक महासंघ तथा संघ (यूनियनें) इस पेशकश से लाभ उठाएंगे और अपने सदस्यों तथा मित्रों के मध्य कामरेड बी टी आर की रचनाओं को बेचने का प्रबंध करेंगे।

14:13 इसके अतिरिक्त हमें इस बैठक में अधोलिखित कार्यक्रम भी बना लेने चाहिये:

(क) प्रकाशनों संबंधी पिछली बकाया राशि केंद्र को भेजना;
(ख) हमारी पत्रिकाओं से संबंधित पुराने बिलों का निपटारा;
(ग) उन एजेंसियों का नवीकरण जो जारी नहीं रहीं; और
(घ) एजेंसी/ प्रतियों की संख्या बढ़ा कर हमारी पत्रिकाओं की प्रसार संख्या बढ़ाना और साथियों व अन्य लोगों से व्यक्तिगत चंदे वसूल करने का अभियान चलाना।

15. अंतर्राष्ट्रीय मामले

15:1 सी आइ टी यू तथा भ्रात् विदेशी ट्रेड यूनियन संगठनों के मध्य सदा बढ़ते संपर्कों तथा विचार विनिमय की प्रक्रिया ने रिकार्ड प्रगति दर्ज कराई है।

15:2 ट्रेड यूनियन कांग्रेस यू के में अंतर्राष्ट्रीय विभाग के प्रमुख माइकल वालश 19 फरवरी को सी आइ टी यू कार्यालय में आए। उन्होंने सी आइ टी यू के महासचिव तथा सैक्रेटेरियट के अन्य सदस्यों के साथ दोनों श्रमिक संगठनों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित ज्वलंत विषयों और भारत तथा यू के में श्रमिक आंदोलन की ताजा स्थिति पर एक घंटे तक बातचीत की।

15:3 सी आइ टी यू के सचिव कामरेड चितब्रत मजूमदार ने हिंद महासागर क्षेत्र ट्रेड यूनियन सम्मेलन की क्षेत्रीय समन्वय समिति की बैठक में भाग लिया। यह बैठक 29-30 मार्च को पश्चिम आट्रेलिया के नगर फ्रिमंटले में हुई थी। इस बैठक में समिति के पांचवें सम्मेलन की तैयारियों पर विचार किया गया था जो अक्टूबर 1999 की दक्षिणी अफ्रीका में होगा। सम्मेलन की मेजवानी दक्षिणी अफ्रीका के ट्रेड यूनियन केंद्र अर्थात् कोसाटू द्वारा की जायेगी।

15:4 एम के पंधे ने व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य विषय पर 15वीं विश्व कांग्रेस में भाग लिया। यह कांग्रेस 11 से 16 अप्रैल तक साओ पोलो (ब्राजील) में संपन्न हुई थी। उन्होंने कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य के रूप में भाग लिया था। पंधे ने इस अवसर का लाभ उठाकर ब्राजील के श्रमिक संगठनों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी विचार किया।

15:5 एम के पंधे जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एवं खदान संगठन (आइ ई एम ओ) के उपाध्यक्ष भी हैं, ने 23-24 अप्रैल तक पेरिस में संपन्न आई ई एम ओ कार्य समिति की बैठक में भी भाग लिया। विद्युत कर्मचारियों के अखिल भारतीय महासंघ के महासचिव डी जानकीरमण ने भी कार्य समिति के एक सदस्य के रूप में इस बैठक में भाग लिया।

15:6 हमने सी आइ टी यू प्रतिमंडलों की विदेश यात्राओं तथा दूसरे देशों से आए बिरादराना संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं का विवरण

भी किया है।

15:7 अणु एवं उद्जन बमों के विरुद्ध जापानी परिषद (जेनसुइक्यो) का 10 सदस्यीय जापानी शांति प्रतिनिधिमंडल 17-30 जनवरी 1999 को भारत की यात्रा पर गया था। उसकी यह यात्रा परमाणु शस्त्रों से मुक्त 21वीं शताब्दी के लिये संयुक्त कार्रवाई के लिये विश्व व्यापी अभियान के अंतर्गत हुई थी। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत संयुक्त रूप से सी आइ टी यू तथा अन्य श्रमिक संघों एवं जन संगठनों द्वारा किया गया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने दिल्ली के अतिरिक्त कलकत्ता, दुर्गापुर, भुवनेश्वर, नागपुर, चेन्नई, कोच्चि, त्रिशूर, कोट्टामय, कोलाम, तिरुवनंथपुरम तथा मुम्बई का भ्रमण भी किया। सी आइ टी यू द्वारा एटक, एडवा, एस एफ आइ, दिल्ली विज्ञान मंच तथा अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन के साथ मिलकर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के सम्मान में अनेक सार्वजनिक संभाओं, बैठकों तथा गोल मेज, बातचीत का आयोजन किया गया।

15:8 जापानी प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली प्रवास के समय भारत के राष्ट्रपति के आर नारायण, पूर्व प्रधानमंत्री आइ के गुजराल, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, सी पी आइ (एम) नेता सीताराम येचुरी तथा सी पी आइ के महासचिव ए बी वर्धन के साथ बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल की परमाणु शस्त्रों के पूर्ण उन्मूलन के अपने अभियान के लिये पक्षों का समर्थन प्राप्त हुआ।

15:9 ईडनवर्ग विश्व विद्यालय का एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 25-2-99 को सी आइ टी यू के केंद्रीय कार्यालय में आया। प्रतिनिधिमंडल एंथरोपोलोजी विभाग के डाक्टर नील थिन (नेता), अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के डेस्मंड वुडे तथा जेसिका क्रोवी पर आधारित था। इस यात्रा का उद्देश्य था गरीब तथा पिछले देशों में कामकाजी लोगों के सहायतार्थ चलने वाली परियोजनाओं को उत्साहित करना और अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग द्वारा चलाए गए विशेष कार्यक्रमों की समीक्षा करना। सी आइ टी यू के सचिव कामरेड तपन सेन ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया।

15:10 भारत, श्रीलंका, नेपाल तथा मंगोलिया सहित कुछ चुने हुए एशियाई देशों में श्रमिकों के शिक्षण की सहायतार्थ आइ एल ओ परियोजना के एक भाग के रूप में 1 सितंबर से 20 सितंबर तक तीन सप्ताहों तक काठमाण्डु में चली कार्यशाला के लिये इस्पात श्रमिकों के अखिल भारतीय महासंघ के प्रणव चक्रवर्ती तथा तमिलनाडु बिजली कर्मचारियों के केंद्रीय संगठन से एस पंचरत्नम को मनोनीत किया गया था।

15:11 16वीं अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता मामले (आइ एस ए) संबंधी सम्मेलन में भाग लेने के लिये एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सी आइ टी यू की ओर से भेजा गया। यह सम्मेलन 28 अप्रैल से 8 मई तक मनीला में हुआ था। इसका आयोजन के एम यू फिलीपीन्स की ओर से किया गया था। यह प्रतिनिधिमंडल तमिलनाडु मेडिकल एण्ड सेल्स रिपर्जेएटिव्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और स्टेट ट्रासंपोर्ट वर्कर्स यूनियन के वरिष्ठ नेता विश्वानाथन; सी आइ टी यू की उत्तरी चेन्नई जिला समिति के सचिव तथा राज्य समिति के सदस्य टी नारायणन; एयर कार्पोरेशन इम्पलाइज यूनियन की कलकत्ता इकाई की नेत्री संघमित्रा चक्रवर्ती तथा रोज विमला किसपोटा पर आधारित था।

15:12 के एम यू द्वारा यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। पिछले अनेक वर्षों से सी आइ टी यू नियमित रूप से उसमें भाग लेता रहा है।

15:13 फेटीकोम (एफ ई टी आइ सी ओ एम) द्वारा 28 अफैल से 1 मई तक साओ पोलो (ब्राजील) में तृतीय स्टेचुटरी कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस कांग्रेस में सी आइ टी यू से संबद्ध निर्माण श्रमिकों के अखिल भारतीय महासंघ का प्रतिनिधित्व उसकी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हरिन्दर सिंह ने किया। सी आइ टी यू प्रतिनिधिमंडल ने इस अवसर का लाभ उठाकर निर्माण श्रमिकों की ब्राजीली ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं और कांग्रेस में भाग लेने वाले अन्य बिरादराना प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों के साथ द्विपक्षीय मामलों पर लाभप्रद विचार विनिमय किया। सी डब्ल्यू एफ आइ के सम्मेलन में यू के, आस्ट्रेलिया, मिश्र तथा बंगलादेश से आए विदेशी प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया।

15:14 कामकाजी महिलाओं की कर्नाटक राज्य समन्वय समिति की संयोजक एस वरलक्ष्मी ने व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वस्थ्य विषय पर 22-25 अप्रैल को काठमाण्डु में आयोजित कार्यशाला बनाम संगोष्ठी में सी आइ टी यू का प्रतिनिधित्व किया। इसका आयोजन पी आर आइ ए द्वारा किया गया था। सम्मेलन में उन्हें दक्षिणी एशिया के अन्य ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का अवसर भी मिला।

16. आगामी चुनाव तथा हमारे कार्य

16:1 13वीं लोकसभा के चुनाव जो संभवत: सितंबर 1999 में होने जा रहे हैं, भारत के भविष्य के लिये बहुत निर्णायक होंगे। ये चुनाव अत्यंत जटिल परिस्थितियों में हो रहे हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों का ध्रुवीकरण अभी होना शेष है। कांग्रेस तथा भाजपा यहां तक संभव हो सके

अधिक से अधिक सहयोगी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु दोनों ही शिविरों में असंतोष की चिंगारियां सुलग रही हैं। तीसरे मोर्चे ने अभी ठोस रूप नहीं लिया है। जबकि लोगों में स्थिति भ्रांतिपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के भीतर जबरदस्त असंतोष व्याप्त है, उसके चलते अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हो गई है और आने वाले समय में वह गंभीर मोड़ ले सकती है। यद्यपि कांग्रेस तथा भाजपा गठबंधन दोनों दावा कर रहे हैं कि वे स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेंगे किंतु यह कहना संदेह से परे नहीं है कि क्या कोई एकमात्र गठबंधन स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके केंद्र में सरकार बना सकेगा।

16:2 भाजपा निगरान सरकार के रूप में अपनी स्थिति का निर्लज्जतापूर्वक उपयोग कर रही है। वह बड़े राजनीतिक निर्णय ले रही है जिनकी किसी निगरान सरकार से अपेक्षा नहीं की जा सकती। अनेक अधिकारियों का भयानक तबादला कर देना, पश्चिम बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश के राज्यपालको जबरदस्ती सेवा निवृत कर देना, दलगत स्वार्थों के लिये इलेक्ट्रानिक मीडिया का निर्लज्ज उपयोग, समाचार पत्रों में पूरे पृष्ठ के विज्ञापन देना और भाजपा की छवि को उज्जवल करने के लिये करोड़ों रुपये खर्च करना इत्यादि ऐसे प्रमुख कदम हैं जो भाजपा चुनावों में विजय प्राप्त करने के लिये उठा रही है। बहुराष्ट्रीय निगम तथा विदेशी शक्तियां भी भाजपा के प्रचार अभियान के लिये नैतिक तथा भौतिक दोनों ही दृष्टियों से सहायता देने के लिये भरसक प्रयास कर रही हैं। जहां भाजपा गठबंधन सांझे चुनाव घोषणापत्र की बात करता है वहीं दूसरी और विश्व हिंदु परिषद तथा आर एस एस के अन्य संगठनों ने हिंदु जनता में शावनवाद को उभारने के उद्देश्य से हिंदुत्व की अपनी कार्यसूची पर काम करना शुरू कर दिया है।

16:3 जहां भारतीय अर्थव्यवस्था गिरावट की ओर अग्रसर है और सरकार के राजकोष में आवश्यक धन का अभाव है वहीं भाजपा अपनी छवि को सुधारने के लिये धन का अपव्यय कर रही है ताकि वह चुनावों में विजय प्राप्त कर सके। चुनाव आयोग द्वारा अभी तक चुनाव कार्यक्रम का प्रकाशन नहीं किया गया जिसका पूरा लाभ भाजपा उठा रही है। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनावों के साथ होने की संभावना है। विभिन्न राज्यों में घटने वाली घटनाएं अलग-अलग रूप ले रही है। चुनाव परिणामों के मामलों में राष्ट्रीय गठबंधन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वह्न भी कर सकते हैं। यद्यपि कांग्रेस तथा भाजपा दोनों दलों द्वारा स्थिरता लाने का दावा किया जा रहा है; यद्यपि उनका तर्क पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिये ही है। इन दोनों दलों की आर्थिक नीति एक समान है अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्व बैंक के समक्ष आत्मसमर्पण करना। अत: चुनावों में इन दलों को सुदृढ़ बनाने के फलस्वरूप जनसाधारण को कोई राहत नहीं मिलेगी। इसके विपरीत आर्थिक स्थिति और अधिक बिगड़ जायेगी।

16:4 इन चुनावों में भाजपा को पराजित करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है। श्रमिक वर्ग को इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी उसे भाजपा को हराना होगा जिसने देश को बरबादी के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है।

16:5 सी आइ टी यू सैक्रेटेरियट ने निर्णय लिया है कि उसके साथ संबद्ध सभी श्रमिक संघ आने वाले समय में भाजपा सरकार द्वारा अपने 13 महीनों के शासनकाल में निभाई गई भूमिका के विरुद्ध प्रचार अभियान चलाएंगी। एक पुस्तिका प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें भाजपा सरकार की भूमिका का वर्णन किया गया होगा और भाजपा सरकार की प्रतिक्रियावादी नीतियों को परास्त करने की अत्यावश्यकता से श्रमिक वर्ग को शिक्षित किया जाएगा। यह पुस्तिका जून तक पूर्ण हो जाएगी। इसे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित कराना चाहिये ताकि देशभर में शक्तिशाली प्रचार अभियान कर जनता को देश तथा अर्थव्यवस्था के ऊपर मंडरा रहे खतरे से अवगत कराया जा सके।

16:6 हमें आर्थिक नीतियों जिनकी वकालत कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है, के खतरनाक परिणामों से भी श्रमिक वर्ग को शिक्षित करना होगा और उसे बताना होगा कि किस प्रकार इस पार्टी की आर्थिक नीतियां राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की सहायता करने के साथ-साथ इस देश को ही बरबाद कर रही हैं।

16:7 एक ऐसे वातावरण में जब राष्ट्रीय महत्व के मुददों को पृष्ठभूमि में धकेला जा रहा हो, होने वाले चुनाव अभियान में सांप्रदायिक, जातिवादी तथा क्षेत्रीय प्रचार भी संभवत: महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सी आइ टी यू के साथ सम्बद्ध श्रमिक संघों को इस अवधि में राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति के इस प्रतिगामी रुझान के विरुद्ध अभियान चलाना होगा। ये रुझान स्वयं श्रमिक वर्ग की पंक्तियों में ही स्पष्ट दिखाइ दे रहे हैं। इस स्थिति में यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है और सी आइ टी यू के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को प्रचार सामग्री से पूर्णतया सुसज्जित होना होगा ताकि चुनावों में प्रभावशाली ढंग से सी आइ टी यू के दृष्टिकोण का प्रचार किया जा सके।

16:8 जब तक वाम तथा जनवादी शक्तियां एकजुट नहीं होतीं और देश के समक्ष तीसरा विकल्प प्रस्तुत नहीं करतीं तब तक कांग्रेस तथा भाजपा दोनों देश पर दो दलीय व्यवस्था लादने तथा उसे महिमामंडित करने के प्रयास जारी रखेंगी और भारतीय उद्योगों के परिसंघ (सी आइ आइ) ने तो खुले रूप में दो दलीय व्यवस्था लाने की बात की है। कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने सी आइ आइ की बैठक में खुले रूप में कहा था कि जब तक वामपक्षी दलों को किनारे पर धकेल नहीं दिया जाता तब तक भारत में दो दलीय व्यवस्था बन नहीं सकेगी। यद्यपि भाजपा ने नेताओं तथा दलों की भीड़ को इकट्ठा करके एक बहुदलीय गठबंधन बना लिया है तथापि यह केवल अस्थायी व्यवस्था है। पिछले तेरह मास में अनेक

बार प्रधान मंत्री तथा संघ परिवार के नेताओं ने पूर्ण बहुमत प्राप्त करने की अपनी इच्छाएं व्यक्त की हैं ताकि वे भगवा कार्यसूची के अनुसार काम कर सकें। अत: सार रूप में भाजपा तथा कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे को दो दलीय व्यवस्था के लिये तैयार कर रही हैं और वे चाहती हैं कि तीसरे विकल्प की शक्तियां धीरे-धीरे समाप्त हो जाएं। भारत में बड़े कारोबारी समूह तथा बहुराष्ट्रीय निगम भी दो दलीय व्यवस्था चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस तथा भाजपा उनके हितों की पूर्ण रक्षा करती हैं।

16:9 वाम पंथी शक्तियों को समाप्त करने की यह महत्वाकांक्षी योजना है, इस बात की अनुभूति श्रमिक वर्ग को होनी चाहिए। उसे समझना होगा कि केवल वाम पक्षी शक्तियां ही उसके हितों की रक्षा कर सकती हैं और संसद के भीतर तथा बाहर कांग्रेस तथा भाजपा दोनों दलों की बहुराष्ट्रीय निगमों तथा बड़े कारोबारी घरानों के प्रति मित्रवत नीतियों का विरोध कर सकती हैं। यही नहीं, भारतीय समाज जो बहुआयामी विशेषताओं को अपने भीतर सहेजे हुए है, में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को दो दलीय व्यवस्था के नाम पर नकारा नहीं जा सकता क्योंकि ये क्षेत्रीय दल विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषा-भाषी तथा नसलों के लोगों की भावनाओं को प्रतिबिम्बित करते हैं। सी आइ टी यू को बल देना होगा कि केवल वाम पक्षी तथा धर्मनिर्पेक्ष जनवादी शक्तियां ही जनपक्षीय विकल्प प्रदान कर सकती हैं और केवल इन्हीं शक्तियों को सुदृढ़ बनाने से हमारे वर्ग शत्रुओं को पराजय दी जा सकती है जो श्रमिक वर्ग के दलों के स्थान को हड़प लेना चाहती हैं और इस प्रकार दो दलीय व्यवस्था लाने का प्रयास वे कर रही हैं।

16:10 इसलिये आगामी चुनावों में सी आइ टी यू के कार्यकर्ताओं को वाम पक्षीय विकल्प को लोकप्रिय बनाने के लिये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होगा ताकि तीसरी शक्तियां अपने सुदृढ़ आधार के साथ उभर सकें।

16:11 क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है इसलिये हमें और देरी किये बिना अपने कार्यकर्ताओं को बहुत सक्रिय बताना होगा और विशाल स्तर पर चुनाव अभियान में कूदना होगा। भाजपा जनता को यह बताने का प्रयास कर रही है कि वे प्रतिपक्ष की भूमिका के कारण अच्छा कार्य नहीं कर सके। वे लोग उद्योगपतियों की लाबी के सक्रिय सहयोग से प्रचार कर रहे हैं कि भाजपा सरकार देश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर ले आई है और अर्थव्यवस्था विकास कर रही है। प्रतिपक्ष ने सरकार को पलट जनता के लिये कष्टपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी है। और उसने अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया है। वास्तविकता इसके विपरीत है और भाजपा शासन के 13 महीनों में देश की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विनाश तथा बरबादी की ओर अग्रसर हुई उसके विनाश तथा गिरावट की विस्तृत चर्चा हम पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। हमें पिछले 13 महीनों के भाजपा सरकार के शासन काल की खतरनाक नीतियों तथा खराब कार्य प्रदर्शन की पोल खोलनी होगी ताकि उनके प्रचार को बिना किसी कठिनाई के प्रभावहीन किया जा सके। भाजपा सरकार के अब से चुनावों तक के शासनकाल के खराब प्रदर्शन की पोल भी खोले जाने की आवश्यकता है ताकि भाजपा तथा उसकी खतरनाक हिन्दुत्व कार्यसूची जिसे वे भारतीय समाज पर लादना चाहते हैं, को पराजय दी जा सके।

17. संयुक्त संघर्षों की ओर

17:1 हो सकता है कि मध्यावधि चुनावों के परिणाम जटिल राष्ट्रीय स्थिति में अधिक परिवर्तन नहीं लाएं और गहरे होते चले जा रहे आर्थिक संकट के कारण राजनीतिक स्थिरता की आशा मृगतृष्णा मात्र ही बनी रहे। जनता पर और भी अधिक तीव्र हमले होंगे। वस्तुपरक स्थितियों की मांग होगी कि हम जनता को एकजुट करने तथा उसके असंतोष को और अधिक विशाल संयुक्त संघर्षों का रूप देने के लिये अपने प्रयासों में तेजी लाएं।

17:2 सी आइ टी यू को दोगुणा शक्ति के साथ श्रमिक वर्ग में प्रचार अभियान चलाना होगा ताकि आर्थिक नीति के क्षेत्र में और कोई विकल्प नहीं होने के मिथक को भंग किया जा सके। हमें अपने वर्ग को संगठित होना होगा और उसे इस देश की सम्पूर्ण जनता के हितों की रक्षा करने वाले चैम्पियन की भूमिका निभानी होगी। सत्ताधारी वर्गों की आत्मघाती नीतियों के विरुद्ध प्रतिरोध को और ऊंचाईयों पर ले जाना होगा।

17:3 हमारा प्रयास होना चाहिये कि हम अपने सभी अवरोधों तथा मतभेदों को एक ओर करके श्रमिक वर्ग में एकता लाएं और मुंह बाए खड़ी चुनौतियों का सामना करें और उसके लिये सामान्य, समस्याओं पर एकजुट संघर्ष चलाएं जिसका श्रमिक वर्ग की पंक्तियों की सभी श्रेणियों की ओर से उत्साहवर्धक प्रत्युत्तर दिया गया है। साम्प्रदायिकता तथा आर्थिक नीतियों के दोहरे खतरे के विरुद्ध राष्ट्रीय जन संगठन मंच के झण्डे तले जनता की सभी श्रेणियों का संघर्ष के लिये एकजुट होना हमारे लिये संघर्ष को और व्यापक बनाने का अवसर प्रदान करता है।

17:4 आगामी चरण में हमारा काम किसी भी प्रकार से सहज नहीं होगा किन्तु इस पर भी हमें श्रमजीवी जनता के पक्ष में वर्तमान राजनीतिक स्थिति में बदलाव लाने के लिए नेतृत्वकारी भूमिका निभानी होगी।

17:5 आईये, हम संघर्ष के मैदान में कूद पड़े आईये हम संघर्ष के एक नये युग का सूत्रपात करें।

Annexure - I

STATEMENT SHOWING STATEWISE MEMBERSHIP AS PER ANNUAL RETURN RECEIVED TILL 20.5.1999

Name of State	Unions Submitting Returns			Position of Membership According to Annual Returns		
	95	96	97	1995	1996	1997
Andaman & Nicobar	7	6	8	1768(-)	2059(-)	2048(-)
A.P	556	676	758	148990(14762)	191802(37083)	222675(45024)
Assam	86	75	76	40269(9770)	38315(9953)	40237(11712)
Bihar	29	8	3	82617(9000)	9425(74)	3448(7)
Delhi	51	64	41	52039(2220)	42096(1842)	31475(1348)
Goa	7	6	7	3529(199)	2583	2431(139)
Gujrat	23	16	16	17185(1493)	11211(714)	14660(232)
Haryana	30	19	19	18370(3146)	18559(4419)	21753(5958)
H.P	21	23	19	4996(1922)	6002(2843)	4484(2341)
J & K	1	1	1	602(9)	550(9)	572(12)
Karnataka	109	70	46	82311(21470)	52591(23728)	42918(21017)
Kerala	844	828	691	731096(163485)	766300(194063)	720970(184377)
M.P	62	44	56	29726(3090)	27862(4300)	23293(3943)
Maharashtra	40	19	26	39662(8146)	26594(7720)	29955(3212)
Orissa	26	26	32	26985(3883)	20966(3944)	20512(4598)
Punjab	105	63	44	63361(685)	52798(78)	26460(183)
Rajasthan	63	43	43	32463(352)	31221(290)	29354(26)
Tamilnadu	432	398	412	228869(8049)	205546(21954)	238506(25169)
Tripura	26	24	19	41667(5884)	36372(3018)	33861(2197)
Uttar Pradesh	--	62	42	28315(198)	27091(188)	12211(113)
West Bengal	964	895	693	1114767(101235)	1079244(74827)	913694(73121)
	3512	3366	2981	2784050(358188)	2649187(391047)	2435517(384729)

Year	Total Number of Unions Submitting Annual Returns	Membership as per Return
1983	1854	1890993
1984	2005	1575655
1985	1717	1716457(132536)
1986	2412	1844273(209348)
1987	2350	1680884(206482)
1988	2618	1919280(264507)
1989	3114	2425000(247388)
1990	2934	2095550(245060)
1991	2783	2088218(291228)
1992	3343	2381012(321620)
1993	3156	2371405(306344)
1994	3198	2470131(261980)

Figures within bracket indicates female membership.

BTR MEMORIAL FUND

STATEWISE BREAK UP OF RECEIPTS
(upto 20.5.1999)

	Name of the State Committee	Amount Received	Committed Amount
1.	West Bengal	53,38,615.00	1,00,00,000.00
2.	Andhra Pradesh	2,82,438.00	15,00,000.00
3.	Assam	55,680.00	5,00,000.00
4.	Bihar	73,922.00	8,00,000.00
5.	Delhi	1,00,930.00	2,00,000.00
6.	Kerala	26,42,500.00	50,00,000.00
7.	Madhya Pradesh	13,242.00	2,00,000.00
8.	Orissa	22,358.00	5,00,000.00
9.	Punjab	4,47,152.00	10,00,000.00
10.	Rajasthan	3,00,615.00	5,00,000.00
11.	Tamilnadu	5,62,580.00	30,00,000.00
12.	Tripura	30,280.00	5,00,000.00
13.	Karnataka	2,05,216.00	7,00,000.00
14.	Himachal Pradesh	8,756.00	2,00,000.00
15.	Haryana	13,150.00	2,00,000.00
16.	Maharastra	2,11,182.00	10,00,000.00
17.	Uttar Pradesh	1,51,750.00	5,00,000.00
18.	Goa	50,000.00	1,50,000.00
19.	Gujrat	000.00	1,00,000.00
20.	Individual/Unions/Federations	2,73,824.00	000.00
21.	Bank Unions/Federations	3,77,649.00	000.00
22.	Insurance (AIIEA)	1,43,500.00	000.00
23.	AISGEF	6,31,670.00	000.00
	TOTAL	1,19,37,009.00	2,65,50,000.00

RECEIPTS SINCE 15th December 1998

206.	Com. Samar Mukherjee, CITU	8,000.00
207.	Maharashtra State Committee of CITU	1,00,000.00
208.	W B State Committee of CITU	2,00,000.00
209.	Assam State Committee of CITU	5,000.00
210.	AIIEA	43,000.00
211.	G. Janardan Rao, Hyderabad	200.00
212.	BEFI, Karnataka	50,000.00
213.	Railway Workers from Punjab	160.00
214.	W R Varada Rajan, CITU	500.00
215.	BSSR Union (Bihar)	6,300.00
216.	BSSR Union (through centre)	1,120.00
217.	A P State Committee of CITU	27,650.00
218.	W R Varada Rajan, CITU	1,000.00
219.	Industrial Mazdoor Union, Bihar	3,000.00
220.	Canara Bank Staff Union, Mumbai	6,500.00
221.	All India Federation of Anganwadi Workers & Helpers Union, New Delhi	10,000.00
222.	A P State Committee of CITU	1,420.00
223.	SWFI, Conference Reception Committee	35,000.00
224.	DSP Teachers Association, Durgapur	1,000.00
225.	SWFI, Conference Reception Committee	2,410.00
226.	Employees of central Railway, Maharashtra	9,050.00
227.	BHE Mazdoor Union, Jhansi	300.00
228.	S.C. Rly. Emp. Union, Hyderabad	700.00
229.	H P State Committee of CITU	1,030.00
230.	A P Anganwadi Workers and Helpers Union, Mahboobnagar Dist.	3,000.00
231.	W B State Committee of CITU	1,00,000.00
232.	Com. Ranjana, CITU	1,000.00
233.	Com. Ardhendu Dakshi, CITU	380.00
234.	Com. W R Varada Rajan, CITU	380.00
235.	Com. L. Haque (Rly),Malda	200.00
236.	Com. W R Varada Rajan, CITU	750.00
237.	CITU Centre (Collection upto 20.5.99) Tamilnadu State Committee 1,00,000.00 BSSR Union, Bihar 1,000.00	1,01,000.00
	Total	7,20,550.00
	Total Receipt upto 15.12.98 (Ahemedabad Working Committee Meeting)	1,12,16,459.50
		1,19,37,009.50

RESOLUTION

ON CONDOLENCE

This All India General Council Meeting of CITU being held at Ghaziabad (U.P) on 27-30 May '99 pays its respectful homage to all the leaders, cadres and activists of the working class and democratic movement who laid down their lives during the period since our last meeting at Ahmedabad. This General Council meeting condoles the death of Com.Manmohan Adhikari, former Prime Minister and Chairman of the Communist Party of Nepal and pays its respectful homage to this great revolutionary leader.

This meeting expresses deep sorrow at the death of former Vice President of CITU Com.Harsahai Singh. He was a long time President of UP State Committee of CITU and leader of the sugar workers. The meeting pays its respectful homage to the departed leader.

This meeting pays respectful homage to Com. K.M. Haribhatt formerly a member of CITU Working Committee as also Vice-President of Tamilnadu CITU and convey its heartfelt Condolence to the bereaved family members. The meeting condoles the death of Com. Gopal Basu a senior leader of the communist movement in Bengal and an old time organiser of peasant and workers movement of West Bengal, Com. Radhika Banerjee a veteran freedom fighter & leader and organiser of left an democratic movement in West Bengal, Com. Naresh Dasgupta another staiwart of the left and democratic movement in West Bengal and Com. Joykesh Mukherjee a veteran communist and pays respectful homage to their memory. This meeting also condoles the death of Com. Ramesh Batra a progressive writer and journalist and a member of the Janawadi Lekhak Sangh.

This meeting expresses its deepest sorrow at the tragic death of Com.Sukhdev Singh who met with an accident while going for duty. Com.Singh was instrumental in organising the BHEL workers at Jhansi in the CITU union. The meeting pays its respectful homage to the young comrade and sends its heartfelt condolences to the bereaved family members.

The General Council expresses profound grief at the death of Com. ZA Ahmed a veteran communist leader and a leader of the peasant movement and Com. Vimala Farooqui an indefatiguable fighter for the womens right and an outstanding leader of the entire women's movement in this country. This meeting also pays its respectful homage to COm.B D Joshi a veteran TU leader who died after a brief illness.

This General Council meeting of CITU rspectfully remembers the comrades who fell victim to the ghastly attack of communal & casteist forces in Bihar and elsewhere in the country. The meeting recalls the uncompromising determinations and glorious courage with which the innumerable comrades of the TU and democratic movement have embraced martyrdom heroically confronting the heinous and dastardly attacks of landlord - management nexus. Their sacrifice remains a constant source of inspirations and this meeting peldges to carry forward the ideals.

परिचर्चा पेपर

अखिल भारतीय कामगार महिला समिति के दो दशक

कोची में हुए अपने दूसरे सम्मेलन में सीटू ने कामकाजी महिलाओं को संगठित करने पर विशेष ध्यान देने का फैसला किया. सीटू संविधान की ये घोषणा है कि शोषण को जड़ से मिटाना हमारा लक्ष्य है। इस संघर्ष का नेतृत्व करने के लिये पूरे मजदूर वर्ग को एकजुट करना जरूरी है। जैसा कि का. बी. टी. रणदिवे ने कहा : ''मजदूर वर्ग का आंदोलन अपने पूरे मुकाम तक तभी पहुंच सकता है जब महिलाओं का गुट इस आंदोलन के संगठन और नेतृत्व में एक अहम् भूमिका अदा करे''।

इसी समझ के साथ कामकाजी महिलाओं का अखिल भारतीय अधिवेशन 1979 में मद्रास में हुआ। यह सीटू के चौथे सम्मेलन से ठीक पहले हुआ। संगठित क्षेत्र की महिलाओं ने इस अधिवेशन में हिस्सा लिया। कुछ ऐसी यूनियनों ने भी हिस्सा लिया जो सीटू से संबंधित नहीं थी। पहले अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट में का. विमल रणदिवे ने कहा कि : ''भारत में कामकाजी महिलाओं की समस्याओं की तरफ काफी अरसे से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मजदूर वर्ग से संबंधित कानून में महिलाओं के लिये बहुत ही कम प्रबंध हैं,और जो है उन्हे कभी ठीक प्रकार से लागू नहीं किया जाता। मालिक महिलाओं का शोषण करते हैं और सरकार अपनी उदासीनता और असमर्थता से उनके इस रवैये को बढ़ावा देती है। मजदूर वर्ग आंदोलन ने भी कभी कामगार महिलाओं की समस्याओं पर खास ध्यान नहीं दिया। आज तक मजदूरों की जितनी हड़तालें हुई हैं उनमें बहुत ही कम ऐसा हुआ कि कामगार महिलाओं की विशेष मांगों को उचित महत्वपूर्णता ही दी गई हो। ऐसे उद्योगों और क्षेत्रों में जहां कामगार महिला काफी तादाद में हैं, ये देखा गया है कि यूनियन व उससे संबंधित संगठनों में महिलाओं को कभी उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला।''

इस पृष्ठभूमि में यह तय किया गया कि लाखों कामकाजी महिलाओं को संगठित करना जरूरी है। इनमें से सक्रिय महिलाओं की ट्रेनिंग और विकास पर खास ध्यान देना है जिससे कि आगे चलकर वे यूनियनों व सीटू में नेतृत्व के कार्यभार में हिस्सा ले सकें। ए आइ सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू, जिसका गठन इसी सम्मेलन में हुआ था, को इस विषय में सीटू से तालमेल बनाये रखने की जिम्मेदारी दी गई।

अब, जबकि ए आइ सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू का गठन हुए बीस साल पूरे हो गये हैं, हमें ''आत्म-आलोचना के साथ अपने काम का जायजा लेना है और अपनी कमजोरियों से उभरने के लिये एक कार्य योजना तैयार करनी है'', जैसा कि सीटू ने भुवनेश्वर में हुई अपनी कार्यकारी समिति मीटिंग में संगठन से संबंधित प्रस्ताव में कहा है।

इस दौरान सीटू ने समय-समय पर यह विषय अपने सम्मेलनों, जनरल काउंसिल और कार्यकारी समिति बैठकों में उठाया है। छठे सम्मेलन का एक पूरा अधिवेशन इस विषय को समर्पित किया गया और आठवें सम्मेलन में इस विषय पर एक 'कमीशन' का भी गठन किया गया। सातवें सम्मेलन के बाद से ही, कामकाजी महिलाओं के अलग सम्मेलन समय-समय पर किये जाते रहे हैं, जो आमतौर पर सीटू सम्मेलनों का ही हिस्सा होते हैं। पटना सम्मेलन ने सभी राज्यों को आदेश दिया कि उनके प्रतिनिधियों में 10 प्रतिशत महिलाओं का हिस्सा होना चाहिए। कुछ राज्यों ने इस पर अमल भी किया।

गतिविधियां

शुरू-शुरू में ए आइ सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू के प्रति काफी उत्साह देखा गया और 30 मई, 1979 को ए आइ सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू द्वारा 'अखिल भारतीय मांग दिवस' की घोषणा को भारी प्रतिक्रिया मिली। ए आइ सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू की बैठकें साल में दो-तीन बार होती थीं और नौ-से-ग्यारह राज्यों की महिलाओं में इसमें हिस्सा लेतीं। 1990 में ए आइ सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू ने एक अंग्रेजी बुलेटिन 'वॉयस आफ द वर्किंग वूमेन' शुरू की जो आगे जा कर द्विमासिक पत्रिका बनी। पिछले 19 सालों से यह पत्रिका सुचारु रूप से प्रकाशित हो रही है। एक हिन्दी पत्रिका 'कामकाजी महिला' भी शुरू की गई थी पर बढ़ते शुल्क के बोझ की वजह से इसका प्रकाशन रोकना पड़ा। इस वजह से संगठन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यूनियन में सक्रिय महिलाओं के लिये दो क्लासों का आयोजन किया गया- अंग्रेजी में 1993 में और हिन्दी में 1998 में।

इन गतिविधियों का कुछ असर सीटू-संबंधित यूनियनों, अन्य यूनियनों और सरकार पर भी पड़ा। कुछ जागरूकता सीटू राज्य और जिला समितियों और अन्य यूनियनों में भी देखी गई। सीटू की कई यूनियनों ने महिलाओं की विशेष समस्याओं, खास कर यौन उत्पीड़न के मुद्दे को भी उठाया। सीटू की एक या दो राज्य समितियों ने उच्च न्यायालय के इस विषय पर फैसले को तुरंत लागू करने पर अभियान भी चलाया।

सीटू के अखिल भारतीय और राज्य सम्मेलनों में महिला प्रतिनिधियों की तादाद कुछ हद तक बढ़ी हैं। काउंसिल समितियों और सीटू के अखिल भारतीय स्तर पर भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। कुछ संगठन, जिनका नेतृत्व सीटू के करीब हैं, जैसे बीमा, डाक, विभाग, संचार विभाग, बैंक कर्मचारी, राज्य सरकार कर्मचारी समय-समय पर महिलाओं की समस्याओं पर सम्मेलन करते रहे हैं। ए आइ टी यू सी, एच एम एस और आइ एन टी यू सी ने भी महिलाओं का एक अलग अंग गठित कर लिया है।

सीटू के एक अंग के रूप में ए आइ सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू को समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों और सम्मेलनों, जैसे आइ एल ओ, डब्ल्यू एफ टी यू और कुछ गैर सरकारी संगठनों में भी हिस्सा लेने का मौका मिला।

इस दौरान की गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण था अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स का गठन जो 1989 में हुआ। कई राज्यों ने इस मुद्दे पर पहल की और आज ए आइ एफ ए डब्ल्यू एच एक सशक्त संगठन है जिसमें करीब 15 राज्यों से सदस्य हैं। 1998 में इसकी सदस्यता लगभग 90,000 थी जिसमें से 80,000 सीटू से जुड़े हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संयुक्त समिति बनाने में भी सीटू ने पहल की और आज इसमें ए आइ टी यू सी, एच एम एस और एच एम के पी की भी हिस्सेदारी है। इसकी कन्वीनर का. विमल रणदिवे हैं और एस एस एस के झंडे तले काफी संघर्ष छेड़े जा चुके हैं। एस एस एस के गठन से कामगार महिलाओं के संघर्ष को भारी प्रोत्साहन मिला है।

संगठन

काफी सालों तक ए आइ सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू के अखिल भारतीय केंद्र में सिर्फ एक साथी ने कार्यभार संभाला हुआ था। केंद्र को मजबूत करने के लिये तीन और सदस्यों को लाया गया। इस बची हड्डियों के टूटने और आपरेशन की वजह से का. विमल रणदिवे पिछले आठ-नौ महीनों से केंद्र में अपना योगदान नहीं दे पा रही है।

समय समय पर केंद्र की तरफ से कोशिश रही है कि नियमित रूप से मीटिंगें है और पत्रिकाएं भी सुचारू रूप से प्रकाशित हों। जबकि पहले साल में दो-तीन बार बैठकें हो जाया करती थीं, अब साल में केवल एक बार और कई बार तो इससे भी कम बार हो पाती हैं। इसका एक कारण है बहुत ही कम महिलाओं की हिस्सेदारी और केंद्र तक आ पाने में कठिनाइयां। ज्यादातर हिस्सा लेने वाली महिलाएं केरल, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, प. बंगाल से थीं। अन्य राज्य सीटू समितियां इस विषय पर ध्यान नहीं देतीं। कुछ राज्य समितियां तो सदस्याओं के आने-जाने का भाड़ा न दे पाने की आड़ में उनकी हिस्सेदारी में बाधा पहुंचाती हैं। महिलाओं की समस्याओं के प्रति आम उदासीनता आज भी उतनी ही प्रचलित है, हालांकि कुछ हिस्सों में सुधार देखे गये हैं। इसके अलावा,

सीटू कमेटियों और कार्यकर्ताओं के बीच कामकाजी महिला समन्वय समिति की भूमिका और कार्य को लेकर समझ में कमी देखी गई है। समन्वय समिति के गठन का उद्देश्य और उसकी भूमिका के बारे में कई बार खुलासा करने के बावजूद इस विषय पर समझ साफ नहीं हैं।

कई राज्य समन्वय समितियों में मध्यम वर्गीय कार्यकर्ताओं का दबदबा है। ए आइ सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू में भी बैठकों में शामिल होने वाले अधिकतर साथी उन संगठनों से है जो सीटू से नहीं जुड़े हैं। हालांकि औद्योगिक और असंगठित क्षेत्र की महिलायें भी समन्वय समिति में चुनी जाती हैं। वे आमतौर पर बैठकों में शामिल नहीं हो पातीं। इसका कारण है कि स्थानीय सीटू या यूनियन कमेटियां इन्हें प्रोत्साहन या वित्तीय सहायता नहीं देतीं। इसका नतीजा ये है कि समन्वय समिति की गतिविधियां मध्यम वर्गीय महिलाओं तक ही सीमित रहती हैं। कभी-कभार यौन उत्पीड़न, अलग शौचालय, विश्राम घर, क्रेश जैसी समस्याएं उठाई जाती हैं। लेकिन सक्रिय कार्यकर्ताओं को चुनने का या उनकी समझ को बढ़ाने का और उन्हें सीटू कार्यकर्ता बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। असंगठित महिला कर्मियों को संगठित करने या सीटू यूनियनों में महिला कार्यकर्ताओं को नेतृत्व में लाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता।

अपनी तीन तरफा जिम्मेदारियों की वजह से - घर, दफ्तर और संगठन - कामकाजी महिलाओं के लिए सीधे तौर पर असंगठित महिला कर्मियों को संगठित करना काफी मुश्किल है। आरम्भ में उन क्षेत्रों को पहचानने में, जहां महिलाएं काफी तादाद में काम करती हैं, उनकी समस्याओं को समझने और उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए इन महिलाओं की मदद लेनी जरूरी है। लेकिन, कामकाजी महिलाओं को संगठित करने की जिम्मेदारी अंतत: सीटू कमेटियों की ही है। कुछ राज्य कमेटियां लगतार समन्वय समिति के कार्य में दिलचस्पी दिखाती रही हैं लेकिन इन राज्य कमेटियों ने भी इस पहलू पर उचित ध्यान नहीं दिया। ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि मध्यम वर्गीय कार्यकर्ताओं के संदर्भ में भी उनके बैठक में आने-जाने के खर्चे की जिम्मेदारी भी सीटू कमेटियों की ही है क्योंकि समन्वय समिति में सीटू के सक्रिय कार्यकर्ताओं के रूप में भाग लेती हैं ना कि अपने संगठन के कर्मी के रूप में।

कामकाजी महिलाओं को संगठित करने के मुद्दे को बहुत ही कम सीटू राज्य समितियों ने अपनी बैठकों के एजेंडा में शामिल किया है। जब तक सीटू कमेटियां इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करतीं, प्राथमिकताओं को तय नहीं करतीं, और समन्वय समिति के साथ एक योजना बनाकर जिम्मेदारियों को नहीं बांटतीं, तब तक इस क्षेत्र में हमारे काम को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। हमारा कार्य सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए जहां सीटू से जुड़ी यूनियनें पहले से मौजूद हैं। ये सही है कि इन यूनियनों में भी सारी महिलायें हमारी सदस्य नहीं और बहुत ही कम नेतृत्व में हैं। इन यूनियनों में जरूरी है कि महिलाओं की सदस्यता बढ़ाई जाये और उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारियों को अपनाने के लिए तैयार किया जाए। लेकिन हमारे कार्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, महिलाओं के उस बहुत बड़े तबके को संगठित करना जो मजदूर वर्ग आंदोलन के दायरे से बाहर है और मालिकों, ठेकेदारों और बिचौलियों के भयंकर शोषण का शिकार हैं। अपनी बिगड़ते हालात की वजह से ये अनेक पेरशानियों को नजरअंदाज करके संघर्षों में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अनेक राज्यों में जुझारू संघर्षों में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी इसका प्रतीक है।

हालांकि इस दौरान कामकाजी महिलाओं के बीच हमारा हस्तक्षेप बढ़ा है, इसका असर सीटू में महिला सदस्यों की संख्या में वृद्धि के रूप में या सीटू और उससे जुड़ी यूनियनों की मुख्य कमेटियों में महिलाओं की हिस्सेदारी में नहीं नजर आती। इस दिशा में सिर्फ मामूली बढ़ोतरी हुई है। उन उद्योगों में जहां महिला मजदूर बहुमत में हैं, मजदूर संगठनों में उनकी संख्या बहुत कम देखी गई है। बागानों में, बीड़ी उद्योग और निर्माण उद्योग में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है लेकिन इन उद्योगों के मजदूर संगठनों में भी मर्दों का दबदबा है। शुरू-शुरू में जब महिलाओं को मजदूर आंदोलन में अनुभव नहीं हों और वे जिम्मेदारियां लेने से हिचकिचाती हों, ऐसा शायद जरूरी हो सकता है। लेकिन इन मर्दों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे महिलाओं को प्रोत्साहन दें और धीरे-धीरे उन्हें जिम्मेदारियां संभालने के लिए प्रोत्साहित करें। सीटू राज्य समितियों में कुछ सुधार हुआ है। तकरीबन सभी में कुछ महिला सदस्य हैं और कुछ में एकाध महिला पदाधिकारी भी हैं। लेकिन कई राज्यों में महिलाओं सिर्फ केंद्र के दबाब की वजह से शामिल की जातीं हैं और बैठकों में उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी को सुचारू रूप से निभाने के लिए उनको तैयार करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता।

सीटू केन्द्र ने कामगार महिलाओं के बीच कार्य की चर्चा की और ए आइ सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू को मार्गदर्शन दिया। सीटू सेक्रेटेरियट ने पिछले दो दशकों में गतिविधियों का जायजा लिया और अपनी रिपोर्ट को जनरल काउंसिल में पेश किया। यह तय किया गया कि

इस विषय पर ए आइ सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू द्वारा लिये गये फैसलों से संबंधित राज्य समितियों को सर्कुलर भेजे जाएंगे और उनके अमल पर जोर दिया जाएगा।

राज्यों की परिस्थिति

1. केरल : राज्य स्तर पर, और इसके अलावा करीब 12-13 समन्वय समितियां यहां सक्रिय हैं। राज्य स्तर पर समन्वय समिति में मध्यम वर्गीय महिलाओं की संख्या अधिक है। काजू, कोइर, हथकरघा, बीड़ी आदि उद्योगों की कामगार महिलाएं यूनियनों द्वारा मदद न दिये जाने की वजह से मीटिंगों में उपस्थित नहीं हो पातीं। समय-समय पर कार्य का जायजा लेने के लिए सीटू महिला समन्वय समिति और अन्य मध्यवर्गीय क्षेत्र के कर्मचारियों की एक उप-समिति का गठन किया गया है।

हालांकि इसमें महिलाओं की संख्या सीटू सदस्यता का 20 प्रतिशत हिस्सा है (1997 के आंकड़ों के अनुसार), इससे और बढ़ाने की गुंजाइश है, खासकर बीड़ी और बागानों के कर्मचारियों के बीच।

2. **तमिलनाडु :** यहां राज्य अधिवेशन नियमित रूप से किये जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र की महिलाओं की इनमें हिस्सेदारी मध्यम वर्गीय महिलाओं की अपेक्षा काफी कम है। महिलाओं के बीच, एक अच्छे अभियान की वजह से चैन्नई में ई पी जेड में राज्य के कार्यकर्ता यूनियन बनाने में कामयाब रहे। सीटू राज्य समिति भी नियमित रूप से समन्वय समिति को मार्गदर्शन देती रही है। औद्योगिक क्षेत्र की महिलाओं के विकास और उन्हें नेतृत्व में लाने के लिये सीटू राज्य समिति द्वारा एक व्यापक योजना बनानी जरूरी है। 1996 में सीटू में महिला सदस्यता केवल 10.68 प्रतिशत थी।

3. **पश्चिम बंगाल :** कुछ उद्योगों में राज्य, जिला स्तर पर समन्वय समितियां बनाई गई हैं। राज्य समन्वय समिति नियमित रूप से कार्य नहीं कर रही है। लेकिन सीटू में महिलाओं का योगदान काफी भारी है। निर्माण की कोशिश जरूर की गई पर सीटू में महिलाओं की सदस्यता 1999 में केवल 7 प्रतिशत थी।

मौजूदा हालात ऐसे हैं कि मौके के पूरा फायदा उठाया जा सकता है। इसके लिये जरूरी है सीटू एक व्यापक योजना बनाए जिसके अंतर्गत महिलाओं को मजदूर वर्ग आंदोलन के बारे में शिक्षा दी जाये और उनकी सदस्यता को बढ़ाया जाय।

4. **आंध्र प्रदेश :** समन्वय समिति ने प्रदेश में असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को संगठित करने व कार्य क्षेत्रों को चुनने की योजना बनायी है। सीटू राज्य समिति ने इस योजना पर चर्चा की और यह फैसला किया कि डी डब्ल्यू सी आर ए की महिलाओं को संगठित करने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा, आंगनवाड़ी और बीड़ी उद्योगों में भी कोशिशें की गईं। आंगनवाड़ी यूनियन राज्य की सबसे बड़ी यूनियन है जो सीटू से जुड़ी है। राज्य केन्द्र से दो महिला साथी अपना पूरा वक्त इन्हीं यूनियनों को देती हैं। सीटू राज्य समिति ने आंगनवाड़ी, बीड़ी और अन्य उद्योगों में महिलाओं को संगठित करने पर जोर देने के लिये एक अलग बैठक भी बुलाई। टी यू कक्षाओं के जरिये कुछ महिला कार्यकर्ताओं के विकास की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। सीटू में महिलाओं की सदस्यता राज्य में 19.55 प्रतिशत है।

बीड़ी उद्योग में यूनियन को और सशक्त करने की जरूरत है। निर्माण उद्योग में भी महिलाओं की सदस्यता बढ़ाने की काफी गुंजाईश है।

5. **कर्नाटक :** राज्य काउंसिल में कामगार महिलाओं पर चर्चाएं हुई हैं। राज्य केन्द्र की तरफ से एक महिला साथी अपना पूरा वक्त आंगनवाड़ी यूनियन को देतीं हैं। इससे यूनियन की सदस्यता बढ़ी है। सीटू में महिलाओं की सदस्यता 45 प्रतिशत है, पर इसका सीधा असर यूनियन के नेतृत्व में नहीं देखा जा रहा है, जहां महिलाओं की संख्या सदस्यता के मुकाबले काफी कम है। बहुत सी ऐसी कार्यकर्ताएं हैं जिनके विकास और प्रशिक्षण पर ध्यान देना जरूरी है जिससे वे नेतृत्व का भार संभाल सकें।

6. **मध्य प्रदेश :** समन्वय समिति को पुनर्गठित किया गया है और एक पूरे वक्त का कार्यकर्ता इस कार्य के लिए सौंपा गया। इस राज्य में महिलाओं की भारी संख्या है। खानों में, बीड़ी उद्योग और आंगनवाड़ियों में करीब 1 लाख महिलाएं काम करती हैं। अगर

व्यापक योजना बनाकर इन क्षेत्रों में काम को तेज किया जाय तो सदस्यता बढ़ाने की भारी गुंजाइश है।

5. **हरियाणा :** यहां आंगनवाड़ी यूनियन दिन पर दिन सशक्त होती जा रही है। एक महिला साथी इस काम पर अपना पूरा वक्त देतीं हैं। यहाँ भी सक्रिय आंगनवाड़ी कार्यकत्ताओं के विकास और प्रशिक्षण पर ध्यान देना जरूरी है।

उड़ीसा, पंजाब, बिहार, दिल्ली, उ. प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में भी समन्वय समितियों का गठन किया गया था पर इनमें से कोई भी कार्य नहीं कर नहीं हैं।

हाल में ए आइ सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू, सीटू केन्द्र और पूरी सेक्रेटेरियट ने इस विषय पर चर्चा की और इस क्षेत्र में काम बढ़ाने पर कुछ सुझाव भी रखे। इन सुझावों को आधार बनाकर अखिल भारतीय केंद्र ने इस दिशा में कुछ कदम उठाएं हैं। केंद्र में तीन और महिला साथियों को ला कर उसे सशक्त बनाया जा रहा है। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर फेडरेशन को सशक्त बनाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। केन्द्र की महिला साथियों को बागानों और बीड़ी उद्योगों की महिलाओं के बीच में शामिल किया जा रहा है ताकि वे सदस्यता बढ़ाने और सक्रिय कार्यकर्ताओं को नेतृत्व में लाने में मदद कर सकें। 'द वॉइस ऑफ द वर्किंग वूमेन' पत्रिका को बेहतर बनाने और उसके वितरण को बढ़ाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। इस दिशा में सीटू सैक्रेटेरियट ने पत्रिका की संपादक मंडली का गठन किया है। इसमें विमल रणदिवे अध्यक्षा होंगी, रंजना निरुला, कार्यकारी संपादिका और के. हेमलता, नीलिमा मैत्रा और ए. आर. सिंधु सदस्याएं होंगीं।

पत्रिकाएं

अब तक 'द वॉइस ऑफ द वर्किंग वूमेन' की करीब दो हजार प्रतियां वितरित होती हैं। वैश्वीकरण के विषय पर एक विशेष अंक निकाला गया। यह ए आइ सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू के 20 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में किया गया। मई 10-20 तक वितरण बढ़ाने के लिये एक विशेष अभियान भी चलाया गया।

क्योंकि देश में यह अपने तरह की एक ही पत्रिका है और मध्यवर्गीय महिलाओं से इस बीच हमारे संबंध बढ़े हैं, इसका वितरण बढ़ाने की काफी गुंजाइश है, खासकर शहरों में। इस दिशा में पत्रिका को और शोभनीय, लाभदायक और सूचना से परिपूर्ण बनाने की पूरी कोशिश की जा रही हैं। हिन्दी-भाषी राज्यों में भी काफी पाठक जुटाये जा सकते हैं अगर हम सरकारी बीमा, सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य दफ्तरों में मध्यवर्गीय कर्मचारियों से संपर्क करें खासकर उन संगठनों से जो हमारे करीब हैं या हमसे जुड़े हैं। कामकाजी महिलाओं के बीच कार्य बढ़ाने के लिए जरूरी है कि समस्त राज्य इसकी तरफ खास ध्यान दे और इस संबंध में निम्नलिखित कार्यों को प्राथमिकता दें:

1. सभी राज्य समितियों को इस क्षेत्र में पिछले कार्यों का जायजा लेना चाहिए और एक समय निर्मित योजना बनानी चाहिए। जिन उद्योगों में महिला भारी रूप में काम करती हैं, जैसी, बीड़ी, बागान, निर्माण, वस्त्र इत्यादि, उनमें कार्यक्षेत्र को चुनना और उनमें काम बढ़ाना है जिससे उन्हें संगठित करने में आसानी हो। उन उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनका राज्यव्यापी स्वरूप हो, और जहां पर विस्तार की गुंजाइश हो, जैसे बीड़ी और आंगनवाड़ी।

2. राज्य समिति के एक पदाधिकारी को जो राज्य केंद्र से कार्यभार संभाले। कामकाजी महिला फ्रंट पर कार्य करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए।

3. जहां तक संभव हो राज्य सीटू समितियों को पूरे वक्त के लिए एक - साथी महिला हो तो अच्छा - को कामकाजी महिलाओं के बीच काम करने के लिए सौंपना चाहिए।

4. जिन उद्योगों में महिलाएं हैं वहां की यूनियनों, फेडरेशनों को दिसम्बर 1999 तक उपसमितियों का गठन कार्य पूरा कर लेना चाहिए।

जिन फेडरेशनों को सीटू केन्द्र से सीधा मार्गदर्शन मिलता है, जैसे बीड़ी, बागान, निर्माण, कोयला इत्यादि को इस कार्य मे पहल लेनी होगी। इन उपसमितियों की महिला कार्यकर्ताओं के विकास पर ध्यान देना जरूरी है ताकि अगले सम्मेलन में इन्हें ए आइ सी सी डब्ल्यू में शामिल किया जा सके।

5. राज्य समितियों को साल के अंत तक राज्य स्तर पर महिला साथियों के लिए खास पढ़ाई कक्षा का आयोजन करना होगा।

6. राज्य स्तर पर अधिवेशन करने होंगे और सभी राज्यों में समन्वय समिति का गठन करना होगा।

7. सीटू राज्य-समितियों को यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय समस्याओं की वजह से समन्वय समिति के कार्यों में बाधा न पहुंचे। समन्वय समिति सदस्यों के आने-जाने के खर्चे पर भी ध्यान देना होगा।

8. सीटू केन्द्र और सेक्रेटेरियट को नियमित रूप से कामकाजी महिलाओं के बीच कार्य का जायजा लेना चाहिए। अखिल भारतीय केन्द्र की तरफ से नियमित काम की जांच और नियंत्रंण जरूरी है।

9. सभी राज्य समितियों को 'द वॉइस ऑफ द वर्किंग वूमेन' के वितरण को बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।

WOMEN MEMBERSHIP IN CITU

State	1987			1996		
	Total Member	Women	%	Total Member	Women	%
1. Andaman & Nicobar	1,831	N.A		2,059	N.A	
2. Andhra Pradesh	48,695	2,392	4.91	1,91,352	37,043	19.35
3. Assam	24,189	4,569	18.88	38,247	9,953	26.02
4. Bihar	51,210	3,794	7.40	9,425	74	0.78
5. Delhi	35,249	849	2.40	37,532	1,842	4.90
6. Goa	2,977	87	2.92	2,583		
7. Gujarat	13,079	227	1.73	11,211	714	6.36
8. Haryana	7,157	303	4.23	18,209	4,410	24.21
9. Himachal Pradesh	2,197	236	10.7	6,002	2,843	40.7
10. Jammu & Kashmir				550	9	1.63
11. Karnataka	54,385	18,620	34.23	52,591	23,728	45.11
12. Kerala	4,24,374	1,10,674	26.07	7,03,821	1,78,311	25.33
13. Madhya Pradesh	15,590	2,736	17.54	27,862	4,300	15.43
14. Maharashtra	31,711	4,011	12.64	15,419	6,943	45.02
15. Orissa	46,191	8,508	18.41	20,788	3,942	18.96
16. Punjab	38,591	4,353	11.27	52,619	97	0.18
17. Rajasthan	15,533	574	3.69	31,221	290	0.92
18. Tamil Nadu	1,07,855	4,673	4.33	2,05,546	21,954	10.68
19. Tripura	11,649	3,265	28.02	36,372	3,018	11.14
20. Uttar Pradesh	8,768	122	1.39	27,091	188	0.69
21. West Bengal	7,38,457	35,142	4.75	10,51,982	73,669	7.00
Total	16,80,884	2,06,482	12.28	25,42,482	3,37,328	13.26

(N.A: Not Available)

THE VOICE OF WORKING WOMAN

Circulation Position - 1999

State	Agency copies	Individual Subscribers	Total	Special Issue
1. A.P	351	88	439	440
2. Bihar	5	4	9	
3. Delhi	6	89	95	
4. Goa	-	5	5	
5. Karnataka	51	3	54	450
6. Kerala	190	199	389	200
7. Maharashtra	33	54	87	20
8. Orissa	30	-	30	
9. Tamil Nadu	489	26	515	600
10. Tripura	15	2	17	
11. U.P.	5	-	5	
12. W.B.	61	2	63	
13. Pondicherry	-	5	5	
14. M.P.	5	2	7	30
15. Punjab	10	-	10	
16. Haryana	-	8	8	
17. Assam	5	-	5	
18. H.P.	5	2	7	
19. Rajasthan	-	1	1	10
20. J & K	5	-	5	
Total	1266	490	1756	1750

Foreign Complimentary	8
Indian Complimentary	60

NOTE

1. The circulation of The Voice of the Working Woman is now in 20 States. However, only 7 States take more than 50 copies. It is necessary to increase the circulation in order to reach wider sections of working women.
2. Since middle class women are the most vocal section of working women, (though they may not be in CITU), we have an opportunity to take the CITU line to them through The Voice of the Working Woman.
3. At present, most of the circulation and majority of our subscribers are in the Southern states. Even in the Hindi belt we can enroll subscribers the public sector, office, bank and insurance employees, and university, college, school teachers, as well as nurses and doctors, who know English. These sections may read the journal since a wide range of issues are covered in it. The journal should go to CITU members also similar establishments.
4. If the circulation is increased in a planned way, we can reach the journal to many more women. For example, in the last 3-4 months, we have increased by 300 in Andhra Pradesh, 90 in Delhi and 70 in Maharashtra
5. We suggest that our unions and federations which have members who can read English, can take at least one copy of the journal, by way of subscription.

Women Membership in some CITU affiliated Federations in industries with large women workforce (1996)

State	Beedi		Plantation		Construction		Textile	
	Total	Women	Total	Women	Total	Women	Total	Women
A&N	--	--	--	--	--	--	--	--
A P	7755	7755	--	--	11207	857	1869	300
Assam	--	--	17466	8240	1609	--	200	--
Bihar	2795	1160	--	--	--	--	--	--
Delhi	--	--	--	--	--	--	150	--
Goa	--	--	--	--	--	--	--	--
Gujarat	--	--	--	--	--	--	3214	50
Haryana	--	--	--	--	196	--	1950	--
H P	--	--	--	--	200	--	--	--
Karnataka	18092	16167	600	400	--	--	28	10
Kerala	26046	23	89362	24026	87257	17725	15680	2893
M P	1159	633	--	--	--	--	--	--
Maharashtra	3020	--	--	--	--	--	--	--
Orissa	--	--	--	--	--	--	137	10
Punjab	--	--	--	--	11306	--	2727	32
Rajasthan	--	--	--	--	497	--	4109	2
Tamilnadu	13041	425	2082	395	1082	--	17256	1060
Tripura	1456	--	3084	--	159	--	9318	3018
U P	178	--	--	--	--	--	--	--
W B	87383	6026	97356	40752	37576	1232	34059	546

ANNEXURE - IV

Representation of Women in CITU State Committees

State	Total Number of Council Members	Number of Women	Total Committee Members	Number of Women	Total No. of Office Bearers	No. of Women
Andaman & Nicobar						
Andhra Pradesh			107	16	18	2
Assam			30	1		Nil
Bihar			54	4		1
Delhi			34	1		Nil
Goa						
Gujarat						
Haryana			23	4		1
Himachal Pradesh			32	4		2
Jammu & Kashmir						
Karnataka			52	11		1
Kerala			132	8		2
Madhya Pradesh			62	3		1
Maharashtra						
Orissa			51	5		Nil
Punjab			72	1		Nil
Rajasthan			41	2		Nil
Tamilnadu				10		Nil
Tripura						
Uttar Pradesh			33	1		Nil
West Bengal			207	14	20	1

ANNEXURE - V

Representation of Women in CITU at the national level

	1979		1987		1997	
	Total	Women	Total	Women	Total	Women
General Council	273	9(3.3%)	366	19(5.5%)	462	26(5.6%)
Working Committee	52	Nil	100	2(2%)	120	5(4.2%)
Office Bearers	19	1(5%)	30	3(10%)	36	3(8.3%)

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

GENERAL COUNCIL MEETING

GHAZIABAD

28 - 30, MAY, 1999

ACCOUNTS for the year 1998

AUDITORS' REPORT

We have examined the attached Balance Sheet of the Centre of indian Trade Unions as at 31st December, 1998 and annexed Income and expenditure Accounts for the year ended 31st December 1998 with reference to receipts & payments Accounts, for the same year, books, vouchers and relevant records produced before and have found those in agreement therewith.

We have not verified the cash in hand physically.

The Balance Sheet exhibits the true state of affairs of CITU, New Delhi as far as we have verified.

We have also verified the folllowings subsidiary Accounts with reference to relevant Books and records and the same Accounts have been prepared after making adjustment of transactions made with CITU:-

1) CITU Mazdoor
2) Working Class
3) Voice of the Working Women

We also attach notes on Accounts seperately.

For D. K. Chowdhury & Co.
Charted Accountants.
Sd/-
D. K Banerjee
Partner

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

15, TALKATORA ROAD, NEW DELHI - 110 001

Receipts & Payments Account for the year ended 31st December, 1998

RECEIPTS		PAYMENTS	
Opening Cash in hand	1,183 86	Audit Expenses(Internal & External)	17,885 00
Cash at Bank	2,65,061 66	Bank Charges	2,220 00
Affiliation Fee	10,75,[illegible]73 70	Conveyance Exp.	41,349 00
BTR Books sale	1,465 00	CPSTU	7,687 00
Bank Interest	9,453 00	Delegation Exp.	13,703 50
Cement Seminar	660 00	Elect. & Water Bill	66,440 00
Donation	1,84,864 00	Fixed assests	8,000 00
IISCO Meeting	600 00	G C Meeting	12,731 50
Misc. Receipts	6,700 00	Loan & Advances	10,920 00
NPMO	17,181 00	Misc. Expenditure	13,876 75
Publication	27,600 50	Medical Charges	69,658 30
Phone Collection	5,800 00	N P Periodical & Book	22,328 10
Working Class	89,688 00	Other expenses	11,745 00
CITU Mazdoor	14,336 00	P & T Expenses	39,319 50
VOWW	1,827 00	Phone Bills	1,70,051 00
Interest on Fixed Deposit	4,05,590 00	Rent & Tax	14,539 00
BTR Trust	11,15,105 50.	Security Deposit	2,500 00
CITU-ILO Women Tr.	1,35,000 00	Stationery & Printing	60,147 75
Railway Worker	40 00	Service & Maintainance	44,313 00
		Tea & Tiffin	29,885 30
		Travelling Expenses	17,340 50
		Vehicle Main	21,807 50
		Wages	3,87,425 00
		Working Committee Meeting	15,646 00
		Working Class	1,11,453 80
		CITU Mazdoor	85,126 75
		VOWW	3,651 00
		CITU Meeting	9,500 00
		Fixed Deposit with Bank (Re-invested)	4,05,590 00
		BTR Trust (Transferred)	11,15,105 50
		CITU-ILO Women Tr.	1,35,000 00
		Railway Worker	40 00
		Cash in hand	15,501 61
		Cash at Bank	3,75,541 86
Rs.	33,48,029 22	Rs.	33,48,029 22

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

15, TALKATORA ROAD
NEW DELHI - 110 001

Income & expenditure Account for the year ended 31st December, 1998

EXPENDITURE		INCOME	
Audit Expenses	17,885 00	Affiliation Fee	10,85,868 70
Bank charges	2,220 00	BTR Books sale	1,465 00
Conveyance Expenses	41,349 00	Bank Interest (SB A/c)	9,453 00
Delegation Expenses	13,703 50	Cement Seminar	660 00
Electric & Water Bills A/c	66,440 00	Donation	1,84,864 00
G C Meeting	12,731 50	HSCO Meeting	600 00
Misc. Expenditure	13,876 75	Misc. Receipts	6,700 00
Medical charges	69,658 30	NPMO	17,181 00
NP, Periodical & Book	22,328 10	Publication	27,600 00
Other Expenses	11,745 00	Phone Collection	5,800 00
P & T Expenses	39,319 50	Interest on FDR	4,05,590 00
Phone Bills	1,70,051 00		
Rent & Tax	14,539 00		
Stationery & Printing	60,147 75		
Service & Maintainance	44,313 00		
Tea & Tiffin	29,885 30		
Travelling Expenses	17,340 50		
Vehicle maintainance	21,807 50		
Wages	3,87,425 00		
Working Committee Meeting	15,646 00		
CITU Meeting	9,500 00		
Advances written off	24,890 00		
Excess of Income over Expenditure	6,38,980 50		
Total Rs.	17,45,782 20	**Total** Rs.	17,45,782 20

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

15, TALKATORA ROAD, NEW DELHI - 110 001

Bank Reconciliation Statement of CITU as at 31st December, 1998

Bank Balance as per Cash Book		3,75,541 86
Add:		
Cheque issued But not yet presented for payment:		
061122	4,08,705 50	
061119	1,952 00	4,10,657 50
Less:		7,86,199 36
Cheque deposited but not yet credited by Bank:		
224631	13,179 50	
027291	379 00	
027290	300 00	13,858 50
Bank Balance as per Pass Book		7,72,340 86

Additional findings:

Cheque No. 974187 returned by Bank but not recorded in Cash Book (28.9.98)	40 00
Cheque deposited but not exedited by Bank 5 1298 (UBI.60)	70 00
Short credit in Cash Book on 15.9.98 (UBI 48)	110 00

The above findings were not reflected in Cash Book, Debit and Credit being equal ommission of entries has not distrubed the closing Balance.

D. k. Chowdhury & Co.
Chartered Accountant

11, Old Post Office
Calcutta - 700 001

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

15, TALKATORA ROAD
NEW DELHI - 110 001

Balance sheet as on 31st December, 1998

LIABILITIES			ASSETS		
Funds & Liabilities:			**Fixed Assets:**		
			As per last a/c	16,98,998 45	
General Fund a/c			Addition this year	8,000 00	
				17,06,998 45	
As per last a/c	28,25,599 42		Less:		
Add:			Credit balance of Ghaziabad Flat a/c adjusted	3,48,880 00	
Excess of income over expenditure	6,38,980 50				13,58,118 45
" Credit adjustment as per last a/c	8,167 00		**Investments:**		
		34,72,746 92	Fixed Deposit with Bank of India	21,33,371 00	
			Add:		
Special Fund a/c			Interest Accrued reinvested	4,05,590 00	
					25,38,961 00
As per last a/c	13,09,069 00		**Security Deposit:**		
			As per last a/c	11,585 00	
Add:			Add:		
Other credit balance as per last a/c	60,143 35		This year	2,500 00	
					14, 085 00
		13,69,212 25	**CPSTU a/c**		7,687 00
			Working Class a/c:		
			Balance b/fd (Cr. balance)	18,848 70	
			Add:		
			Received this year	89,688, 00	
				1,08,536 70	
			Less:		
			Paid this year	1,10,188 25	
				(Dr.1,651 55)	
			Add:		
			Cash deficit met CITU	1,265 55	
					2,917 10
			CITU Mazdoor a/c		
			Balance b/fd	2,82,162 00	
			Less:		
			Received this year	14,336 00	
			Add:	2,67,826 00	
			Paid This Year	85,126 75	
					3,52,952 75
			VOWW a/c		
			Balance b/fd	1,30,000 00	
			Less:Received this year	1,827 00	
				1,28,173 00	
			Add:Paid this year	3,651 00	
					1,31,824 00
			Loan & Advances		44,370 40
			Cash in hand		15,501 61
			Cash at Bank		3,75,541 86
Total	Rs.	48,41,959 17	**Total**	Rs.	48,41,959 17

D. k. Chowdhury & Co.
Chartered Accountant

11, Old Post Office
Calcutta - 700 001

THE WORKING CLASS
(Monthly English Journal of CITU)

15, TALKATORA ROAD NEW DELHI - 110 001

Receipts & Payments Account for the year ended 31st December, 1998

RECEIPTS			PAYMENTS	
Opening Balance:			Papers	94,123 00
Cash in hand		14,030 20		
Cash at Bank		1,055 43	Binding expenses	3,604 00
Subscription direct		41,162 50	Bank charges	340 00
Through CITU		89,688 00	Conveyance	833 00
Spl. Working Class advertisement		62,500 00	Miscellaneous expenses	1,097 00
Sales		401 00	Postage	25,611 50
Received From CITU	1,11,453 80		Printing charges	73,814 00
			Stationery	6,224 00
Less: Adjustments	89,688 00			
		21,765 80	Cash in hand	Nil
Interest from bank		897 00	Cash at Bank	25,853 43
Total	Rs.	2,31,499 93	**Total**	Rs. 2,31,499 93

D. k. Chowdhury & Co.
Chartered Accountant

11, Old Post Office
Calcutta - 700 001

THE VOICE OF THE WORKING WOMAN
(Monthly English Journal of CITU for the working women)

15, TALKATORA ROAD NEW DELHI - 110 001

Receipts & Payments Account for the year ended 31st December, 1998

RECEIPTS			PAYMENTS	
Opening Balance:			Binding expenses	680 00
Cash in hand		5,601 75	Miscellaneous expenses	40 00
Cash at Bank (B O I)		3,924 38	Postage	5,150 00
Cash at Bank (Syndicate Bank)		3,527 00	Printing charges	7,712 00
			Stationery	20 00
Subscription direct		19,757 50	Conveyance	35 00
Through CITU		1,827 00		
Interest for Bank		650 00	**Closing balances:**	
Donation		131 00	Cash in hand	10,900 75
Sales		130 00	Cash at Bank (B O I)	9,307 88
Received From CITU	3,651 00		Cash at Bank (Syndicate Bank)	3,527 00
Less: Adjustments	1,827 00			
		1,824 00		
Total	Rs.	37,372 63	**Total**	Rs. 37,372 63

D. k. Chowdhury & Co.
Chartered Accountant

11, Old Post Office
Calcutta - 700 001

CITU MAZDOOR
(Monthly Hindi Journal of CITU)

15, TALKATORA ROAD
NEW DELHI - 110 001

Receipts & Payments Account for the year ended 31st December, 1998

RECEIPTS			PAYMENTS		
Opening Balance:			Papers		66,747 00
Cash in hand		27,965 85			
Cash at Bank		1,698 08	Binding expenses		3,550 00
Subscription direct		1,25,210 00	Conveyance expenses		395 00
Through CITU		14,336 00	Miscellaneous expenses		715 00
Interest from bank Received on a/c		1,844 00	Postage		16,140 75
From CITU	85,126 75		Printing charges		56,335 00
Less: Adjustments	14,336 00		Stationery		856 00
		70,790 75	Cash in hand		74,922 85
Sales		228 00	Cash at Bank		22,411 00
Total	Rs.	2,42,072 68	**Total**	Rs.	2,42,072 68